खण्ड-286, अंक-5
सोमवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(14 दिसम्बर, 1970 ई0)

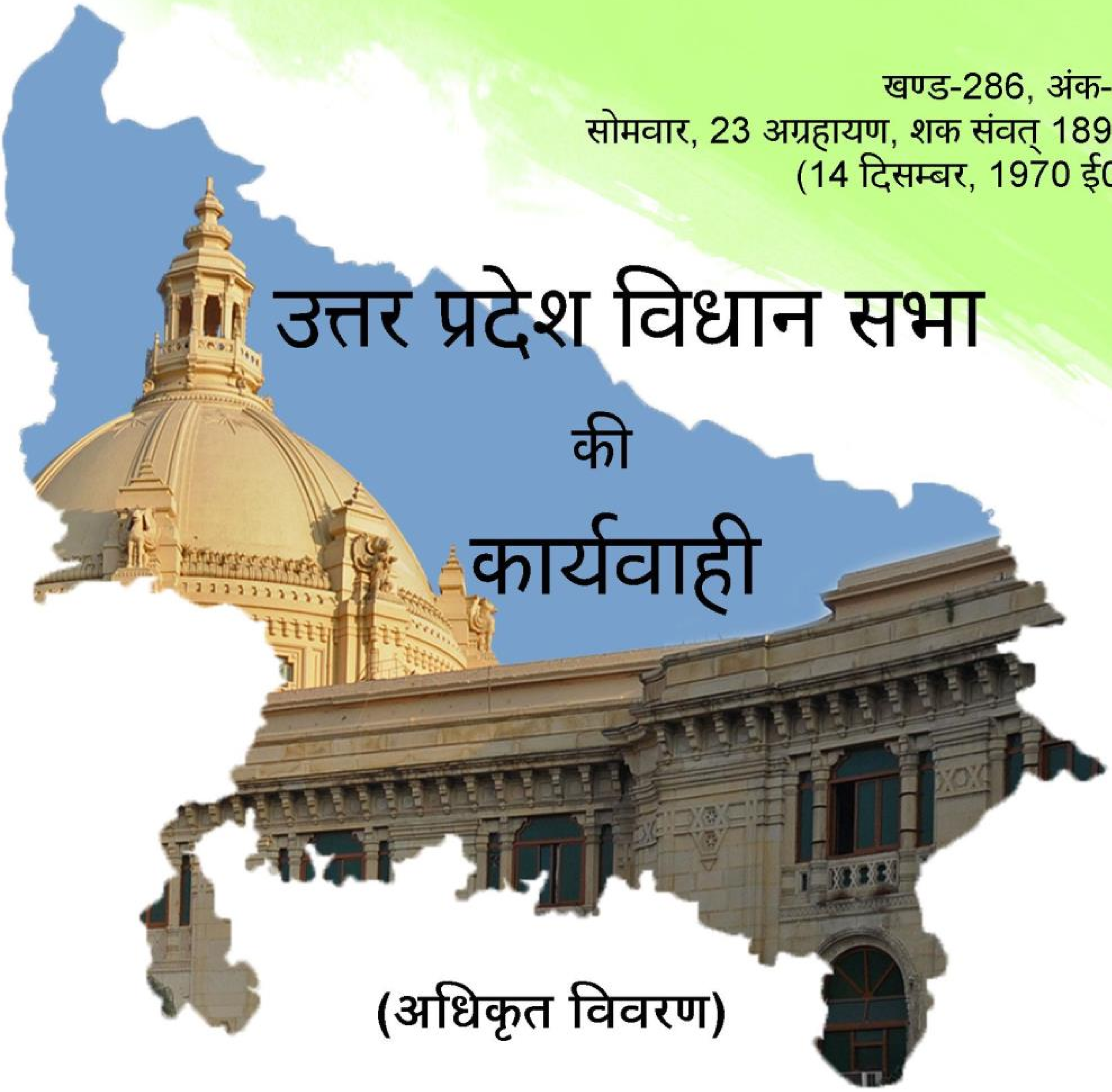

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९१

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल , श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंबल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बल, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्ताम सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)

रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामभूति 'अंचल,' श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराजसिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसादसिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिका तथा टाउन एरियाओं के चुनाव का स्थगन

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका व टाउन एरियाओं के प्रदेश में होने वाले चुनाव अचानक क्यों रोक दिये गये हैं और अब सरकार भविष्य में कब चुनाव कराने का इरादा रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरियाओं तथा टाउन एरियाओं के चुनाव कुछ प्रशासनिक कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिये गये हैं। यह चुनाव कब कराये जायें इस पर शासन विचार कर रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं जिनके कारण चुनाव रोक दिये गये हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह फैसला मंत्रि परिषद् ने १०-११-७० को लिया कि प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण चुनाव हटा दिये जायं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, प्रश्न यह था कि कौन सी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं जिनके कारण चुनाव हटाये जा रहे हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह तो मंत्रि परिषद् का फैसला था कि चुनाव हटा दिये जायं क्योंकि इसी समय के अन्दर सैन्सस का कार्य हो रहा है जो ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाला है और सैंसस का स्टाफ ही इनके चुनावों में काम करता है। यही कठिनाई थी।

श्री राम चन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चुनावों को स्थगित करते समय चेयरमैनों से उनका कार्यभार जिलाधीशों को दिला दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, कानून के अन्दर इसकी मियाद चार वर्ष की थी और २ साल का समय बढ़ाने के लिये थी। इसलिये जहां ६ साल हो गये थे वहां समय बढ़ाना सम्भव नहीं था इसलिये ऐसा किया गया। जिनका चुनाव काल कानून के अन्दर आता था उनका अगले चुनाव तक के लिए रोक दिया गया।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ३१ मार्च, १९७१ तक इनका चुनाव समाप्त करा लिया जायेगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, जैसा कि मैंने उत्तर दिया कि सैंसस का कार्य ३१ मार्च, १९७१ को खत्म होता है। इसके बाद जल्दी ही करा लेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अभी तो निश्चय हो गया था कि टाउन एरियाओं का चुनाव करा लिया जायेगा। तो फिर कौन सी विशेष परिस्थिति हो गई जिसकी वजह से यकायक चुनाव रोक दिये गये ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, मैंने उत्तर में कह दिया कि प्रशासनिक कठिनाई के कारण चुनाव रोक दिये गये और कठिनाई भी बता दी।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, कई मंत्री जी ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से चुनाव रोक दिये गये। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे कारण इतने गोपनीय हैं कि जनहित में उनका बताना मुमकिन नहीं है जिनके कारण मंत्रि परिषद् ने फैसला किया ?

श्री अध्यक्ष---

वे जनना चाहते हैं कि कौन से कारण हैं जिनसे चुनाव हटाये गये यदि गोपनीय न हों तो बता दें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, यह मंत्रि परिषद् का फैसला था कि प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण तो गोपनीय है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी से बातचीत हुई तो उसने चाहा कि जब तक जन गणना न हो जाय तब तक चुनाव रोक दिये जायं क्योंकि वहीं का स्टाफ यहां भी काम करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

क्या यह सही है कि सेन्सस का कार्य जनवरी, १९७१ से शुरू होगा और इसके चुनाव की जो तिथियां निश्चित थीं उनमें कोई सेन्सस का कार्य नहीं हो रहा था ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

कार्य तो शुरु ही था। वही स्टाफ जो लगने वाला था कार्य चलाता।

श्री रामचन्द्र विकल ---

जब नवम्बर में चुनाव निश्चित किये गये उस वक्त सेन्सस का काम उनके सामने था या नहीं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

पहले २९ नवम्बर, १९७० की तिथि निर्धारित थी, लेकिन रमजान पड़ जाने की वजह से टल गया। फिर राज्यपाल की सलाहकार समिति ने १३-१२-७० निश्चित की। उसके बाद मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक कारणों से इसको स्थगित कर दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टि से चुनाव से पहले क्या सरकार इनका प्रशासन अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

वह तो कानून के अन्दर जहां गड़बड़ियां होती हैं उन्हीं का प्रशासन सरकार अपने हाथ में ले सकती है। वैसे जब इनकी अवधि समाप्त होगी और चुनाव नहीं होगा तब हम ले सकेंगे।

श्री श्रीशचन्द्र---

ऐसे कौन से प्रशासनिक कारण थे कि टाउन एरियाज को तो टेक ओवर कर लिया और जिन पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उनको बढ़ा दिया ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

जैसा मैंने, बताया कानून की दृष्टि में केवल ६ साल ही मियाद है, ४ साल उनकी और २ साल सरकार बढ़ा सकती है। तो अगर चुनाव इस बीच में न हो तो फिर जिला मैजिस्ट्रेट को देने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है।

श्री श्रीशचन्द्र---

जब ६ साल से अधिक टर्म नहीं बढ़ सकता तो चुनाव क्यों नहीं करा देते, जिलाधिकारी के सिपुर्द करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष---

इसके बारे में तो वह जवाब दे चुके हैं कि समय हो गया था और सेन्सस का जो काम किया जाने वाला था उसकी वजह से यह हुआ।

श्री श्रीशचन्द्र---

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि चुनाव अप्रैल में सम्पन्न हो जायेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यह तो मंत्रिपरिषद् का प्रश्न है। वह इस पर विचार करेगा तब कुछ होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो टाउन एरियाज को हस्तगत किया गया और जिलाधिकारियों को सारे अधिकार दे दिये गये तो यह अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत किया गया ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ८ (१) उपखंड ६ के मुताबिक।

तारांकित प्रश्न

जिला प्रतापगढ़ में चालान हुई बसों तथा टैक्सियों से आय

*१---श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर ने (इलाहाबाद तथा कानपुर रीजन) माह अप्रैल से जून, सन् ७० तक कितनी बार

आकस्मिक दौरा किया था तथा कितनी नाजायज बसों, लारियों तथा टैक्सियों का चालान किया ?

न्याय उपमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

जनपद प्रतापगढ़ में रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर ने (इलाहाबाद तथा कानपुर रीजन) माह अप्रैल, १९७० से जून, ७० तक कोई आकस्मिक दौरा नहीं किया । अतः उनके द्वारा नाजायज़ बसों तथा टैक्सियों के चालान का प्रश्न नहीं उठता ।

*२--श्री जयराम यादव--

क्या यह सही है कि इन आकस्मिक चेकिंग के दौरान यू० पी० रोडवेज प्रतापगढ़ डिपो की दैनिक आमदनी में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री सच्चिदानन्द--

पहले प्रश्न के उत्तर के प्रकाश में यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जयराम यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अप्रैल से लेकर जून तक इन तीन महीनों के अन्दर रीजनल ट्रांन्सपोर्ट आफिसर ने कभी प्रतापगढ़ जाने का कष्ट किया था या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह प्रतापगढ़ जनपद कानपुर रीजन में नहीं आता है । इलाहाबाद रीजन में आता है । इसलिये कानपुर के रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर के जाने की आवश्यकता नहीं थी । यह जरूर है कि जो चेकिंग आकस्मिक हुई हैं उनमें ३३ आकस्मिक चेकिंग हुई हैं जिसमें १६ बसों का, २७ टैक्सी का, २० कार और जीपों का तथा ४७ भारवाहनों का चालान किया गया ।

श्री जयराम यादव--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो चालान किये गये हैं किस महीने में किये गये हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

इनकी संख्या बहुत है लेकिन माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बतला दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या इस बात की मन्त्री महोदय जांच करायेंगे कि आर० टी० ओ० ने आकस्मिक दौरे किये थे और कुछ बसों को पकड़ा भी था और ट्रकों को भी लेकिन कुछ लेकर छोड़े हैं । प्रतापगढ़, रायबरेली साइड में बहुत नाजायज बसें चलती हैं जिनको वह छोड़ देते हैं और ये अधिकारी मिलकर ही इस तरह की बसों को चलवाते हैं ?

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

मेरे मित्र की यह शिकायत ठीक है । बहुत से रूट पर नाजायज बसें चलती हैं और उनके सम्बन्ध में हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या उपाय किया जाय, लेकिन मेरे मित्र का यह प्रश्न केवल आर० टी० ओ० से सम्बन्धित था कि कानपुर रीजन वालों ने इस प्रकार के दौरे किये या नहीं ? यह इलाहाबाद रीजन से सम्बन्ध रखता है और इलाहाबाद के रीजनल अधिकारी ने यह दौरा किया है ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह प्रश्न इलाहाबाद और कानपुर दोनों रीजन से सम्बन्धित है । केवल कानपुर से ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

जनपद प्रतापगढ़ में रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर इलाहाबाद और कानपुर दोनों को ही यह कवर करता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जैसा कि यह प्रश्न किया गया है कि इलाहाबाद तथा कानपुर के आर०टी०ओ० ने दौरा किया या नहीं ? तो यह बताया कि यह कानपुर रीजन में नहीं आता है बल्कि इलाहाबाद में आता है । इलाहाबाद की रीजनल अथारिटीज ने दौरा किया है और चेकिंग की है ।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, मैंने स्वयं सुल्तानपुर में देखा है कि रोडवेज की बसों के आगे और पीछे प्राइवेट बसें चलती हैं, तो उनका कहना है कि क्या सरकार इस पर जांच करवायेगी कि यह सही है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में तो मैं नहीं कहता लेकिन यह बात सही है कि कहीं-कहीं ऐसा होता है और मैंने सदन को अभी आश्वासन दिया है कि हम लोग इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाय । हमें और भी अन्य प्रकार की शिकायतें मिली हैं जिनमें एक यह भी है ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि न केवल प्रतापगढ़ रीजन में बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में ईक्सीज और अवैध गाड़ियां चलती हैं, तो उनको रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय । सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन कर दिया जाय जो इस पर विचार करे और शासन को अपने सुझाव दे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, मैंने स्वयं कहा है कि सभी क्षेत्रों में विभिन्न शिकायतें हैं और मान्यवर मै कदाचित् इस सदन की समिति की बात तो नहीं कहता कुछ और भी मेरे मन में बातें हैं, और बहुत शीघ्र ही उनको मैं सूचना दूंगा ।

सीतापुर-लहरपुर-तम्बौर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

*३---श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

विधान सभा के प्रथम सत्र के आठवें सोमवार २२-६-७० के लिये निर्धारित प्रश्न सं० ८७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर-लहरपुर-तम्बौर मार्ग पर राजकीय परिवहन विभाग की बसें चलाने में वैधानिक कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं तो अब इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर कब तक राजकीय बस सेवा प्रारम्भ करने के लिये इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा ?

श्री सच्चिदानन्द---

राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित वैधानिक कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है । मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना का मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८ (डी) के अन्तर्गत प्रकाशन हो जाने के बाद ही रोडवेज की बसें चलाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रामलाल राही--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-सी वैधानिक कार्यवाही अभी पूरी होनी बाकी है ?

श्री सच्चिदानन्द--

नियम ६८ (डी) के अन्तर्गत लोगों को आब्जेक्शन करने के लिये २८-१२-७० फाइनल तारीख निर्धारित की गयी है। इस फाइनल हेयरिंग के बाद ही इसके ऊपर बसेज चलायी जा सकती हैं।

श्री रामलाल राही--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८ (डी) के अन्तर्गत किस बात का प्रकाशन होता है ?

श्री सच्चिदानन्द--

इस धारा के अन्तर्गत आब्जेक्शन क्लेम किये जाते हैं और उनके बाद जब हेयरिंग होती है तो फाइनली गजट में निकलता है धारा ६८ (डी) के अन्तर्गत।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक मार्ग के राष्ट्रीयकरण की वैधानिक कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तब तक टेम्पोरेरी परमिट देकर रोडवेज बसों को चलाने की कृपा करेंगे, साथ-साथ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

कभी-कभी कुछ टैम्पोरेरी परमिट्स दे दिये जाते हैं, लेकिन उनमें बड़ी कठिनाई आ जाती है। हम इस सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य अपने विचारों से मुझे अवगत करेंगे तो मैं उन पर भी विचार कर लूंगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मैं जानना चाहता हूं कि ये सारी वैधानिक कार्यवाही कितने दिनों से चल रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह २२-९-१९६७ को नोटिफिकेशन हुआ था और जैसा मैंने अभी बतलाया २८-१२-७० को इसकी फाइनल हियरिंग है, आब्जेक्शन्स पर।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह प्रश्न प्रदेश के बहुत से रूट्स के नेशनलाइजेशन का है, तो क्या जान-बूझ कर प्राइवेट ओनर्स इसमें कठिनाई पैदा करते हैं ? हमारे माननीय मंत्री जी तो परिवहन के साथ-साथ विधि मंत्री भी हैं। तो क्या वे कोई रास्ता निकालेंगे जिससे हर रूट पर समुचित कार्यवाही होकर नेशनाइलाइज हो जाया करे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं अपने मित्र का मशकूर हूं इस सुझाव के लिये, लेकिन यह सही है कि इस सम्बन्ध में बहुत देर होती है और हम लोग स्वयं चिन्तित हैं कि कुछ उपाय निकालें जिससे इसमें जल्दी हो।

श्री राजमंगल पांडेय—

तीन महीने हो गये हैं अभी तो उस वैधानिक कार्यवाही को करते, पता नहीं वह कार्यवाही कब खत्म होने को है। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिये कार्यवाही में देरी की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसा नहीं है।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर से लहरपुर तक गवर्नमेन्ट रोडवेज बसों का न चलने का कारण वहां की प्राइवेट बसों के मालिकों का विभाग से सम्बन्धित भ्रष्टाचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कह नहीं सकते श्रीमन् कि वाकई में कोई भ्रष्टाचार से सम्बन्धित देर हुई है। उसमें जल्दी करने की चेष्टा में हम लोग लगे हुये हैं।

*४—श्री रामसागर—

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

देहरादून में निलम्बित परिवहन कर्मचारियों को सब्सिस्टेन्स एलाउन्स

*५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून क्षेत्र में ऐसे कितने परिवहन कर्मचारी है जो छः मास से अधिक अवधि से निलम्बित हैं, क्या उन्हें उनका सब्सिस्टेंस एलाउन्स नियमानुकूल ठीक समय पर मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

१२ कर्मचारी छः मास से अधिक की अवधि से निलम्बित हैं। सभी को नियमानुकूल सब्सिस्टेन्स एलाउन्स ठीक समय पर मिल रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सबसे लम्बी अवधि से कौन से कर्मचारी हैं जो निलम्बित हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जिन लोगों को निलम्बित किया गया है जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनके मामले एक मास के अन्दर निपटा देंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कठिन है इस प्रकार का आश्वसन देना लेकिन यथाशीघ्र कोशिश करेंगे।

*६—श्री रामलाल राही—

[पुनरावत्ति के कारण निरस्त किया गया।]

लक्ष्मीरतन काटन मिल, कानपुर की कुर्क सम्पत्ति को नीलाम न करना

*७—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

८ जून, १९७० के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न सं० ५ और ६ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बतायेगी कि सम्बन्धित मिल की चल तथा अचल सम्पत्ति की कुर्की हुई सम्पत्ति के नीलाम न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

मिल की कुर्क सम्पत्ति का नीलाम न करने का प्रथम कारण यह है कि इससे मिल का कार्य ठप्प हो जाने की आशंका है जिसके कारण तमाम प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। दूसरा कारण यह है कि भारत सरकार ने इस कम्पनी के कारोबार के सम्बन्ध में जांच करने के लिये इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त कर दी है जिससे बहुत जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अतः अभी नीलामी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाते हुए कि जब यह प्रश्न ८ जून, १९७० को उठा था और जब वे विरोध पक्ष में उधर बैठते थे तो माननीय मंत्री ने स्वयं इच्छा की थी कि मजदूरों के हित में जो कुर्क की हुई सम्पत्ति है वह नीलाम की जानी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मजदूरों के हित में तमाम प्रशासकीय कठिनाइयों के बावजूद भी जो २४,०८,८९२ रु० ३६ पैसे की धनराशि है, उसकी वसूली की कार्यवाही करेंगे ?

श्री हिम्मत सिंह—

वसूली की कार्यवाही निश्चित कराई जायेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो जांच समिति नियुक्त की है वह केवल अपने धन के दुरुपयोग रोकने और आय-कर के लिये की है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उसी प्रकार एक जांच समिति यहां भी नियुक्त करेंगे जिससे ७० लाख रुपये कुर्क की हुई सम्पत्ति के तथा २५ लाख रुपये कर्मचारी राज्य बीमा के धन का दुरुपयोग न हो सके ? माननीय मंत्री जी को इसका प्रतिवेदन भी दिया जा चुका है। तो क्या माननीय मंत्री जी इन तमाम अवैधानिकताओं की जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त करेंगे ?

श्री हिम्मत सिंह—

इन तमाम अवैधानिकताओं की जांच के लिये भारत सरकार ने दिनांक ६-११-१९७० को एक जांच समिति नियुक्त कर दी है, वह जल्दी ही सारे मामले पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

कुर्क की हुई सम्पत्ति किसके अधिकार में है और कुल कितने की सम्पत्ति है ?

श्री हिम्मत सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

जब मिल की सम्पत्ति कुर्क हो गई तो नीलाम करने में क्या प्रशासनिक कठिनाइयां हैं ?

श्री हिम्मत सिंह—

तमाम मजदूर बेकार हो जायेंगे, ये लोग फिर हड़ताल आदि भी करायेंगे, इसी तरह की कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मजदूरों को भविष्य नीधि की पर्चियां कई सालों से नहीं दी गई हैं। पहले सन् १९६५ में दी गयी थीं, उसके बाद सन् १९७० में दी गयीं, इस तरह से प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब में एक-एक, दो-दो हजार की गड़बड़ी है। क्या इसकी मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो अवश्य जांच करायेंगे।

स्कूटर, कार तथा टैम्पू सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*८—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६८ से जुलाई, १९७० तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र स्कूटर, अम्बेसडर कार, टैम्पू आदि के लिये प्राप्त हुए उनमें कितनों को को क्रम के अनुसार दिया गया है और कितने को क्रम का उल्लंघन करके दिया गया है और कितने प्रार्थना-पत्र अब भी पड़े हुये हैं ?

श्री सच्चिदानन्द—

वांछित सूचना संकलित की जा रही है।

*९—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो बचे हुये प्रार्थना पत्र हैं उनको शीघ्र वरीयता के आधार पर स्कूटर, टैम्पू, अम्बेसडर कार देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सच्चिदानन्द—

वांछित सूचना संकलित की जा रही है।

श्री सुखपाल पांडेय—

यह सूचना कब तक आ जावेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यथा शीघ्र।

श्री सुखपाल पांडेय—

सरकारी कोटे से जो दी गयीं उसकी सूचना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस वक्त यह भी सूचना नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

यह सूचना कब तक आ जायंगी ?

श्री अध्यक्ष--

१५ दिन के बाद यह प्रश्न फिर यहां रखा जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार मेरी इस सूचना के आधार पर कि बहुत से लोग इन स्कूटर, टैम्पू आदि के लिये बोगस नाम दर्ज करा देते हैं और इस प्रकार से एक-एक व्यक्ति कई-कई स्कूटर आदि ले लेता है और फिर उसका ब्लैक होता है, क्या इसको रोकने के लिये ठोस कदम उठायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जरूर देखेंगे।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

आपने कहा कि १५ दिन के बाद यह प्रश्न फिर आयेगा, जब यह सदन २४ तक ही बैठेगा, तो इस सूरत में यह प्रश्न कैसे आ सकेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है लेकिन हमारा यह नियम है कि जो प्रश्न पोस्टपोन होता है, वह पुनः १५ रोज बाद आता है।

श्री त्रिवेणी--

श्रीमन्, १५ दिन तो २४ तरीख के बाद समाप्त होंगे, २४ तारीख को सदन समाप्त हो जाएगा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे आ पाएगा, तो क्या सदन फिर बुलाया जाएगा ? या यह मैं समझूं कि सदन २४ तरीख के बाद भी चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न समाप्त नहीं होगा। प्रोरोग होगी तो समाप्त होगा, वैसे समाप्त नहीं होगा। अगले सदन में भी आ सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

ठीक है, हमारा प्रस्ताव है कि ९० दिन तक सदन चलेगा, तो २४ तारीख तक ३१ दिन का और बिजनेस बाकी रहेगा हमारे पास। इसलिए सदन तो बाद तक चलेगा ही।

श्री रामकरन (गोरखपुर)--

मंत्री जी ने कहा कि 'यथाशीघ्र' जवाब मिलेगा। जब ३ मास हो गए, अभी तक नहीं हो पाया है, तो मुझे शंका होती है। कृपया मंत्री जी 'यथाशीघ्र' का तात्पर्य स्पष्ट कर दें कि २४ तारीख के पहले या २४ तारीख के बाद ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इसमें बड़ी विचित्र बात है। डीलर्स के पास जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे इस प्रश्न का तात्पर्य है या यहां सरकार में जो दरख्वास्तें आती हैं उससे मतलब है, तो दोनों देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

जब आप के पास सूचना आ जाए तो बता दीजिएगा, उसे सदन में रख दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसकी लिस्ट तैयार न होने के कारण क्या थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हमारे मित्र यह प्रश्न पूछें, अजीब बात है। इसकी लिस्ट डीलर्स से मंगवानी पड़ती है।, लिखा जाता है कोई भेजता है कोई नहीं भेजता है।

श्री छांगुर--

सितम्बर में प्रश्न पूछा गया, और चौथा महीना चल रहा है, अभी तक जवाब नहीं आया, तो क्या तारांकित प्रश्न के संबंध में अध्यक्ष महोदय कोई व्यवस्था देंगे कि अधिक से अधिक इतने दिनों में उसका अवश्य जवाब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से कहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी सरकार बदलिए नहीं, नहीं तो देर होती रहेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इस प्रश्न का जवाब सितम्बर वाली सरकार दे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि सितम्बर से अब तक इन्हीं के पास रही है।

श्री त्रिवेणी--

अल्पमत की सरकार रहे और हम उसे चलने दें, इस विषय में आप व्यवस्था दे दें, तब यह हो सके।

श्री अध्यक्ष--

अब सब पार्टियों से मिलकर सरकार बनी है, अतः चलेगी।

श्री त्रिवेणी--

आप रूलिंग दे दें कि हम अल्पमत की सरकार चलाएं तो अवश्य शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष--

मेरी रूलिंग से नहीं होगा, आपके बहुमत द्वारा गिराने से गिरेगी और बहुमत ही उसे कायम रख सकती है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

उनकी कृपा बनी रहे, मैं अवश्य इसका जवाब दे दूंगा।

बरेली से पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा बिलसंडा तक अनियमित रूप से चलने वाली बसें

*१०--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न कर्ता ने और सर्वश्री भानु प्रताप सिंह, विधायक व ऋषीपाल सिंह, विधायक ने आयुक्त, बरेली व आर० टी० ओ०, बरेली से पीलीभीत--शाहजहांपुर व पीलीभीत--बिलसंडा प्राइवेट बसें अनियमित रूप से चलने और सरकार के पैसेंजर टैक्स की चोरी की शिकायत १ जुलाई, १९६९ से ३० जनवरी, १९७० तक लिखित कितने बार की और अभी तक जांच क्यों नहीं हुई ?

श्री सच्चिदानन्द--

सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम तथा ऋषीपाल सिंह ने एक लिखित शिकायत दिनांक २८-१०-१९६९ को आयुक्त, बरेली को की थी। उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच यात्री-कर अधीक्षक व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली द्वारा की गई जांच के समय कोई बस अनियमित रूप से चलते हुये नहीं पाई गई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष महोदय, मैंने २८-१२-६९ को सर्वश्री भानु प्रताप सिंह व ऋषीपाल सिंह के साथ आयुक्त बरेली को यह प्रार्थना-पत्र दिया है कि १७ के बजाये २७ चलाई जाती हैं, जिसका प्रमाण टाउन एरिया, बीसलपुर में है, तो क्या इसको चेक किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, इस संबंध में नगरपालिका, पीलीभीत और टाउन एरिया, बीसलपुर को लिखा गया है, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । अगर हमें मिल जायेगा तो अवश्य हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, अब तो टाउन एरिया उनके हाथ में ही आ गई है, तो जिन अधिकारियों ने यह किया और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, बात ठीक है और जिन अधिकारियों ने उत्तर नहीं दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर हम लोग अवश्य विचार करेंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

जो उत्तर मंत्री जी ने दिया, वही उत्तर हमें उनसे मिलता रहा, जब-जब हमने उनसे शिकायत की । बार-बार कहने पर यही उत्तर प्राप्त होता रहा । तो आज परिस्थिति बदल गई है, इसलिये मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस बात की जांच करेंगे कि बार-बार कहने पर भी उत्तर अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यही बात नहीं है कि उत्तर वहां से नहीं आया । एक बार उत्तर आया, ठीक नहीं जंचा, दुबारा लिखा गया, फिर उनके रिकार्ड से देखने की बात हुई तो उससे मिलाया गया अपने अधिकारियों के द्वारा, तो वहां का रिकार्ड अत्यन्त अस्त-व्यस्त अवस्था में मिला और कुछ कम सूचना वहां पर दर्ज थी । यह परिस्थिति थी, अब हम उसकी पूरी जानकारी करके उसकी निश्चित रूप से जांच करेंगे ।

श्री मैनजर सिंह---

इस सदन के तीन माननीय सदस्यों ने माननीय आयुक्त से शिकायत की कि वहां पर टैक्स की चोरी होती है यानी अनियमित गाड़ियां चलती हैं । तो जिन अधिकारियों की सांठ-गांठ से जिनके संरक्षण में यह काम होता रहा, उन्हीं के माध्यम से सरकार द्वारा जांच कराये जाने का क्या कारण है ? उन्हीं को क्यों जांच करने का आदेश दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगा, यदि मेरे माननीय मित्र और अन्य कुछ मित्र इसके लिये तैयार हो जायें, कि वह इसकी पूरी जांच करके मुझ को देंगे ।

श्री राजमंगल पांडेय---

क्या यह जो अधिकारी हैं, ऐसे नहीं हैं जिनको सरकार द्वारा किसी प्रकार से निलम्बित किया जा सके या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही उनके खिलाक की जा सके ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

दोषी पाये जायें, तो जरूर की जायेगी ।

राजकीय कोटे से विधायकों को दिये गये स्कूटर

*११—श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९६९ से १२ अगस्त, सन् ७० ई० तक कितने विधायकों ने राजकीय कोटा से स्कूटर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया और उनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई ?

श्री सच्चिदानन्द—

१ अगस्त, १९६९ से १२ अगस्त, १९७० तक २८३ विधायकों ने राजकीय कोटे से स्कूटर प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये । उनमें से १८९ विधायकों को स्कूटर आवंटित किये गये ।

*१२—श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या यह सही है कि कुछ विधायकों के प्रार्थना-पत्र जो कि पहले से ही दिये गये थे पर स्वीकृति नहीं दी गई और बाद के प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति दे दी गई ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री सच्चिदानन्द—

जी हां, यह सही है । कोटा तिमाही बार प्राप्त होता है । आवंटन प्रत्येक तिमाही में प्रार्थना-पत्र देने की तिथि के क्रम से नहीं, किन्तु आंकी गई आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता रहा है ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

प्रश्न संख्या ११से संबंधित, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन १८९ विधायकों को स्कूटर्स दिये गये हैं, वे किन-किन पार्टियों से संबंधित हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, बड़ा कठिन है, पार्टियां बहुत बदल गई हैं ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन विधायकों को स्कूटर दिये गये वे किन पार्टियों से संबंधित थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना आपके पास हो तो दे दीजिये ।

श्री सच्चिदानन्द—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मंत्री जी ने बताया कि दरख्वास्तों को जिस क्रम से दिया गया था उस क्रम से स्कूटर नहीं दिये गये बल्कि उनकी आवश्यकता को देखा गया। कि किन की आवश्यकता ज्यादा है, किन की कम है । तो क्या मापदंड मंत्री जी ने बनाया जिसके आधार पर किसी की दरख्वास्त को आवश्यक समझा और किसी की नहीं, इसका माप दंड क्या रखा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, कभी-कभी ऐसा आता है कि बेटी के विवाह में स्कूटर देनी है। कई और भी किस्म की बातें आती हैं। उस समय उसी ढंग से विचार किया जाता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)---

पांडेय जी का प्रश्न यह था कि सरकार का मापदंड क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष---

मापदंड उनका सिर्फ यही है सिंडीकेट और इंडिकेट।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

प्रश्न यह है कि सरकार का मापदंड क्या रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने पार्टीबाजी की बात कही।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)---

एक प्रश्न मैं करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---

इस पर नहीं। श्री रामगोपाल संड का प्रश्न है।

*१३---श्री रामगोपाल संड---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

रोडवेज कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

*१४---श्री रामगोपाल संड---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों के कोई सेवा नियम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन इन नियमों को कब तक बनाने का विचार कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द---

नियुक्ति (ख) विभाग द्वारा जो सेवा नियम राज्य के अन्य कर्मचारियों के संबंध में बनाये गये हैं वे आवश्यक परिवर्तन के साथ रोडवेज के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। उन्हीं के अनुसार इनकी नियुक्ति तथा प्रोन्नति आदि की जाती है। अब इनके बारे में अलग से सेवा नियम बनाये जा रहे हैं जो शासन के विचाराधीन हैं।

श्री रामगोपाल संड---

क्या परिवहन मंत्री जी बतलायेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों में बहुत असंतोष है, उसको देखते हुए क्या जो सेवा नियम बन गये हैं उनको ३१ दिसम्बर, १९७० से मंत्री जी लागू कर देंगे ? जो विचाराधीन हैं जैसा कि उत्तर में कहा गया है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न पूरा हो गया है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या परिवहन मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो सेवा नियम विचाराधीन हैं उनको ३१-१२-७० तक लागू कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो आपने पहले पूछा था ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस प्रकार का आश्वासन मैं नहीं दे सकता हूं । कारण यह है कि सेवा के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत उनकी नियुक्ति और प्रोन्नति होती है, लेकिन कुछ नियम बनाये जा रहे हैं और जल्दी ही लागू होंगे ।

श्री रामगोपाल संड—

१ जनवरी, १९७० को तत्कालीन राज्य मंत्री, श्री धर्मवीर, ने इलाहाबाद में यह घोषणा की थी कि नये नियम बन गये हैं और सरकार शीघ्र लागू करेगी, तो क्या कारण है कि घोषणा के बाद भी लागू नहीं हो पाये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, श्री धर्मवीर ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है लेकिन कुछ नियम बन गये हैं उनको देखा जा रहा है और यथाशीघ्र जो नियम कर्मचारियों के लाभ के हैं उनको लागू किया जावेगा ।

श्री कृष्णकान्त—

जो नियम रोडवेज कर्मचारियों के बनाये जा रहे हैं उनमें क्या जो सुविधायें दूसरे राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं उनको भी रक्खा जावेगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सवाल मैं नहीं समझ पाया लेकिन उत्तर यह है....

श्री कृष्णकान्त—

मैं समझा दूं ताकि मंत्री जी को उत्तर देने में सुविधा रहे । क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो नियम रोडवेज कर्मचारियों के लिये बनाये जा रहे हैं, उनमें वे सुविधायें भी रहेंगी, जोकि अन्य राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यथा उचित नियम बनाने की कोशिश हो रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मंत्री जी का उत्तर है कि सेवा नियम लागू भी हैं और विचाराधीन भी हैं तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

दोनों बातें सही हैं । जो उनकी नियुक्ति और प्रोन्नति होती है वह नियुक्ति (ख) विभाग द्वारा बनाये राज्य कर्मचारियों के नियमों के अनुसार होती हैं लेकिन कुछ नये नियम भी बनाये जा रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या परिवहन मंत्री जी नियमों को अंतिम रूप देने से पहले यह उचित समझेंगे कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनके प्रतिनिधियों से और जो लोग उनके लिये कार्य करते हैं उनको बिठाकर इनको अंतिम रूप देंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत स्वागत । जब-जब वह सुझाव देंगे चाहे लिखित रूप से हों या मौखिक हों, उन पर विचार किया जावेगा ।

आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना में बस स्टेशन की स्थापना

*१५---श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)---

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे में राजकीय बस स्टेशन बनवाने के निमित्त विभाग ने कोई जमीन एक्वायर की है ? यदि हां, तो बस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

श्री सच्चिदानन्द---

यह सही है कि इस बस स्टेशन के लिये भूमि अध्याप्त की गई है, किन्तु अभी तक इस पर परिवहन विभाग को कब्जा नहीं मिला है । भूमि पर विभाग को कब्जा मिल जाने के बाद ही बस स्टेशन के निर्माण कार्य के बारे में कार्यवाही हो सकेगी ।

श्री श्यामलाल---

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस स्टेशन के लिये भूमि कब प्राप्त की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

इसका नोटीफिकेशन १८-६-६९ को हुआ है ।

श्री श्यामलाल---

माननीय परिवहन मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि इसका नोटीफिकेशन १८-६-६९ को हुआ है फिर उस भूमि पर कब्जे में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द---

जो उनको मुआवजा मिलने वाला था वह अभी तक तय नहीं हुआ है । जब मुआवजा तय हो जायगा तब उनको अन्तिम नोटिस देकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्यामलाल---

उन काश्तकारों को जिनकी जमीन ली गई है कब तक मुआवजा देने का फैसला किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

उनका मुआवजा तो जिलाधीश तय करता है परन्तु भू-स्वामियों ने सिविल कोर्ट में स्टे दाखिल कर दिया है । हमको तो स्वयं ही जल्दी है और जैसे ही यह तय हो जायगा हम वहां पर काम आरम्भ कर देंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

अधिकतर स्थानों पर परिवहन विभाग के स्वनिर्मित बस स्टेशन नहीं हैं और उनको किराये पर ही लिया गया है । क्या इस स्थान पर परिवहन विभाग अपने द्वारा ही बस स्टेशन को बनवाने की कृपा करेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, यह तीन तरह के होते हैं बस स्टेशन, बस स्टाप और बस स्टाप आन रिक्वेस्ट। हम लोग इस विषय में निरन्तर विचार कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य-क्रम बनावें।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोहना में जो बस स्टेशन की चर्चा चल रही है इसको मान्यता कब मिली और इसमें विलम्ब का क्या कारण है जो अभी तक बस स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका ?

श्री अध्यक्ष--

इसके दूसरे हिस्से का जवाब दिया जा चुका है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, यह निर्णय कब लिया गया इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। १८-६-६९ को इसका नोटीफिकेशन हुआ है। अब स्टे की एक रिट चल रही है। कुछ कठिनाई है इसी कारण विलम्ब हो रहा है।

श्री भाभी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन एक्वायर की गई है वह जिन काश्तकारों की है उन काश्तकारों के पास केवल वही जमीन थी या उनके पास और भी जमीन है ? कहने का मतलब यह है कि एक्वायर की गई जमीन के अलावा उन काश्तकारों के पास और भी कोई जमीन है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, इसके विषय में मुझको तो मालूम नहीं। परन्तु एक तरफ यह मांग है कि जल्दी से इसका निर्माण करवाओ और दूसरी तरफ यह भी है कि उन काश्तकारों के पास दूसरी जमीन नहीं है।

श्री श्यामलाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि उन काश्तकारों को जिनकी जमीन एक्वायर की गई है, अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? उसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन हरिजनों की जमीन ली गई है जिनके पास एक विस्वा भी जमीन नहीं है। इस सिलसिले में मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि उनको मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया और उन हरिजनों और काश्तकारों को कब तक मुआवजा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

मुआवजा के बारे में सिविल कोर्ट में झगड़ा चल रहा है।

चुन्नीगंज डिपो, रोडवेज कानपुर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*१६--चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के रोडवेज के चुन्नीगंज डिपो के अन्तर्गत कार्य करने वाले आफिस क्लर्कों, बुकिंग क्लर्कों, ड्राइवरों व कंडक्टरों को जो ५ वर्ष से १० वर्ष तक की अवधि से एक ही स्थान पर कार्य करते आ रहे हैं के स्थानान्तरण करने हेतु कोई सूची

जी० एम० या ए० जी० एम०, कानपुर की ओर से जून, जुलाई अथवा अगस्त, १९७० में बनाई गई थी ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री सच्चिदानन्द---

जी हां, प्रधान प्रबन्धक कानपुर ने ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाई थी। इसमें से ९४ कर्मचारियों का उन्होंने स्थानान्तरण किया। बाकी का स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से आवश्यक नहीं समझा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

जो सूची बनी थी उसमें कितने कर्मचारियों के नाम थे और जिनको स्थानान्तरण नहीं किया गया उनकी संख्या कितनी है ?

श्री सच्चिदानन्द---

इस सूची में ४१७ कर्मचारी थे जिसमें से ९४ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया। कार्यालय सहायक द्वितीय की संख्या १३ थी जिसमें से ६ का स्थानान्तरण किया गया और ७ का नहीं, बुकिंग क्लर्क की संख्या ८० थी जिसमें से १२ का स्थानान्तरण किया गया और ६८ का नहीं, परिचालक कुल १६० थे जिनमें से ३८ का स्थानान्तरण किया गया और अभी १२२ का नहीं किया गया है और चालक १६४ थे जिनमें से ३८ का स्थानान्तरण किया गया है और १२६ का अभी नहीं हुआ है। अब चूंकि प्रशासन पर यह निर्भर करता है कि कहां-कहां स्थानान्तरण करना है और एकदम से करने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ती जिसके कारण एक साथ स्थानान्तरण नहीं किया गया।

जिला मुजफ्फरनगर में फौजदारी केसों को वापस लेने के आदेश

*१७---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १ मई, १९७० से ३१ जुलाई, १९७० तक जिला मुजफ्फरनगर में कुल कितने क्रिमिनिल केसेज वापस लेने के आदेश सरकार ने जारी किये हैं और उन मामलों को वापस लेने के क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द---

१ मई, १९७० से ३१ जुलाई, १९७० तक की अवधि में जिला मुजफ्फरनगर में किसी क्रिमिनल केस को पूरी तौर पर वासप लेने के आदेश नहीं दिये गये। किन्तु जिला मुजफ्फरनगर में सन् १९६९ में एक मुकदमा अपराध सं० ६६ जो धारा १४७/१४८/३२३/३२५/३०२/१४९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चल रहा था उसमें से केवल धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत इश्तियाक तथा अन्य अभियुक्तों पर चल रहे अभियोजन को वापस लेने के आदेश २२ मई, १९७० को जारी किये गये क्योंकि उक्त अभियोग में यह धारा गलत लगा दी गयी थी।

श्री कल्यान सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस अभियुक्त पर से धारा ३०२ वापस ली गई थी, उस अभियुक्त का नाम तथा गांव का पता क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द---

२७ जून १९६९ को ग्राम उमरपुर, थाना बुढ़ाना-जिला मुजफ्फरनगर में दो दलों में मारपीट हो गई। जिस पर दफा पहले ३०२ लगी उसका नाम था इश्तियाक। इस दल का केस नम्बर ६६ है। बाद में यह दफा कैयाज पर लगाई गई इसका केस नम्बर ६६-ए है।

श्री कल्यान सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं और वह यह है कि जब अदालत में यह केस चल रहा था तो कौन सी धारा गलत और कौन-सी सही है, इसका निर्णय अदालत से न लेकर के सरकार कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दफा गलत लगाई गई थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में सी०आई० डी० की जांच कराई गई थी और उस जांच के आधार पर यह वापसी के आदेश हुये ।

जिला जालौन में बिक्री-कर की वसूली का स्थगन

*१८--श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६९ से २० अगस्त, १९७० तक जालौन जिले के किन-किन लोगों की बिक्री-कर की वसूली सीधे सरकार द्वारा स्थगित की गई और इस स्थगन के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

अक्टूबर, १९६९ से २०-८-१९७० तक की अवधि में जालौन जिले में केवल एक व्यापारी सर्वश्री चन्द्रशेखर रामचरन, कालपी--की बिक्री-कर की वसूली स्थगित की गयी थी । क्योंकि उनके द्वारा दायर की गयी अपील व रिवीजन के निर्णय में विलम्ब हो रहा था ।

ए० डी० एम० (जे०) अधिकारियों का वेतन

*१९--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बतायेगी कि १८ फरवरी, १९६७ को राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने फाइनेंस कमीशन के सामने यह विचार रखा था कि प्रदेश के ए० डी० एम० (जे०) अधिकारियों का ग्रेड ए० डी० एम० (ई०) के समान कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो यह कब तक किया जावेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--

राज्यपाल महोदय ने १८ फरवरी, १९६७ में कोई विचार वित्त आयोग के समक्ष नहीं रखे । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

*२०--श्री रामगोपाल संड--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

रोडवेज कर्मशाला के कर्मचारियों हेतु स्थायी आदेश

*२१--श्री रामगोपाल खंड--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के लिये स्थायी आदेशों (स्टैन्डिग आर्डर्स) का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

स्थायी आदेश केवल कर्मशालाओं के लिये होते हैं। रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप के कर्मचारियों के लिये स्थायी आदेश बन कर लागू हो गये । अन्य कर्मशालाओं के कर्मचारियों के बारे में स्थायी आदेश का बनाना विचाराधीन है ।

नोटः--तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

गोरखपुर रोडवेज मण्डल में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

*२२—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

परिवहन मंत्री जांच कर बतायेंगे कि राजकीय यातायात रोडवेज मण्डल, गोरखपुर में कितने लोगों की भर्ती बस कन्डक्टर, बुकिंग क्लर्क एवं ए० टी० आई० पदों पर मई, १९७० से जुलाई, १९७० तक की गई ? इनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा उनको सेवा कार्य में लेने का क्या आधार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश लाटरी से प्राप्त धन में से कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल को दिया गया धन

*२३—श्री शिवानन्द नौटियाल जिला गढ़वाल—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ अगस्त, १९७० तक उत्तर प्रदेश लाटरी से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है और उसमें से कितना धन अस्पतालों को दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

दिनांक २४ अगस्त, १९७० तक उत्तर प्रदेश लाटरी के १० ड्रा हुये थे और उक्त अवधि में १,५३,७२,३२८ रुपये की शुद्ध आय हुई थी जिसमें से १०७,१७८ रुपये की धनराशि अस्पतालों को वितरित की जा चुकी है ।

*२४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों को दिये गये धन में से कुमायूं तथा गढ़वाल कमिश्नरी के प्रत्येक जिले को अब तक कितना रुपया किस आधार पर दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

अस्पतालों को दिये गये धन में कुमायूं तथा गढ़वाल कमिश्नरी के प्रत्येक जिले को निम्न-लिखित धनराशि दी गयी है :—

कुमायूं मण्डल

					रु०
अल्मोड़ा	..	..	..	..	२,७९,८१२
नैनीताल	..	..	..	..	९१,०४५
पिथौरागढ़	..	..	..	..	५०,०००
			योग	..	४,२०,८५७

गढ़वाल मण्डल		रु०
उत्तरकाशी	.. ..	५०,०००
टेहरी गढ़वाल	.. ..	४२,०००
पौढ़ी गढ़वाल	.. ..	२७,८८५
चमोली	.. ..	——
	योग ..	१,१९,८८५

जिलों को दी गयी धनाशि का आधार वहां की आवश्यकतानुसार मांग के अनुसार है ।

इलाहाबाद में डी० जी० सी० (फौजदारी) की नियुक्ति

*२५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को जानकारी है कि इसी वर्ष इलाहाबाद में डी० जी० सी० (फौजदारी) के लिये दी गई प्रार्थियों में से किसी के द्वारा जाली प्रमाण–पत्र पेश किये जाने की शिकायत है जो ए० डी० एम० (ई) द्वारा शिकायत की जांच के बाद सही पाई गई । यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं । इस वर्ष इलाहाबाद में डी० जी० सी० (फौजदारी) की नियुक्त का कोई प्रश्न शासन के सामने नहीं आया । प्रश्न नहीं उठता ।

*२६—श्री कृष्ण स्वरूप—

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

प्रतापगढ़ रोडवेज डिपो में जीर्ण बसें तथा जिले में बस स्टेशनों का अभाव

*२७—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया जानकारी रखते हैं कि प्रतापगढ़ डिपो रोडवेज की अधिकांश बसें जीर्ण तथा जर्जर हो गई हैं ? क्या सरकार ऐसी बसों को शीघ्र ही हटा के नई बसें जनता के हित में चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

प्रतापगढ़ डिपो की अधिकांश बसें जीर्ण जर्जर नहीं हैं । डिपो की बसों की हालत संतोष-जनक है ।

*२८—श्री रामदेव—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत कितने और कौन ऐसे स्थान हैं जहां बस स्टैन्ड तो हैं किन्तु बस स्टेशन नहीं हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत ४० स्थानों पर ऐसे बस स्टैन्ड हैं जहां बस स्टेशनों की इमारतें नहीं हैं, इनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६८ पर)

गोरखपुर-खजनी, उसवा-गोला रोड एवं कौड़ीराम-गोला-बड़हलगंज मार्गों का राष्ट्रीयकरण तथा तत्सम्बन्धी कोर्ट में मुकदमे

*२९—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के गोरखपुर खजनी, उसवा गोला रोड एवं कौड़ी राम गोला रोड पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक गाड़ियां चलनी प्रारम्भ हो जावेंगी, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां, गोरखपुर जनपद के गोरखपुर–खजनी, उसवा गोला रोड एवं कौड़ीराम–गोला–बड़हलगंज मार्गों की राष्ट्रीयकरण की अंतिम योजना मोटर वेहिकिल्स अधिनियम, १९३९ की धारा ६८–डी (३) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गजट दिनांक ७–११–१९७० एवं १३–६–१९७० में प्रकाशित की जा चुकी है और इन दोनों मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसों का संचालन क्रमशः दिनांक ६–१२–१९७० एवं १–९–१९७० से होना था। परन्तु उपरोक्त दोनों मार्गों के सेक्रेटरी मोटर आपरेटर्स एसोशियेशन, तुर्कमानपुर, गोरखपुर तथा समस्त परिमिट गृहीताओं ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समायाचिका सं० ४३७६/६९ एवं २९५७/७० प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। अतएव स्थगन आदेशों के कारण राजकीय रोडवेज की गाड़ियां तब तक नहीं चलाई जा सकतीं जब तक कि यह स्थगन आदेश निरस्त नहीं हो जाते हैं या उपरोक्त समायाचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है।

*३०—श्रीमती मसाली देवी—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्राइवेट मोटर मालिकों एवं रोडवेज विभाग के बीच कोई मुकदमा चल रहा है ? गोरखपुर रीजन के कितने राजकीय मार्गों पर प्राइवेट मोटर मालिकों एवं सरकार केबीच कितने विवाद चल रहे हैं ? उन प्राइवेट कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनमें कौन सी कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

उपरोक्त प्रश्न सं० २९ के उत्तर में बताई गई दोनों मार्गों के राष्ट्रीयकरण की अग्रिम योजना के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दो समायाचिकायें सं० ४३७६/६९ एवं २९५७/७० प्रस्तुत की गई हैं जो विचाराधीन हैं तथा उन दोनों में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिये गये हैं। तदनुसार दोनों मार्गों पर प्राइवेट मोटर स्वामी अपनी बसें पूर्ववत चला रहे हैं। इस रीजन में केवल उपरोक्त दो मार्गों पर ही राष्ट्रीयकरण योजना के विरुद्ध सरकार एवं प्राईवेट मोटर स्वामियों के बीच उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा है। उपरोक्त दोनों समायाचिकायें, सेक्रेटरी मोटर आपरेटर्स एसोशियेशन, तुर्कमानपुर गोरखपुर एवं इन मार्गों के समस्त परिमिट गृहीताओं ने (संलग्न सूची में उल्लिखित) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की हैं, जो अभी अनिर्णित हैं। इसके अतिरिक्त गोरखपुर–गोला एवं उससे संबंधित मार्ग के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध उपरोक्त मार्ग के समस्त परमिट ग्रहीताओं ने सिविल कोर्ट गोरखपुर में मुकदमा दाखिल किया है जो अभी अनिर्णित हैं। समस्त परमिट ग्रहीताओं के नामों की सूची भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६९ पर)

भूमि आन्दोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में बाहर सोने की व्यवस्था न होना

*३१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित अगस्त, सन् १९७० के भूमि आन्दोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों को रात में जेल के बैरेक के बाहर सोने की व्यवस्था नहीं दी जा रही है तथा क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

इन साधारण श्रेणी के बंदियों को रात में बाहर सोने की सुविधा नहीं दी गई क्योंकि नियमों में साधारण श्रेणी बंदियों को यह सुविधा देने का प्राविधान नहीं है।

वाराणसी, नैनी (इलाहाबाद), बरेली, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद तथा आगरा की केन्द्रीय कारागारों में दफा ३०२ व ३९६ के कैदी

*३२—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या कारागार मंत्री केन्द्रीय कारागार वाराणसी, नैनी (इलाहाबाद) बरेली, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, आगरा के ऐसे बंदियों की तादाद बताने की कृपा करेंगे जो ३०२ में १० वर्ष तक तथा दफा ३९६ में २० वर्ष काट चुके हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७० पर)

गांधी शताब्दी पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से बन्दी मैकू, कुबेर, गनेश, मंजूर तथा लोचन को मुक्त न करना

*३३—श्री सजीवनलाल—

क्या कारागार मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बंदी मैकू, कुबेर, गनेश, मंजूर, लोचन असली सजा २१ वर्ष से ज्यादा काट चुके हैं ? यदि हां, तो इनको अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया ? क्या सरकार द्वारा गांधी जन्म शताब्दी पर उपरोक्त लोगों को छोड़ने पर विचार हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

केवल बंदी मंजूर ने अपरिहार २१ वर्ष से अधिक सजा काटी है। शेष बन्दीगण मैकू, कुबेर, गनेश तथा लोचन ने २१ वर्ष अपरिहार से कम सजा काटी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आजीवन कारावास के बंदियों को २१ वर्ष सजा काटने पर अवश्य मुक्त कर दिया जाय।

गांधी जन्म शताब्दी पर केवल बन्दी मंजूर खां के मामले पर विचार हुआ था किन्तु बन्दी की मुक्ति अस्वीकार कर दी गई। शेष चार बन्दीगण के मामले शासन ने पूर्व मुक्ति के लिए नहीं देखे क्योंकि उन्होंने २० वर्ष अपरिहार सजा नहीं काटी थी।

कानपुर जिला जेल में बन्दी लालाराम के साथ दुर्व्यवहार

*३४—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या जेल मन्त्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिला जेल में बन्दी जेल अस्पताल में भर्ती संसोपा सत्याग्रही श्री लालाराम को बुखार की हालत में ५ सितम्बर, १९७० को अस्पताल की चारपाई से घसीट कर थप्पड़, घूंसा तथा लातों से मारा गया ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और मारने वाले कौन-कौन जेल कर्मचारी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

जिला जेलर, मथुरा का स्थानान्तरण

*३५—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेलर, मथुरा को मथुरा में तीन साल से अधिक हो गया है ? यदि हां, तो उनका यहां से स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर के बस स्टेशन, शाहगंज का निर्माण तथा छतों का टपकना

*३६—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन शाहगंज के निर्माण में कुल कितना धन खर्च हुआ है तथा रोडवेज बुकिंग आफिस का निर्माण किस सन् में हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

रोडवेज बस स्टेशन शाहगंज में भवन निर्माण एवं उसके विकास, भूमि की अध्याप्ति सहित कुल ८६,६९० रुपया व्यय किया गया। निर्माण कार्य वर्ष १९६१-६२ में पूर्ण हुआ।

*३७—श्री लालसा—

क्या यह सही है कि उक्त बुकिंग आफिस की छत फट चुकी है और दिनांक १६ सितम्बर, १९७० को बारिश के समय फाइलें और अलमारियों के कागजात भीग कर नष्ट हो रहे थे, तथा टिकट की बुकिंग का कार्य कर्मचारी विश्राम गृह में हो रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धन के दुरुपयोग की जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं। छत नहीं फटी है किन्तु १६-९-१९७० को अधिक जल वृष्टि से छत से पानी टपकने लगा। इसलिए बुकिंग का कार्य विश्राम गृह में करना पड़ा। ऐसी स्थिति में उक्त धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

रिसीवर नियुक्त किये गये मिलों पर मजदूरों का बकाया प्रोविडेंट फन्ड

*३८—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि जिन मिलों पर रिसीवर नियुक्त किये गये थे वहां प्रत्येक मिल पर कितना कितना रुपया मजदूरों का प्राविडेन्ट फंड का शेष है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हबीबुर्रहमान)—

प्रश्न के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

रायबरेली रोडवेज डिपो में रायबरेली निवासी कर्मचारियों की संख्या तथा उनका स्थानान्तरण

१—श्री जयराम यादव—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली डिपो यू० पी० रोडवेज में उसी जिले के निवासी कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो १० वर्ष से वहीं काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसे कर्मचारियों की संख्या ४० है।

२—श्री जयराम यादव—

क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों का तबादला हाल ही में किया गया था परन्तु बाद में मंसूख कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इनमें से १९ परिचालकों एवं ९ चालकों को रायबरेली डिपो के ही अन्तर्गत अन्य मार्गों पर तैनात किया गया था और उनकी तैनाती को मंसूख नहीं किया गया। केवल २ कार्यालय सहायक द्वितीय ऐसे थे जिनका स्थानान्तरण रायबरेली से लखनऊ के लिए किया गया था परन्तु बाद में मंसूख कर दिया गया। ऐसा इस कारण किया गया कि उक्त दोनों कर्मचारियों ने अपनी कठिनाइयां व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र दिया और उन पर विचार करते हुए प्रधान प्रबन्धक लखनऊ ने स्थानान्तरण मंसूख कर दिया।

कारागारों में सैप्टिक शौचालयों की व्यवस्था

३—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे कारागार हैं जिनमें अब तक सैप्टिक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है तथा ऐसे शौचालय सभी कारागारों में कब तक बन जायेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह व्यवस्था अभी ५९ कारागारों में नहीं हो पाई है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी क्योंकि यह पानी की समुचित मात्रा में उपलब्धि पर निर्भर है।

४—श्री रामगोपाल सण्ड—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले सत्र के अन्दर यह घोषणा कर दी गई थी कि १२ तारीख तक सदन चलेगा वह पहली तारीख को खत्म कर दिया गया था। क्या यह सदन अब २४ तारीख तक चलेगा या नहीं ? दूसरी बात यह है कि सवा छः एकड़ वाला जो विधेयक है और उस सदन के अन्दर घोषणा की गई थी कि १६ तारीख को लिया जायेगा लेकिन इसकी अधिकृत सूचना अभी तक एजेन्डा के मुताबिक नहीं मिल रही है। इसके बारे में भी स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

सवा छः एकड़ वाला कल लिया जायेगा, यह बात मंत्रणा समिति में तय हो चुकी है। जहां तक सदन तारीख २४ तक चलने का प्रोग्राम है, हमने तो सरसरी तौर पर प्रोग्राम दे दिया है। अगर आप स्पष्ट उत्तर चाहते हैं तो यहां सीनियर मंत्री जी हैं वह दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं इस प्रश्न को क्रम से लेना चाहता हूं। नियम २४ के अन्तर्गत सरकारी कार्यक्रम निश्चित होता है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास वह आ गया है। श्री रियासत हुसैन ने ९० दिन सदन की साल में बैठकें होंगी इस बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके बारे में जो प्रस्ताव दिया है वह मेरे पास आ गया है। उसको एक दिन मैं रखूंगा। उन्होंने जो व्यवस्था का प्रश्न पूछा वह यह कि २४ तारीख तक सदन चलेगा या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं उस व्यवस्था के प्रश्न में दूसरी व्यवस्था का प्रश्न जोड़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। नियम १०३ के अन्तर्गत मेरे पास रियासत हुसैन जी ने भेजा है। मैं उसको सरकार के पास भेजूंगा और वह उसका उत्तर देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य टिहरी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो वह व्यवस्था तो पहले ही यह सदन कर चुका है कि प्रत्येक वर्ष में तीन सत्र होंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं अपने को मंत्री समझ रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो नहीं समझ रहा हूं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमन्, अपने को मंत्री समझें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसलिए कहा कि आप उत्तर दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं तो सदन के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सदन ने यह व्यवस्था की है कि ९० दिन सदन प्रत्येक स्थिति में चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी व्यवस्था को वापस ले रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं वापस नहीं ले रहा हूं बल्कि उसी में जोड़ रहा हूं कि २४ तक तो चलेगा ही, उसके आगे भी चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी ने जो कहा वह यह कि २४ तक सदन चलेगा, इसकी आपने घोषणा नहीं की। उन्हें शंका इस बात की है कि पहले ऐसा हुआ कि जो कार्यक्रम रखा गया, उसके पहले ही कार्य बन्द कर दिया गया। तो आप यह निश्चित तौर से कह सकते हैं कि २४ तारीख तक चलेगा या नहीं?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस सदन का यह निर्णय हुआ था कि सदन ९० दिन तक ३ सत्र में चलेगा। तिवारी जी जब उधर थे तब उन्होंने सदन नहीं चलाया। (व्यवधान) चाहे कोई भी सदस्य हो जब ट्रेजेरी बेंचेज पर बैठ जाता है तो उसकी घोषणा का क्या अर्थ होता है —यही अर्थ होता है कि उसकी घोषणा की पूर्ति नहीं होती।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

क्या संसदीय मंत्री मैनेजर सिंह जी हैं अथवा शान्ति प्रपन्न शर्मा जी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

दो व्यवस्था के प्रश्न एक साथ नहीं हो सकते। शान्ति प्रपन्न शर्मा जी एनाउन्स कर दें प्रोग्राम को।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अभी तक हमने १८ तारीख तक प्रोग्राम की घोषणा की है। अगली घोषणा हम २१ तारीख को करेंगे कि सदन को कब तक चलानें का इरादा है। १७ तारीख को हमने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई है, उसमें तिवारी जी भी आयेंगे और जैसा कार्यक्रम के अनुसार तय होगा उसे हम वहां निश्चित कर लेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अभी मंत्री जी ने १८ तारीख तक के प्रोग्राम की घोषणा की है। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में जो तय होता है उस सम्बन्ध में हम देख रहे हैं कि वह निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है, फिर एडजर्न हो जाती है दूसरे दिन के लिये। मैं आपका ध्यान स्टूडेन्ट्स की यूनियन से सम्बन्धित कंट्रोवर्शियल आर्डिनेंस की तरफ दिलाना चाहता हूं जो अब विधेयक की शक्ल में सदन के सामने आने वाला है। उसके लिये कोई तारीख अभी तक निश्चित नहीं हुई है और अगर १८ तारीख को कह दिया गया कि सदन अनिश्चित काल के लिये उठता है तो यह कंट्रोवर्शियल बिल रह जायगा। अगर घोषणा कर दी जाती है तो हम उसी तरह से तैयारी कर लेते।

श्री अध्यक्ष—

अगर अननुमोदन का प्रस्ताव नहीं आता है और डेढ़ महीने हो जाते हैं तो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जायगा। लिहाजा आप समझ लें कि कोई मिनिस्टर ऐसी गल्ती नहीं करेगा जिसको बिल पास कराना है कि वह अननुमोदन का प्रस्ताव सदन में नहीं पास करायेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। ९० दिन के सेशन के विषय में १०३ के अन्तर्गत उनसे पूछ लिया जायगा कि वे चर्चा कब चाहते हैं और फिर सदन में एक दिन चर्चा हो जायगी।

विधान भवन के सामने अनशन, प्रदर्शनकारी गैर-शिक्षक कर्मचारियों की गिरफ्तारी तथा सदन के परिसर को मुख्य द्वार के सामने वाले क्षेत्र तक बढ़ा देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि चाहे हम लोग सदन में इस ओर बैठें या उस ओर बैठें, विधायकों तक पहुंचने के लिये आप जनता के जो निश्चित साधन हैं अहिन्सात्मक और शांन्तिपूर्ण साधन हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। मिसाल के तौर पर विधान सभा भवन के सामने शान्तिपूर्ण अनशन करने तथा अपनी मांग को अपने विधायकों और सरकार तक पहुंचाने के लिये गैर शिक्षक कर्मचारी प्रदर्शनकारियों को गिरफतार किया गया है, क्या यह इस सदन की गरिमा के लिये उचित है ? श्रीमन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज सुबह गैर शिक्षक कर्मचारियों को गिरफतार किया गया है जो कि शान्तिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे थे तो यह कहां तक उचित है..... (व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप इसमें अपनी व्यवस्था दे दें कि विधान सभा के आस-पास का जो क्षेत्र है जिसमें धारा १४४ लगाकर लोगों को गिरफतार किया जाता है, उसे

आप सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दें जिस प्रकार कि फारेस्ट में सुरक्षित क्षेत्र होता है जिसके अन्दर कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। यहां पर विधान भवन के सामने आम जनता के लोग अपनी फरियाद को लेकर आते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

आप तो भाषण देने लगे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं यही व्यवस्था आप से चाहता हूं कि विधान सभा भवन के सामने वाला क्षेत्र आप अपने पास ले लें।

श्री अध्यक्ष---

यह जो आप कहते हैं कि सदन के बाहर की जो सड़क है उसे हम अपने परिसर में कर दें तो इसके लिये आप एक प्रस्ताव ले आयें उसे मैं सदन में रख दूंगा और सरकार का भी अधिकार है कि वह उसे सदन के सामने रखें। परिसर के बारे में हम लोग पहले भी तय कर चुके हैं कि यह इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसमें सरकार का भी कार्य होता है और असेम्बली का भी कार्य होता है, इसलिये हम इसे अपने क्षेत्र में नहीं ला सकते हैं।

जहां तक लोगों को अपने विधायकों के सामने अपनी शिकायतें या समस्यायें रखने का प्रश्न है उसमें मैं समझता हूं कि हमारे सदस्य इसे अपना कर्त्तव्य समझते हैं और वे खुद उनके पास जाते हैं, कन्स्टीटुयेन्सी में जाते हैं और जरूरत समझते हैं तो दूसरी कन्स्टीटुयेन्सी में भी जाते हैं और लोगों को सुनते हैं उनकी एप्रोच उनके पास रहती है। यह जरूरी नहीं है कि जब लोग यहां बाहर आकर डिमांस्ट्रेशन करें तभी हमारे विधायक उनको सुने या उनकी कठिनाई महसूस करें। अतः यह जो आपने तरीका रखा है वह ऐसा नहीं है कि हमारे विधायकों को अच्छा लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि वह अपना कर्त्तव्य नहीं करते हैं। अब यह बात सही है कि किस तरह से लोग ऐप्रोच करना चाहते हैं, आन्दोलन करके एप्रोच करना चाहते हैं, डिमांस्ट्रेशन करके अपनी बात रखना चाहते हैं तो यह मामला ऐसा है जिसमें अध्यक्ष बीच में नहीं पड़ सकता है। जिस बात में अध्यक्ष को तय करना हो और जिसे सदन नियमों के अनुसार उचित समझे उसे अध्यक्ष कर सकता है। आपके पास बहुत से तरीके हैं। औचित्य के प्रश्न में यह बात आती है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, आपने हमें बड़ी कठिनाई में डाल दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कौन--कौन से अख्तियारात हैं। माननीय मदन मोहन वर्मा जी के जमाने में जब इस सदन से माननीय सदस्य निकाले जाते थे तो बाहर गेट पर परचे लगा दिये जाते थे बाहर के गेट की बात है।

श्री अध्यक्ष--

वे चाहते हैं कि सड़क के उस पार जहां लोग बैठे हुए हैं वहां भी हमारा अधिकार क्षेत्र हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपके जुरिस्डिक्शन की बात कह रहा हूं। आप अपने दायरे को बढ़ाइयें, वरना लोग कैसे फरियाद करने के लिये यहां आ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

इजाजत लेकर वे यहां आ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)---

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और आपने यह व्यवस्था दी कि यदि कुछ लोग अनशन कर रहे हैं और विधायक उनके पास जाते हैं, उसी समय पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है तो यह एक ला ऐंड आर्डर का प्रोबलम है और इसमें मान्यवर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किन्तु आपकी इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा हो सकता है कि यदि विधायक लोग अनशनकारियों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आप अनशन छोड़ दें और हम उस प्रश्न को विधान सभा में उठायेंगे और उसी बीच में यदि पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर लेती है तो मान्यवर मैं, समझता हूं कि यह उचित कार्य नहीं है और मेरी समझ में यह विधान सभा के सदस्यों के सदन में कार्य करने में, अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज में बाधा उपस्थित करने की बात है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के नाते आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि यदि ला ऐंड आर्डर के नाम पर पुलिस हस्तक्षेप करती है तो आप विधान सभा के सदस्यों के अधिकारियों की रक्षा करें। यह मेरा आप से सीमित निवेदन है, व्यापक निवेदन नहीं है कि एक अनशनकारी के पास यदि कोई जाय तो उस समय ला ऐंड आर्डर के नाम पर पुलिस उनको गिरफ्तार न करे किन्तु विधायकों से तो बात करने की उनको अनुमति और सुविधा मिलनी चाहिये ।

श्री त्रिवेणी (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं आपकी सीमा को सड़क के बाहर बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि कोई फरियादी बाहर के गेट पर अपनी कोई फरियाद करता है वह फाटक जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं, तो क्या उस क्षेत्र को आप अपनी सीमा से बाहर कर देंगे ? और ऐसी ही घटना हुई है। चौथी श्रेणी के कर्मचारी विधायकों के पास गेट के पास जहां से वे प्रवेश करते हैं, आये और उसी समय पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो इस पर जरा उचित व्यवस्था दें और उसकी एक सीमा निर्धारित कर दें क्योंकि इसी में हाउस की गरिमा है, आपकी गरिमा है और विधायकों की भी गरिमा है।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये लिखित आपको मुझे देना चाहिये कि ऐसी घटना हुई और उस घटना के ऊपर चर्चा हो सकती है। प्रश्न यह है कि जब इस तरह की चीज होती है तो घटना को बतलाने के लिये यह नहीं हो सकता कि प्वायंट आफ आर्डर के नाम पर एकदम से खड़े हो जांय और उसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन करना यहां शुरू कर दें। उसके लिये तो आपको लिखित देना चाहिये कि क्या क्या घटनाएं हुईं। आप घटना की हमें सूचना दीजिये। जब मैं इस बात को समझ लूं कि इसमें कुछ हो सकता है, इसमें सदन के सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है तो मैं इस पर चर्चा करा दूंगा, लेकिन अप्रोच के नाम पर इस तरह का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। सदन के बाहर लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात है नहीं। सवाल इस बात का है कि जो घटना आप बतलाते हैं, जब मुझे मालूम हो तो उसके ऊपर चर्चा होगी और उस पर मैं फैसला दूंगा लेकिन अभी वह चीज है नहीं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, राज्य के शिक्षा मंत्री जी भी सदन में आ गये हैं। स्कूलों के गैर शिक्षक कर्मचारी दूर दूर से चल कर यहां आये हैं उन पर कृपा करें और आज शाम को ४ बजे तक सदन में उनसे एक वक्तव्य दिलवा दें ।

मैं चाहता हूं कि जब यह सवाल उठ गया है तो माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी अपना कोई वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये आप लिख कर दें ।

*श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)––

आपने हमें बोलने का अवसर नहीं दिया । मैं यह कहना चाहता था कि इस आदरणीय सदन की एक गरिमा रही है और हमारे बंधु जो इस सरकार में बैठे हुये हैं वे इस सरकार के प्रजातांत्रिक सरकार होने का दावा करते हैं और मैं मानता हूं कि प्रजातांत्रिक सरकार के लिये कुछ ऐसी चीजें हैं .....

श्री अध्यक्ष––

आप क्या चीज उठाना चाहते हैं ?

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल––

मान्यवर, मैं केवल एक बात आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन के माननीय सदस्य, जैसे कि मैं जब विधायक निवास से चला तो मुझे प्रदेश के विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के सदस्य मिले और उन्होंने कहा कि हमारे सदस्य भूख हड़ताल के लिये बैठे हैं, आप उनकी बात सुनने की कृपा करें । मैंने उनसे कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है । हम लोग खुद आपके प्रश्न पर विचार करने वाले हैं । यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सदन में रखें तो हम जरूर रखेंगे । हम उन लोगों से बातचीत करते हुये चले जा रहे थे कि पुलिस ने आकर २०,२५ उनके आदमियों को ट्रक में बिठा कर रवाना कर दिया । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय ऐसा प्रश्न उठता है उसी समय सिटी मजिस्ट्रेट विधान सभा के सामने दफा १४४ लाते हैं ? मैं ऐसा समझता हूं कि यह मेरे अधिकारों का अतिक्रमण है कि हमारे पास कोई कर्मचारी आये या जनता का प्रतिनिधि मंडल आये और वह अपनी फरियाद हम लोगों से करे तो उसके ऊपर १४४ की घोषणा करके या १४४ की धौंस देकर ट्रक में बिठा कर भेज दिया जाय और वह अपनी बात भी हम से न कह सके ।

मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन की बात के संबंध में जैसा स्थानीय अधिकारी उचित समझते हैं वैसा करते हैं । मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और सरकार की नीति से ही तो प्रशासनिक अधिकारी गाइड होते हैं । अगर सरकार की नीति होगी कि विधान सभा के सामने कोई धरना न दे सके तभी वे लोग दफा १४४ की वहां घोषणा करते हैं अन्यथा वह ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते हैं । वे आप से या मंत्री जी से जरूर राय लेते होंगे । मैं इस बात को नहीं रखना चाहता हूं कि उनकी भूख हड़ताल सही थी या गलत थी । लेकिन जो लोग अपनी मांगों को लेकर हम लोगों के पास आये थे वे अपनी बात कहना चाहते थे और हम उनकी बात सुनना चाहते थे । लेकिन जहां भूख हड़ताल हो रही थी वहां उन लोगों को पुलिस ट्रक में बिठा कर ले गई । जब तक हम उनकी नहीं सुनेंगे तब तक सदन में क्या कह सकेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल छोड़ने की मंत्री जी व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं ? वहां सरकार दफा १४४ हटाने की बात कर रही है या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मुझे एक मिनट बोलने का समय दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, विधायकों के कुछ अधिकार हैं। अगर विधायकों के कर्त्तव्य पालन करने में कोई रोक लगा दी जाती है तो हमारे वैधानिक अधिकारों पर रोक होगी। मैं आपके द्वारा माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी कृपा करेंगे। सदन के बाहर दफा १४४ लगाकर जो दृश्य ७ दिसम्बर को पैदा कर दिया था वही दृश्य आज पैदा कर दिया है। यह परम्परा उस समय तक नहीं टूटेगी जब तक माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी गृह मंत्री रहेंगे।

*न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन के इन माननीय मित्रों की भावना को एक प्रकार से आदर की दृष्टि से देखता हूं और मैं खयाल करता हूं कि उनकी यह भावना सही हो सकती है। माननीय सदस्यगणों से यदि कोई अपनी बात कहना चाहे तो जरूर उसको अवसर मिलना चाहिये कि वह अपनी बात कह सके और माननीय सदस्य उसको सदन के समक्ष रख सकें, इसमें किसी को कोई कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यह जो दफा १४४ वाली बात है इसको आमतौर पर न तो सरकार दिन-ब-दिन यहां देखती है और, मान्यवर, आप मुझे क्षमा करें न आपकी ओर से ही कभी यह आदेश जाते हैं कि अमुक स्थान पर १४४ लगा दी जाय। आमतौर पर जिले के अधिकारीगण अपने विवेक से इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह जो मांगें हैं उनमें जो न्यायोचित बात है, जैसे कि गैरशिक्षक कर्मचारीगण हैं या अध्यापकों के और दूसरे वर्ग हैं उनके सम्बन्ध में यह सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है और यह निश्चित है कि बहुत शीघ्र इसका निर्णय ले लेगी। अब इसके संबंध में नित्यप्रति यह हो, वह हो, कुछ लोग इधर से कहें तो हमारे मित्र "शेम-शेम" कहने लगें तो हमारे मित्र कहें नहीं, यह आपके लिये खुशी का मौका नहीं है, इस सब की आवश्यकता नहीं है। हम इस संबंध में निश्चित रूप से निर्णय ले रहे हैं और इसमें कहीं, किसी प्रकार की बाधा हमारे सामने नहीं आती। बल्कि एक बात और कहना चाहता हूं कि बिना इन प्रदर्शनों के भी यह सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी और प्रदर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं कैसे कहूं कि प्रदर्शन तो कई समय हमारे मित्रों द्वारा बल्कि दूसरे बाहरी तत्व हैं उनके द्वारा परिचालित किये जाते हैं और उनको ऐग्रेवेट किया जाता है कुछ पर्सनल पोलिटिकल ऐग्रेन्डाइजमेंट के लिये और हमारे माननीय सदस्य कृपया ऐप्रीशियेट करेंगे इस भावना को कि जब हम सब मिल कर स्थिति पर विचार कर रहे हैं और निश्चित ही निर्णय वही होगा जो कि अधिकाधिक लाभ करे तो इन प्रदर्शनों की आवश्यकता नहीं है।

रहा यह है कि कोई जनता का या कोई वर्ग विशेष हमारे मित्रों से कुछ कहना चाहे तो मैं तो समझता हूं कि न तो उनके कमरे में जाने में कोई रुकावट है, न सदन में कहने की कोई रुकावट है। उनसे सड़क पर मिला जाय तभी वह मिलन सम्पन्न हो, ऐसा सरकार नहीं मानती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं यह कहूंगा कि इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार सरकार पर जिसको कहते हैं मोटिव इम्प्यूट करना, वह न करें। और इन बातों के बारे में सरकार की ओर से कोई आदेश ऐसा नहीं है कि १४४ यहां लगायें या न लगायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बड़े महत्व की बात कह दी कि हमने न कोई बात की, न कोई आदेश दिया। अगर यह सरकार बहादुर होती तो वह कहती कि हां, हमने दफा १४४ लगवाई। लेकिन दफा १४४ लगवाने के बाद भी कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप आक्षेप कर रहे हैं।

श्री नाराणयदत्त तिवारी—

आक्षेप की बात नहीं है। तो यह जो कायर सरकार है....

श्री अध्यक्ष—

आप.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमारा अधिकार है यह कहने का।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं समझता कि आपका अधिकार है कि आप किसी के ऊपर लांछन लगायें। जब वह डिनाई कर रहे हैं तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकार के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

हां, सरकार के ही लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मसले पर कि यहां पर जो जलूस आते हैं उनका क्या किया जाय? होम सेक्रेटरी, आई० जी०, डी० आई० जी० और डी० एम०, लखनऊ की कोई बैठक हुई या नहीं कि क्या कार्यवाही की जाय?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित प्रश्न पूछिये। सडेनली एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करना शुरू करें, यह ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो चुपचाप बैठा था। लेकिन यह सरकार जब बार बार कहती है कि १४४ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है तब मुझे कहना पड़ता है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी से हमने सुन लिया कि वह हमारे अधिकार की रक्षा नहीं करना चाहते। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था करें कि हम लोगों से जब आदमी मिलने को आते हैं तो उनको कोई रुकावट न हो। सरकार से हम उम्मीद खो चुके। सरकार से हम आश्वासन की उम्मीद करते थे लेकिन मंत्री जी से हम लोग निराश हो गये। तो आप व्यवस्था जरूर करें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने एक व्यवस्था दे दी कि जो कार्यक्रम चल रहा है वह सदन का चलेगा और इस बीच में अगर कोई नया प्रश्न उठाना हो तो हमारे पास घटना लिख कर भेजिये कि सदन के सदस्यों के किस अधिकार की रक्षा करनी है, तब नियम के अनुसार जो होगा यदि उसको हम जरूरी समझेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अन्य कार्यक्रम के बीच में नए प्रश्न पर भाषण करना उचित नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक जीरो आवर रख दीजिये ....

श्री अध्यक्ष---

जीरो आवर से तो सेंटर में डिल्लन साहब ने कहा कि उनक सर में दर्द हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप तो बड़े अनुभवी हैं.....

श्री अध्यक्ष---

इसीलिए मेरे सर में दर्द नहीं होता, लेकिन मैं सदन का काम जरूर कराना चाहता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

देवरिया वाले में हम उम्मीद करते थे कि आप उसके विवाद का हमें मौका देंगे, तो कब मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

अभी स्टेटमेंट नहीं हुआ, जब हो जायगा तो मिलेगा।

श्री रामलाल राही के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार का प्रश्न सुरेन्द्र विक्रम जी ने उठाया है। इसमें लिखा है कि, "निम्न-लिखित अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं और आपके समक्ष उपस्थित करूंगा कि दिनांक १० दिसम्बर, १९७० को सदन में श्री रामलाल राही, सदस्य विधान सभा ने माननीय न्याय एवं परिवहन मंत्री, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के संबंध में यह चर्चा की कि उन्होंने सीतापुर के सिविल सर्जन से श्री श्यामलाल रावत के भाई के सम्बन्ध में यह कहा कि वे उन्हें बीमार दिखा दें जिससे जमानत हो जाय। उनका यह कथन भ्रम-मूलक और सत्य से परे है और इससे सदन का अवमान होता है तथा श्री रामलाल राही ने विशेषाधिकार भंग किया है। अतः मैं निवेदन करता हूं

कि श्री रामलाल राही के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न सदन द्वारा विचार किया जाय तथा उन्हें दंड दिया जाय ।"

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सदन मेंजब एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं और जब मैं मौका दे देता हूं और उसमें आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो यह मुझे बहुत उचित नहीं लगता है कि उसके बाद कोई चीज शिकायत की रह जाती है । तो न्याय मंत्री जी ने उसके ऊपर उसी वक्त जवाब दे दिया, मैंने इजाजत दे दी थी । इसलिए प्रश्न विशेषाधिकार का उठता नहीं है । मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं ।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं स्वयं इन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने उसको रिपीट किया । अगर उसको रिपीट न करते कि मेरा ऐसा कहना ठीक है और उसको वह स्वीकार करते तो मुझे जरा भी कठिनाई नहीं थी, लेकिन जब मेरे कहने के बाद भी रिपीट करने की चेष्टा की और जोर से रिपीट किया तो वह जरा दूसरा विषय हो जाता है । इसलिये मेरा निवेदन यह था कि मेरी कोई ऐसी बहुत इच्छा नहीं है कि प्रिविलेज कमेटी में जाय और उसमें डिस्कशन हो, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि सदन का एक स्तर मेंटेन किया जाना चाहिये और आज यदि मेरे संबंध में या किसी माननीय मंत्री के संबंध में कहा जा सकता है तो मैं कैसे कहूं ? इतना कह सकता हूं कि माननीय सदस्य की १०-५ स्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं कि ऐसा होना चाहिए, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा । इसलिए मेरा निवेदन यह था कि यदि उनको इसके संबंध में जरा भी.....

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस व्यवस्था के अन्दर माननीय विक्रम जी ने एक प्रश्न उठाया, आपने एक रूलिंग दे दी, तो माननीय लक्ष्मीरमण जी किस व्यवस्था पर बोल रहे हैं और किस विवाद की सफाई देने लगे ? वह कौन सी व्यवस्था है जिसके अन्दर वह भाषण दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं रोक ही रहा था, लेकिन उनकी भी एक बात सही है । उसके साथ बहुत सी चीजें आती हैं । यह होता है कि किसी ने एक आरोप लगाया तो उसका जवाब दूसरी तरफ से दे दिया गया । जिसने आरोप लगाया उसके लिये यह तरीका रहा कि वह रिगरेट कर देता है कि और कहता है कि वह स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट है । कुछ लोग यहां पर आवेश में रहते हैं । यहां की प्रथा को पूरी तरह से समझते हैं नहीं । 'पूरी तरह से समझते नहीं' यह कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसा कहता हूं । इसका तात्पर्य यह है कि यहां का हमेशा यह तरीका रहा है कि जिस वक्त किसी ने किसी सदस्य पर आरोप लगाया और जिस पर आरोप लगाया उसने यदि कह दिया कि ऐसी बात नहीं है तो आरोप लगाने वाला तुरन्त उसे समाप्त कर देता है । जब अंग्रेजी में बोलते थे तो 'आइ रिगरेट' का, 'आइ अपोलोजाइज' शब्द का इस्तेमाल वह करते थे । इस तरह से वह चीज कह कर समाप्त हो जाती थी लेकिन यहां पर अब यह होता है कि बहस करने लगते हैं और हमले होने लगते हैं । बहुत सी चीजें गलत साबित होती हैं । जैसे उस दिन वह कपूर वाली बात थी जिसको मैंने समाप्त कर दिया था और अपना फैसला दे दिया लेकिन फिर भी लोगों ने उसको जारी रखा । मैंने कह दिया कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । तो भी वह बोलते चले गये । अगर हर चीज को विशेषाधिकार समिति में ले जायंगे तो कठिन हो जायगा । उस दिन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था कि विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर इंग्लैंड में भी चर्चा होती है । बहुत सोच समझ कर उसको विशेषाधिकार समिति में भेजते हैं । तो हर प्रश्न को विशेषाधिकार समिति में भेजना अच्छा नहीं होता है । जब आपने जवाब दे दिया तो जिनको विश्वास करना है वह विश्वास कर लेंगे, यह प्रथा उनको मालूम नहीं है इसलिये वह बोलते चले गये, वह बात वहीं समाप्त हो गयी थी ।

'तरुण भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री इन्द्रलाल जी ने 'तरुण भारत' के ऊपर दिया है कि कोई चीज उन्होंने कही थी। यहां पर जो व्यवस्था के प्रश्न उठते हैं उस पर दूसरे लोग भी बोल देते हैं। नित्यानन्द जी ने भी कुछ कहा था यशपाल कपूर के बारे में। मैंने कहा था कि जो सदन में उपस्थित नहीं है उसके ऊपर चार्ज लगाना ठीक नहीं है क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं और वह अपने को डिफेन्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। आपको कुछ कहना हो तो लिखकर दीजिये, मैं इन्क्वायरी कर लूंगा। इसके बाद सोनकर जी ने कुछ कह दिया और बख्शी जी ने उसका प्रतिवाद करने के लिये कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोनकर जी ने माफी नहीं मांगी। ऐसी बातें मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन यह चीज जो अखबार में छपी है, मेरे कहने के बाद छपी है। मैंने यह कहा था कि जिन लोगों के प्रति इस तरह की बातें कही गई हैं वह प्रथा के विरुद्ध हैं। बाहर वालों के ऊपर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिये क्योंकि वे अपने को डिफेन्ड करने के लिये यहां पर नहीं हैं। जो ये बातें कार्यवाही में हैं उनको मैं निकाल दूंगा।

इन्द्रलाल जी ने जो यह दिया है, वह बतायें कि क्या त्रुटि रह गई है जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है। अगर यह चीज उन्होंने की है तो वह स्पष्ट बतायें कि कहां पर वह बात हुई है। वह इसको स्पष्ट कर दें। मैं कल इसके ऊपर अपना निर्णय दूंगा कि कौन कौन सी उन्होंने आक्षेप की बात छापी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

इसमें ऐसा है कि आपने शायद कुछ एक्सपंज करने के लिये यहां पर कहा था। हम लोग जितना समझते हैं शायद वह कोई भी समझ नहीं पाया। प्रेस भी समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर यह बात नहीं होगी। आप मेरे कमरे में आकर जो कहना हो कहें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जो आपने कहा वह हमें तो सुनाई नहीं दिया।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

हम कहते हैं कि हमको तो सुनायी दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपकी क्या व्यवस्था है यह समझ में नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था यह है कि आज फैसला नहीं होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जो आपने कहा, वह लोगों ने भी सुना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

जो आपने कहा है वह बहुत से माननीय सदस्य नहीं समझ पाये हैं। कृपया आप उसे भी पूरा पढ़ दें ताकि सदन के सभी सदस्यों को मालूम हो जाय।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आप इसको पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं विशेषाधिकार, कार्य-स्थगन या कामरोको प्रस्ताव में मैं फैसला दे दूं तो आप पूछ नहीं सकते हैं कि क्यों दिया। यह अखबार मेरे कमरे में रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं तो केवल यह आग्रह कर रहा हूं कि जैसा आपने पहले माननीय सदस्य के बारे में पढ़ा उसी प्रकार से इसे भी माननीय सदस्यों के सूचनार्थ पढ़ कर सुना दें?

श्री अध्यक्ष—

चूंकि वह मुझे नामंजूर करना था इसलिये मैंने पढ़ कर सुना दिया। अगर यह चीज ऐसी हुई है कि उन्होंने, जो मेरा फैसला हुआ है, वह भी छापा, वह चीज छपी जो आपने कही, तो ऐसी चीजें जब हुयीं, अगर मैं इसको भी नामंजूर करूंगा तो पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, आप जो बात कहते हैं, वह पूरी समझ में नहीं आती है। या तो आप पूरी बात कहें अन्यथा इसे पढ़ दें?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, वे भी मेरा समर्थन कर रहे हैं कि आप की बात पूरी नहीं सुनाई दी। मैं इतना बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने भी मेरी बात का समर्थन किया है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि उनके साथ जो मेरी बात हुयी वह मैंने पूरी तरह से नहीं सुनायी। अर्ग्यूमेंट था। वे वकील जरूर हैं लेकिन जैसा उन्होंने माननीय लक्ष्मी रमण जी ने बताया, सवाल यह आता है, आप सोचिए कि मैंने माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य के उत्तर में कहा था कि आप समझते हैं कि मैंने पूरा नहीं कहा। एक तरीका आप ने उपस्थित किया कि पूरा छपा लेकिन जो आपने फैसला दिया वह निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि हमला तो बना रहा, उनका उत्तर और सब बातें तो आयीं ताकि दुनिया भर को जाहिर हो जाय लेकिन अध्यक्ष ने जो निर्णय में कहा कि वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह नहीं छापा। तो आक्षेप की बात बिल्कुल थोड़े से में अर्थात् संक्षेप में कह दी जो बात उनके दृष्टिकोण के खिलाफ जाती थी, वह नहीं छपी लेकिन वह चीज छाप दी जो आक्षेप किया था जिसको मैंने अवैध करार दिया था। यह बात नहीं, प्वाइन्ट तो यह है और क्या क्या छपा यह मुझे फिर देखना है। यह चीज अगर किसी इरादे से हुई है तो वह अखबार के सिद्धान्त के खिलाफ हो जाती है। इसलिए मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि इसमें कौन-कौन से आक्षेप आप पर हैं, तब कहीं मैं इस पर निर्णय दूंगा। मुझे यह चीज मालूम होनी चाहिये। आज मैं फैसला नहीं, कल यह प्रश्न फैसले में लूंगा।

जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव स्थगित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य†

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री मोतीलाल देहलवी)—

जिलाधिकारी, देवरिया ने सूचित किया है कि जिला सहकारी बैंक, देवरिया का आम सालाना जलसा ६ दिसम्बर, १९७० को निश्चित था परन्तु जिलाधिकारी के समक्ष ५ दिसम्बर, १९७० के शाम को ५.३० बजे एक याचिका श्री तेजनारायण उपाध्याय, प्रतिनिधि, लाखपुर सहकारी

†८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

समिति द्वारा तथा तत्पश्चात् दूसरी याचिका उसी दिन श्री केदारनाथ साही एवं अन्य द्वारा दी गयी। ये प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ के नियम २२९ (२) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी, देवरिया ने बैंक की ६ दिसम्बर, १९७० को होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक तथा संचालकों के चुनाव को स्थगित करने के आदेश दिए तथा परगनाधिकारी, सदर को याचिकाओं में उल्लिखित आरोपों पर विचार करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त कर दिया। जिलाधिकारी के आदेशों की एक प्रति सदन के मेज पर रख दी गयी है। जिलाधिकारी का कहना है कि उक्त याचिकाएं दिनांक ५-१२-१९७० को बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की गयी थीं। अतः उनके संबंध में पारित आदेशो की सूचना बैठक के ही दिन दी जा सकी। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्देश जिलाधिकारी को नहीं दिए गए थे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५७१ पर)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये था। इसमें चर्चा नहीं होगी। यदि इसमें कोई आक्षेप आपको है तो आप लिखकर भेजिये। मैंने यह केवल वक्तव्य के लिये दिया था।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

समाज कल्याण मंत्री (श्री रामसागर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसागर—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७२-५७३ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०†

*न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

---

† ८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का एक निर्णय हुआ था जिसके फलस्वरूप एक अध्यादेश निकाला गया था। उसका नाम था उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७०। उसमें हाई कोर्ट ने एक दो बातों पर आपत्ति उठायी थी। ऐसा है कि फक्टरी को एक मन पर २५ पैसा परचेज टैक्स के रूप में देना पड़ता है और एक यूनिट को ५० पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। यदि यह टैक्स बकाया रह जाय तो उसपर ६ प्रतिशत का सूद लिये जाने की व्यवस्था थी। जब से यह बकाया रहे तब से जब तक अदा न हो जाय तब तक। इस सूद के बारे में कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है एक तो यह हमने इस आर्डिनेन्स के द्वारा व्यवस्था की थी दूसरे सूद की दर को ६ प्रतिशत से बढ़ा कर ९ प्रतिशत कर दिया था। सूद के संबंध में सूचना देने वाली बात को खत्म कर दिया। अब हम उसी आर्डिनेन्स को रिपील करके यह विधेयक लाये हैं। इसमें मुख्य रूप से धारा ३ और धारा ५ में ही संशोधन है, उसी को और स्पष्ट किया गया है। मैं इस आदरणीय सदन का बहुत समय नहीं लूंगा। सदन कृपया उस पर विचार करे। यदि कोई बात नयी माननीय सदस्यों द्वारा उठायी जायेगी या पूछी जायेगी तो मैं उसका उत्तर बाद में दे दूंगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानपूर्वक मन्त्री जी की बातों को सुना। आज हम सरकार को धन एकत्र करने के लिये राह बताना चाहते हैं और उसमें सरकार की मदद करना चाहते हैं। अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी ही इस प्रस्ताव को लाते, उससे उनकी कुछ चिन्ता भी दूर होती और धन एकत्र करने का जो रास्ता बताया जा रहा है, वह भी उनको मालूम होता। सरकार की बदनामी हुए बगैर करोड़ों की आय इस सरकार को हो सकती है, मैं वह रास्ता सरकार को बतानें जा रहा हूं। श्रीमन्, ९ प्रतिशत जो किया जा रहा है हमें इसका विरोध नहीं करना है। मैं यह चाहता हूं कि कुछ और भी बातें ऐसी हैं जो इस विधेयक में आना चाहिये। मैं उसके लिये आगे चल कर अपना संशोधन उपस्थित करूंगा। उस पर अगर मंत्री जी विचार करें तो उनकी भी सेवा होगी और सरकार की भी सेवा होगी। श्रीमन्, जो गन्ना मिल वाले या उनक रिश्तेदार पैदा करते हैं उस पर यह सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है और यह लोग लाखों क्विन्टल गन्ना हर साल पैदा करते हैं। २०–२५ हजार एकड़ भूमि उनके पास फार्म के रूप में है। उन पर जब से सेस लगा, या उनके स्थान पर बाद में जब से परचेज टैक्स लगा, उस पर मिल वालों ने एक पैसा भी नहीं दिया है। यह रकम करोड़ों रुपये की होगी। मैं मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस बात का पता लगावें कि इस प्रकार से कितना रुपया मिल वालों पर बाकी है। आप को ऐसा संशोधन लाना चाहिए था। मैंने अभी आपकी सेवा में एक संशोधन भेजा है, जिसके अनुसार धारा ३ को संशोधित कर दिया जाए, जिससे वह गन्ना भी उसमें शामिल हो जाए। उसको सरकार ने कभी एक्जेप्ट नहीं किया है, फिर भी उन्होंने दिया नहीं है।

इसी प्रकार सूद की बात मैं कहना चाहता हूं। ६ प्रतिशत से ९ प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। श्रीमन, सरकार के ऊपर अगर पिनाल्टी लगती है तो वह १८ प्रतिशत तक लगती है। यह मेरी समझ में बात नहीं आई है कि मिल वालों पर जब बाकी रहे तो उनके साथ रियायत रहे और उन्हें ९ प्रतिशत का ही सूद देना पड़े। मैं समझता हूं, जो संशोधन हमारा आगे आने वाला है, उसको स्वीकार करें तो लाखों रुपये वर्ष की आमदनी बढ़ सकती है। इस समय मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन संशोधनों पर विचार करें और विचार करते हुए इस बात को ध्यान में न रखें कि सरकार की तरफ से जो संशोधन आया है उसी को मानना चाहिए। जो चीज अच्छी हो, चाहे जिस ओर से आए, उसे मानना चाहिए। मैं सरकार की मदद करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सरकार के खजाने में कुछ अधिक रुपया आए, जिसके लिये सरकार चिंतित है। इस प्रकार से करोड़ों रुपया लोगों के पास से निकलेगा, जो उसको मिलना चाहिए था। उस रकम को वह जनता की भलाई के लिए खर्च करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

डेढ़ घंटा इसके लिये है। कुछ लोग अमेंडमेंट पर बोलेंगे और कुछ जनरल डिस्कशन पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मंत्री जी पहले जवाब अब दे दें, फिर मैं बाद में बोलूंगा।

श्री महीलाल—

जनरल डिस्कशन चल रहा है, पहले वह इस पर अपने विचार प्रकट करें, फिर मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही छोटा सा विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया है और जो कठिनाइयां थीं, उनका निवारण इस विधेयक से हो जाता है। लेकिन साथ ही मैं गेंदा सिंह जी का बड़ा समादर करता हूं कि उन्होंने संशोधन दिया है कि ९ के बजाय १८। सरकार ने ६ से ९ किया है। हमारे बुजुर्ग साथी, गेंदा सिंह सरकार में भी रह चुके हैं और जब तक वह रहे ६ का ६ ही रहा, ७ भी नहीं हुआ और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कम से कम डयोढ़ा तो किया, उनको इस पर संतोष होना चाहिए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि यदि वह सरकार ७४ तक रह गई तो आपकी यह आकांक्षा भी पूरी होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। वह इसलिए कहता हूं कि आज वस्तुओं की कीमत कैसे तय की जाय इसकी न राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति है और न राज्य स्तर पर कोई नीति है। नतीजा यह है कि उत्पादक मरता जा रहा है। मुझे सही आंकड़े नहीं मालूम हैं, माननीय गेंदा सिंह गन्ना उत्पादकों की अध्यक्षता कर आये हैं शायद उन्हें मालूम हो। लेकिन हमें बताया गया है कि आज चीनी मिल मालिकों पर गन्ना उत्पादकों का करीब चार-पांच करोड़ रुपया बकाया है। आप कहते हैं कि दस करोड़ है। उनकी जानकारी अधिक है।

यह बकाया रकम पिछले वर्ष ३७ लाख थी। बावजूद भूतपूर्व सरकार के रिसीवर नियुक्त करने के, सरकार ने क्रय कर भी माफ किया। इस वर्ष उनके साथ मेहरबानी हुई शायद एक्साइज ड्यूटी भी माफ हो गयी। सारी राहत मिल मालिकों को दे रहे हैं और वे चोट डाल रहे हैं गरीब किसानों पर जो गन्ने का उत्पादन करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक केवल वस्तु का रूपांतर करते हैं, अगर गन्ना पैदा नहीं होगा तो सारी चीनी मिलें बेकार हो जायंगी। इसलिए कोई नीति निर्धारित करते समय सोचना होगा कि गन्ने की वास्तविक कीमत क्या हो? महात्मा गांधी के समय में एक विचारधारा जरूर चली थी कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी। एक आनुपातिक मूल्य रखा जाय। लेकिन बराबर प्रयास करने के बाद भी आज तक कोई नीति निर्धारित नहीं हुई कि गन्ने का दाम क्या होगा और चीनी का दाम क्या होगा। सात रुपये बहुत कम हैं। गन्ना उत्पादकों ने तय किया था दस रुपये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार के बाहर की बात है तो केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि गन्ने की कीमत दस रुपये हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस छोटे से विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सदन के समक्ष····

(श्री छेदालाल चौधरी के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायण दत्त तिवारी से) आप किसको चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आपने कृष्णकान्त अवस्थी जी को कह दिया। मेरा कहना ठीक नहीं है कि मैं इनको चाहता हूं। चूंकि आपने कृष्णकान्त अवस्थी जी को पहले यह दिया है, उनके बाद मैं आग्रह करूंगा कि आप माननीय छेदालाल जी को समय दे दें।

*श्री कृष्णकान्त--

जो सदन के समक्ष माननीय गेंदा सिंह जी ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ में निवेदन करूंगा कि गन्ना उत्पादकों के ऊपर सरकार की नीति उपेक्षा की रही है। श्रमिक वर्ग को मैं देख रहा हूं हर तरह से कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। उनको अपने उत्पादन का पूर्ण धन प्राप्त नहीं हो पाता। सीतापुर जिले में सैकड़ों की संख्या में क्रशर हैं लेकिन वहां डेढ़ दो रुपये क्विंटल में किसानों का गन्ना खरीदा जाता है। नतीजा यह होता है कि गन्ना उत्पादकों को अपने श्रम का मूल्य नहीं मिल पाता है जब कि मिल मालिकों को अधिक मिलता है। तो मैं सरकार की जो नीति किसानों के प्रति है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जो क्रशर में गन्ना पेरा जाता है उसका मूल्य भी निश्चित होना चाहिये जिससे गन्ना उत्पादकों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही साथ जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा है कि जो गन्ने के एरिया में बड़े बड़े फार्म वाले हैं उनको सीलिंग से भी छोड़ दिया गया है। नतीजा यह होता है कि उनको परचेज टैक्स भी नहीं देना पड़ता है और वह पूरा-पूरा लाभ भी उठा रहे हैं और आज की स्थिति यह हो गई है कि मिल मालिक क्रय केन्द्र नहीं चलाते हैं और किसानों का गन्ना खड़ा हुआ है। गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ है और सरकार ने मिल मालिकों को इसके लिए मुआवजा दिलाया है। मैं सीतापुर के बिस्वां मिल की बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इससे उसका सम्बन्ध नहीं है। जनरल बहस में बहुत सी चीजों को नहीं मिलाना चाहिये।

श्री कृष्णकान्त---

जो गेंदा सिंह जी ने सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)---

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं खीरी जिले से आता है वहां पर एशिया की सबसे बड़े चीनी मिल गोला में है। वहां पर नेवटिया साहब का फार्म है, है जहां वह गन्ना पैदा करते हैं। जो चीनी मिल का क्षेत्र है वहां से भी उनको गन्ना मिलता है। यह क्षेत्र बहुत विशाल है और इसका पुनःगठन नहीं हो रहा है। उनकी फैक्ट्री जो है उसकी यह कोशिश रहती है कि देर में चले और जुलाई तक चलती रहे। पिछले वर्ष १६ जुलाई तक या देर तक का रिकार्ड है। इसका नतीजा यह होता है कि सरकार की तरफ से उनको बिक्री-कर में छूट दी जाती है और कहा जाता है कि उनको किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी है। जब गन्ने के क्षेत्र रिजर्व हुये थे उस समय गन्ना कम बोया जाता था और उस समय यह क्षेत्र ठीक थे परन्तु अब ज्यादा गन्ना बोया जाने लगा है इसलिये इन क्षेत्रों का पुनर्गठन होना चाहिये। प्रत्येक मिल मालिक को उतना ही क्षेत्र दें जितना कि वह सीजन के अन्दर पेर सके और बाकी क्षेत्र गन्ना का किसी दूसरे मिल वाले को दिया जाय ताकि वह समय के अन्दर पेरा जा सके और सरकार को बिक्री कर मिल सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छेदालाल चौधरी]

दस वर्ष से पलिया में गन्ने की मुख्य उपज पैदा की जाती है। इसके लिये सरकार की चीनी मिल लगाने की योजना थी। उसमें गन्ना ७० में लिया जाने वाला था। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने अधिक गन्ना पैदा करना शुरू कर दिया। तो अब उस मिल के न चलने से वह गन्ना सड़ेगा। तो मेरा कहना है कि सुरक्षित क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और प्रत्येक मिल को इतना एरिया ही दिया जाय जितना कि वह पेर सके और गन्ना कम न पड़े और किसानों को भी गाढ़ी कमाई का पैसा मिल सके। इतना कह कर मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हित के लिये सोचने पर ध्यान दिया। मैं आपके द्वारा इस प्रदेश के ३२ जिलों के ४१,००० गांवों में रहने वाले २२ लाख किसानों की हितों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसानों का दस करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है। आपने यह संशोधन रखा है कि ६ फीसदी के स्थान पर ९ फीसदी कर दिया जाय। मैं इसका स्वागत करता हूं। उनको करना चाहिए। लेकिन यह कैसे होगा। आप यह सोच लीजिये कि आज उन किसानों की क्या दशा है। वे अपनी औरतों का जेवर गिरवी रख रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और इस ठंडक में वे पुआल जलाकर तापते हैं। आज किसानों के पैसे से मिल मालिक मौज उड़ा रहे हैं। उधर किसानों को एक आना रुपया सूद पर लेना पड़ता है तब वे अपने बच्चों की परवरिश कर पाते हैं।

मैं आपका ध्यान शुगर फैक्टरी, नवाबगंज की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर दो लाख रुपया मिल मालिकों ने केन यूनियन को दिया और वहां के किसानो को पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला यह भी बतला दूं। वहां पर फैक्टरी बन्द है, हड़ताल हो रही है। उसकी सूचना मुख्य मंत्री और गन्ना आयुक्त के पास आयी। लेकिन क्या कार्यवाही की गयी? वहां के सी० डी० आई० को वहां के व्यापारियों ने पटाया और दो लाख रुपया मिल मालिकों ने दिया है २५ रुपया कम दाम पर पुरजी खरीदी थीं तो वहां के सी० डी० आई० को ५ रुपया फी पुरजी के हिसाब से देकर दो लाख रुपया पेमेंट किया गया। इसलिए यह जो आप कर रहे हैं यह किसानों के हित के विरुद्ध है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठावें। जो पुराना बकाया है उसको तो दिलायें ही। आज भी उन्हें वह दाम नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बैलगाड़ियां नहीं मिल रही हैं। उनकी पुरजी रद्द हो रही है। आपका नियम है कि तीन साल के कोटे पर पुरजी दी जायं। ये तीन साल ये हैं—६४–६५, ६५–६६ और ६६–६७। जिस साल गन्ना कम पैदा हुआ था उसका कोटा जोड़कर हिसाब बनाते हैं। सन ६९ में जून तक मिलें चलीं और फिर भी गन्ना पेरा नहीं जा सका और तब किसान परेशान था। आज उनका कोटा घटा दिया गया है। जो प्रभावशाली लोग हैं वे गन्ना आयुक्त से किसी तरह अपना कोटा बढ़वाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार की तरफ से एक आदेश प्रसारित किया जाय कि सन ६९ में जिसने जो गन्ना दिया है वही उनका कोटा माना जाना चाहिए जिससे किसानों की परेशानी दूर हो सके। सदन में जब इस तरह के संशोधन आते हैं तो इसलिए आते हैं कि प्रदेश की सरकार की निगाह किसानों की तरफ जाय।

आज गन्ने के दाम रु० ७.७० या ७.६५ के हिसाब से मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गन्ने का दाम कम से कम १० रु० निर्धारित करने के लिये प्रस्ताव पास करके मनवाना चाहिये

सरकार को। हमारे साथी कह रहे हैं कि ९ रु० हो रहा है। अब तो हमारे साथी अक्ल गुम वाली कुर्सी पर चले गये हैं श्री राजित राम जी। उन्होंने हमेशा किसानों के हित में ही बात कही है अब शायद सरकार से भी उनके हित में कुछ करवा सकें। आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत के बारे में तथा उनको अधिक दाम दिलवाने के बारे में किसानों को ही बुलाया जा रहा है। इसके लिये बराबर मीटिंग्स होती रही हैं कि किसानों को उनके बकाये की रकम को जल्दी से जल्दी दिलवाया जाय। कलेक्टर भी मीटिंग को बुलाते रहे हैं और वह यही कर देते थे कि तारीख डाल देते थे और उसके बाद वे हमेशा के लिये चले जाया करते थे। इस बारे में गन्ना आयुक्त महोदय ने भी कहा था कि और मुख्य मंत्री जी ने भी इस विषय में कहा था कि दाम उनको जल्दी ही मिल जायगा परन्तु वह नहीं हो सका। इसका कारण तो यही समझ में आता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी का वरदहस्त सदा से ही मिल मालिकों के ऊपर रहा है।

जब चौधरी चरण सिंह थे और श्री कृष्णानन्द राय जी किसानों के हित की वकालत करते थे परन्तु यह देखा गया कि जैसे ही वह दाहिनी ओर की कुर्सी पर बिराजे उनकी आवाज बदल गई। किसानों की समस्या को हल करने के लिये यह सूद की दर को हमारे गेंदा सिंह जी ने १८ प्रतिशत रखा है परन्तु मेरा तो यह विचार है कि यह दर बहुत कम है और इसको कम से कम ५० प्रतिशत मिल मालिकों पर करना चाहिये अन्यथा हमारे मिलमालिकान किसानों का पैसा देने वाले नहीं हैं। पुराना बकाया तो पड़ा है और नया बकाया होता चला जायगा। हमारे प्रदेश में ७१ फैक्ट्रीज हैं जिनमें से शायद ही कोई फैक्ट्री होगी जिसने की पेमेंट करना आरम्भ कर दिया हो। हमारे जिले में जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने अभी तक पेमेंट करना आरम्भ नहीं किया है। आशा है कि आप हमारे गन्ने की इस कठिन समस्या को अध्ययन करेंगे और सरकार का ध्यान इस ओर दिलवायेंगे कि गन्ने के दाम मुनासिब और उचित समय पर किसानों को मिल जाय। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जो सदन के सामने प्रस्तुत है इसमें ६ फीसदी से ९ फीसदी सूद बढ़ाने की मांग की गई है। मैं समझता हूं कि इसका शायद ही कोई विरोध करेगा लेकिन, मैं चूंकि माननीय न्याय मंत्री जी यहां पर आसीन हैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप सूद बढ़ा रहे हैं और उसको ९ कर रहे हैं लेकिन जो पहले सरकार थी उसने परचेज टैक्स में ७५ पैसे फी कुन्तल की छूट दी थी परन्तु अब जो सरकार आई है उसने २५ पैसा फी कुन्तल पहली दफा ही छोड़ दिया। पहली सरकार ने मई और जून में छोड़ दिया था और इस सरकार ने २५ पैसा फी कुन्तल छोड़ने का एलान शुरू में ही कर दिया। यह कहा गया कि हम यह छूट इसलिये दे रहे हैं कि मिलें जल्दी चलें। पहली वाली सरकार कह रही थी कि वह इसलिये है कि मिलें देर तक चलें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष सरकार के ही पास २६ मिलें थीं तो वहां परचेज टैक्स में छूट की बात समझ में नहीं आती। सूद बढ़ाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती। जिन मिल मालिकों पर किसानों का रुपया बकाया है उनसे किसानों को रुपया दिलाने का प्रयास सरकार ने नहीं किया और न ही सरकार ने जिन मिलों को अपने हाथ में ले रखा है उनका रुपया किसानों को दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनको रुपया क्यों नहीं दिया गया? इस प्रदेश के किसान के साथ सरकार ऐसा कर रही है। अगर कोई व्यापारी करे तो बात समझ में आ सकती है। सरकार भी किसानों के साथ वही व्यवहार कर रही है जो मिल मालिक करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिन मिलों में सरकार ने अपने रिसीवर बैठा रखे हैं वहां गत वर्ष का ही रुपया नहीं बल्कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री रामचन्द्र विकल]

कई वर्षों का रुपया नहीं दिया गया, जहां तक मुझे जानकारी है। किसानों के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है। वह अपनी गाढ़ी कमाई पहले पेश करता है और अपना दाम नहीं पाता है।

मान्यवर, दूसरी अव्यवस्था यह है कि मिल के गेट पर कुछ लड़के ऐसा पैदा हो गये हैं न मालूम कहां से, कि जिन किसानों के पास खेत नहीं, गन्ना नहीं होता उनको फर्जी पर्ची काट कर दी जाती है और 'ब्लेक मार्केटिंग' करते हैं और जिनके पास खेत हैं और जो असली किसान हैं उनको पर्ची नहीं मिलती। इसकी सतर्कता से जांच होनी चाहिये और पर्ची गलत बनाई जा रही हैं, उनको रोकना चाहिये। दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्ची तो गलत बन रही हैं लेकिन जो किसानों को और सुविधायें दी जानी चाहिये वह भी उनको मिल रही हैं। मुझे केवल एक-दो मिलों की जानकारी है जहां पर यह सुविधायें मिल रही हैं। मवाना, जिला मेरठ में है, वहां के लिये कह सकता हूं कि वहां किसानों को सुविधा दी जाती है, इसके अलावा मुझे और कोई उदाहरण नहीं मिला जो किसानों को उचित दाम देते हों और अतिरिक्त सुविधायें देते हों। सारे प्रदेश में किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। फर्जी तो फर्जी होती ही हैं, दाम भी सही नहीं मिलते और न समय से मिलते हैं। न उनको अच्छा बीज मिलता है, न खाद आदि का प्रबन्ध ही है।

अभी तक राष्ट्रीयकरण का मामला उलझा पड़ा है। आश्चर्य यह है कि कहने के बाद उलझ जाता है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण का मामला साफ होना चाहिए और इस पर अन्तिम रूप से फैसला हो जाना चाहिये। अब की बार यह कहा जा सकता है कि गोरखपुर की खाद की फैक्टरी मुनाफे में चल रही है लेकिन और फैक्ट्री मुनाफे में क्यों नहीं चल रही हैं इस बात का भी पता लगाना चाहिये। यह ठीक है कि सरकार ६ प्रतिशत से ९ प्रतिशत सूद बढ़ा रही है, लेकिन जहां जहां सरकार ने रिसीवर बैठा रखे हैं वहां क्यों नहीं किसानों को और सुविधायें दी जा रही हैं, किसानों को अच्छा बीज, समय से रुपया तथा उचित दाम भी मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ जो संशोधन विधेयक में रखा गया है ६प्रतिशत से ९ प्रतिशत सूद का वह तो सही ही है लेकिन जो शिकायतें की गई हैं उनका भी समाधान होना चाहिये और इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि किसानों का हित हो और उनको उचित दाम मिलें और समय पर पैसा भी मिले।

*श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसानों को गन्ने की खरीद के सम्बन्ध में विशेष परेशानी हो रही है। जैसा विकल जी ने कहा कि जिनके पास गन्ना नहीं हैं उनको पर्ची दी जाती हैं। जिनके पास गन्ना है उनको पर्ची नहीं मिलती है यह बात ठीक है कि सर्वे जो है वह ठीक से होना चाहिये। जिनके पास गन्ना हो उनको विशेष पर्चियां दी जायं। मैं विशेषकर बहराइच के बारे में कह रहा हूं। वह बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है। वहां गन्ने की विशेष पैदावार होती है। पारसाल वहां लाखों एकड़ गन्ना सूख गया और इस वर्ष भी वही हालत होने वाली है। लिहाजा इसे रोकने के लिये जिनके पास गन्ना हो उन्हें विशेष पर्चियां दी जायं और जिनके पास पर्चियां न हों उनसे जैसा चाहें व्यवहार करें। बाढ़ आने के कारण पिछला बकाया भी गन्ना किसानों को नहीं मिला है। २७ लाख की रकम उनकी बकाया है जो उनको मिलना चाहिये। गरीबी होने के कारण उनको बकाया न मिलने से बहुत परेशानी है। बकाया मिल जाने से उनको राहत मिलेगी। मेरा निवेदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि जहां सरकार गन्ने की व्यवस्था के लिये उन्नति करे वहां उसकी बिक्री की भी व्यवस्था करे और इस सम्बन्ध में वह कोई नीति निर्धारित करे ताकि गन्ना किसानों के साथ न्याय किया जा सके ।

गन्ना के सम्बन्ध में जो कमेटियां बनी हुई हैं उनमें भी बड़े किसान हर प्रकार की जालसाजी के द्वारा अपने गन्ने को बेच लेते हैं और पर्चियां लेकर व्यापार करते हैं लेकिन छोटा काश्तकार जिसका सारा दारोमदार गन्ने पर होता है उसको पर्ची नहीं मिल पाती है। अन्त में मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा है कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल मंत्री महोदय ने कर बढ़ाने के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत किया है वह तो सराहनीय है ही क्योंकि सरकार के आर्थिक साधन यही हो सकते हैं कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति तथा मिल मालिक हैं उन पर कर लगाये जायं। इससे जहां एक ओर सरकार की आमदनी बढ़ेगी वहां दूसरी ओर समाजवाद की ओर अग्रसर होने का रास्ता भी बनेगा। इसलिये मैं इसका स्वागत करते हुए कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। साथ ही माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मुझे यह जानकारी हुई है कि गन्ना काश्तकारों का गन्ना यूनियनों के माध्यम से ही खरीदा जाता है। ६३-६४, ६४-६५ तथा ६५-६६ की जो गन्ना की पैदावार थी काश्तकारों की उस समय के अनुपात से सट्टा होता है। आप यह भली भांति जानते हैं कि उस समय प्रत्येक गांव में हर काश्तकार के पास इतना अधिक गन्ना नहीं होता था और प्रत्येक काश्तकार के पास गन्ना होता भी नहीं था। कुछ ही लोग थे जिनके पास अच्छी जमीन थी, अच्छे साधन थे, सिंचाई की व्यवस्था थी। वही गन्ना बोते थे और उनका गन्ना मिलें यूनियन के माध्यम से खरीदती थीं। लेकिन जो छोटे छोटे काश्तकार थे जिनके पास कम जमीन थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, गन्ने को ठीक प्रकार से पैदा भी नहीं कर पाते थे वह उसको नहीं बोते थे। छोटी जमीनें होने के कारण अपने खाने भर को वह गल्ला बोया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जब नये नये कृषि यंत्र चले, सिंचाई के साधन बढ़े, तमाम किस्म की रसायनिक खादें उपलब्ध हुईं तो छोटे से छोटा काश्तकार भी जितनी जमीन उसके पास है उसके अनुपात से गन्ना बोने लगा है। ६४-६५ तथा ६५-६६ में जिस काश्तकार ने गन्ना नहीं बोया था उसने ६९-७० तथा ७०-७१ में गन्ना बोया है। परन्तु उसका उसी पुराने अनुपात से ही सट्टा होता है तो किस प्रकार से वह गन्ना बोयेगा। क्योंकि कि उसका वाजिब सट्टा इस समय नहीं रहा है। ऐसे कितने ही काश्तकार नये हो गये हैं जो अधिक गन्ना पैदा करने लगे हैं और जो पहले गन्ना नहीं बोते थे? उनका इस समय सट्टा न होने के कारण उनके सामने बहुत बड़ी कठिनाई है। उनका गन्ना एक तरीके से मिट्टी के मोल बिकता है।

जिनका अधिक सट्टा होता उनका गन्ना उसी अनुपात से बिक जाता है। गांव के जो पुराने गन्ने के काश्तकार हैं वे ही इनसे गन्ना कम कीमत पर ले लेते हैं और उसी गन्ने को मिलों में ज्यादा कीमत पर बेंच देते हैं। तो इस प्रकार जो नये काश्तकार हैं उनको गन्ने में काफी घाटा उठाना पड़ता है। उनका गन्ना ५ रु०, ४ रु०, ३ रुपये और कभी-कभी ढाई रुपये मन तक बिकता है, ५-६ रुपये क्विंटल तक इनका गन्ना बिकता है। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि हमारे मुख्य मंत्री जी, सम्भववत: गन्ना विभाग भी उन्हीं के पास है, इस तरफ ध्यान देंगे और जो नये काश्तकार हैं जिन्होंने नये सिरे से गन्ना बोना शुरू किया है उनके गन्ने की भी सट्टा कराने की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, यह मेरा सुझाव है। जितना गन्ना काश्तकार बोता है उसके गन्ने का कम से कम आधा, १/३ या १/५ हिस्सा का सट्टा का होना

[श्री राम लाल राही--]

चाहिए। चाहे उसने १० बीघा ही गन्ना क्यों न बोया हो। मान लीजिये कि ५ हजार बीघा उसने गन्ना बोया है इसमें सवा हजार बीघा का सट्टा जरूर होना चाहिये। यह तो मैंने अनुपात की बात कही है क्यों कि १० हजार किसी काश्तकार के पास नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसका सट्टा जरूर होना चाहिये। तभी काश्तकार को न्याय मिलेगा और गन्ने की पेदावार बढ़ाने में वह दिलचस्पी लेगा, ईमानदारी से अपने खेतों में मेहनत करेगा, प्रदेश में गुड़ और शक्कर की मात्रा बढ़ेगी, देश और प्रदेश का लाभ होगा।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहुंगा कि मेरे जिला सीतापुर में बिसवां, हरगांवा और महौली में मिलें हैं। महोली मिल में काश्तकारों का कम से कम १५.६३ लाख रुपया बकाया है। सन १९६०-६१, १९६६ और १९६९-७० वर्षों का यह रुपया पड़ा हुआ है: मैंने पिछले सेशन में इसी हाउस में इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था और उसमें मुझे यह उत्तर दिया गया था कि काश्तकारों का महोली मिल पर न पैसा बकाया है। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि वर्ष १९६०-६१, १९६६ और १९६९-७० के बीच के जो वर्ष हैं उनका भी इस मिल पर लगभग ४० लाख रुपया बकाया है। मान्यवर, महोली मिल काश्तकार के इस रुपये को देने का नाम नहीं ले रही है। मान्यवर, एक तरफ तो मिलें काश्तकार को पैसा नहीं दे रही हैं और दूसरी तरफ सरकार, माननीय चन्द्रभानु गुप्त की जो सरकार थी, उसने, उनको वेजिटेबुल फैक्टरी लगाने के लिये ४० लाख रुपये का कर्ज दिया था। इसे आप देख सकते हैं। यह धांधलीबाजी सरकार की तरफ से होती है। यहां पर इतनी अनियमिततायें होती हैं नहीं तो कोई वजह नहीं है कि मिल मालिक काश्तकारों का पैसा बकाया रखें।

मन्यवर, मैं आपके सामने बिसवां मिल की एक घटना रखना चाहता हूं। पिछले साल शायद ९ जून को यह मिल बन्द हो गयी। क्यों बन्द हो गयी? एक मामूली सा पुर्जा खराब हो गया था। हरगांव मिल और महोली मिल के इंजीनियर सलाह के लिये बुलाये गये, उन्होंने कहा कि यह पुर्जा ठीक होकर मिल चल सकती है लेकिन वहां के इंजीनियर ने यह सलाह नहीं दी। उसने कहा कि नहीं चल सकती। सरकार का दबाव पड़ा और मिल चलने से रोक दी गयी। जहां तक मेरी जानकारी है, एक विशेष व्यक्ति जो इस सदन के मेम्बर हैं, उन्होंने ६ लाख रुपया चन्दे के रूप में ले लिया और मिल को चलने से रुकवा दिया। यह कारनामे राजनीतिक क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों के हैं। काश्तकारों का गन्ना सूख गया, परेशान हुए। इस मिल पर काश्तकारों का भी बहुत सा रुपया बकाया है। नंगे भूखे काश्तकार किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह गत साल कर पाये। लेकिन मुझे डर है कि इस साल भी लालचवश ऐसा ही फिर न हो जाय और मिल बन्द हो जाय क्योंकि यहां के कुछ लोगों के ताल्लुकात मिल मेनेजर मालिक से बहुत ज्यादा अच्छा हैं।

यदि सरकार को मिलों से भ्रष्टाचार को समाप्त करता है तो उसको जागरूक होना होगा। अगर सरकार जनता के साथ इंसाफ करना चहती है तो उसको मिल मालिकों के साथ सख्ती करनी होगी और उनसे कसानों का पैसा दिलाना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार अपने टैक्स ही उनसे वसूल नहीं कर पाती है तो किसानों का पैसा भला वह कैसे दिला पायेगी। इसीलिये मैं इस सरकार को कहता हूं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है। जनता का इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उसने जनता के हित में कार्य नहीं किया, मिल मालिकों से उनका पैसा नहीं दिलाया तो वे जनता के सामने क्या जवाब देंगे? वे फिर इस उन कुर्सियों पर बैठे नहीं रह सकते। समय के रहते सरकार को का तकारों की भलाई के लिये, गन्ना उत्पादकों की भलाई के लिये, किसानों का पैसा दिलाना ही होगा। किसानों को अच्छे साधन देने ही होंगे, जिससे वे अपने देश के लिये अच्छा गन्ना पैदा कर सकें और उसके द्वारा अपने देश को शक्ति शाली बन सकें।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, वह राष्ट्रीयकरण मिलों का नहीं करना चाहती। उसकी कथनी और करनी में भेद है। जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसके लिये भी मुझे शक है कि वह कभी वसूल भी हो पायेगा। यह तो दिखावे के लये बढ़ा दिया गया है लेकिन बाद में मिलमालिकों को उसकी छूट दे दी जायगी। दस साल तक यह सरकार वसूल नहीं कर पायेगी और बाद को माफ कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न को आप बजट के समय उठा लीजिये।

श्री रामलाल राही--

यह सरकार तो मिल मालिकों की एजेन्ट है। यह तो पिछले साल की तरह से उनके ऊपर जो भी पैसा बकाया होगा, उसको माफ कर देगी। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस सरकार से जनता का भला होने वाला नहीं है। इतनी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री महातम (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी माननीय गेंदासिंह पर है। किसानों का जो पैसा उत्तर प्रदेश में बकाया चल रहा है उसके लिये एकमात्र जिम्मेदर बाबू गेंदा सिंह जीहैं। क्योंकि कोई आदमी ऐसा न होगा, कोई ऐसी सरकार न होगी, जिसे जो काम कल करना है उसके लिये आज ही चैलेंज कर दे। लेकिन हमारे बाबू गेंदा सिंह जी ने चैलेंज कर दिया कि हमपमिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और उसके लिये एक कमेटी बना दी गयी। इसका असर यह हुआ किसारे मिल मालिकों ने अपनी मिलों का काम खराब कर दिया, मिलों की सफाई नहीं की। उन लोगों ने सोचा जैसे सन्५२-५३ में जमींदारी प्रथा समाप्त करने से पूर्व बढ़े बड़े जमींदारों ने मुआविजा के रूप में लाखों रुपे से ले लिया कि बाद में देखा जायेगा, उसी तरह से इन मिल मालिकों ने भी किया जो कुछ भी मिल जाय वह ले लेना चाहिये, फिर बाद में न जाने क्या होगा। और इस तरह से किसानों का पैसा उन्होंने दबा लिया। इस तरह के जो काम होते हैं वे चुपके से किये जाते हैं न कि अखबारों के जरिये प्रोपेगेंडा करके किये जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं कि आप देखें कि इस समय किसान कितने परेशान हैं। एक तो उन्हें गन्ने का दाम नहीं मिला। दूसरी बात यह कि इस साल की हालत को देखते हुए मिलें अगले साल तक भी पूरा दाम नहीं दे सकेंगी। चाहे जनमोर्चा सरकार हो, चाहे वे साहब बैठे हों, इसलिये किसानों को उनके गन्ने का पूरा दाम नहीं मिल पायेगा क्योंकि अभी तक बहुत सी मिलें ठीक से नहीं चल रही हैं। कई मिल मालिकों ने अपने मिलों की सफाई ठीक से नहीं कराई। बाबू गेंदासिंह ने जो पूर्वी जिले के नेता हैं वे मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं और यही कारण है कि मिल मालिकों ने अपने मिलों की सफाई नहीं करायी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मिलें तो चली ही जायेंगी, उनमें और अधिक पैसा क्यों लगाया जाय। आज हालत यह है कि मिलें किसानों को गन्ना लाने के लिये पर्चियां नहीं देंती। गोरखपुर और देवरिया की हालत बहुत खराब है। वहां २४-२५ शुगर मिलें हैं।

श्री सुखपाल पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी थी उसमें तीन सदस्य थे और क्या यह सही है कि बहुमत से ही वहां कोई फैसला लिया गया ?

श्री महातम—

मैं बहुत सफाई से और सच्चाई से कहना चाहता हूं कि गन्ने के दाम न मिलने के एक मात्र जिम्मेदार केवल बाबू गेंदासिंह जी हैं। वे जो प्रस्ताव रखे हैं उससे जनता का भला होने वाला नहीं है। किसानों का भला तब होगा जब उन्हें उनके गन्ने का दाम दिया जाय। आज किसान बड़ी परेशानी में हैं। अगर किसी किसान के पास १२ एकड़ गन्ना है तो हमारे अधिकारी वर्ग से भी वह परेशान हैं। उसका गन्ना मिलों में जाय, इसके लिये ठीक व्यवस्था हो, इसे उनको देखना है और विचार करना है। हर किसान के लिये जो कोटा जितने टायर के लिये पर्चिया देने के लिये निश्चित है वह उसे नहीं मिल पाता। इसके लिये आवश्यक है कि फिर से उनका सर्वे कराया जाय और उनका कोटा ठीक किया जाय ताकि समय से उनको गन्ने के लिये पर्चियां मिल जाया करें। यह काम भी सरकारी कर्मचारी के हाथ में न होकर संचालक मंडल के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। गांवों में जो लाठी और बन्दूकें लेकर चलते हैं उनकी यूनियनें हैं और वे अपने अधिकार की बात करते हैं। ऐसे लोग बदमाश हैं और बेईमानी करते हैं और इसके लिये एकमात्र जिम्मेदार संचालक मंडल ही हैं जो इस तरह की सारी गड़बड़ी करते हैं जिससे किसानों का गन्ना नहीं गिर पाता है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि गन्ने की सप्लाई में संचालक मंडल का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। इसके लिये सरकारी कर्मचारियों को अधिकार दिया जाय तभी किसानों का भला हो सकता है। संचालक मंडल के जरिये किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी गन्ना यूनियनें हैं, मुझे १० मिलों का मालूम है जहां किसानों के गन्ने का रुपया संचालक मंडल द्वारा गलत वितरण किया गया और इसलिये इसकी जांच करायी जाय। हमारे यहां एक अजांची हुबली है उसको जो दस रुपये दे जाता है वह बस पर्चियां ले जाता है। मैंने इसके लिये लिख कर दे दिया है और उसकी जांच पड़ताल हो रही है। संचालक मंडल बांटता है तो वह सारी पर्चियां ले आता है और रुपया लेकर लोगों को देता है। इसलिये ये दोनों काम सरकारी कर्मचारियों के जिम्मे होने चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। संचालक मंडल में हर किस्म के आदमी बैठ हुये हैं। पहले उन लोगों की ही सरकार थी जो कहते थे कि गन्ने के दाम नहीं दिये।

आज जो बात हो रही है तो गन्ने के दाम तो प्रधान मंत्री ही बढ़ा सकती हैं। हम लोगों का काम तो केवल सिफारिश करना है। उसको मानना न मानना उनका काम है। आज तक कोई बात नहीं हुई कि गन्ने के दाम क्यों नहीं दिलाये गये। इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारे केवल दो मांगें हैं। गन्ने के सप्लाई का काम सरकारी कर्मचारी के जिम्मे किया जाय। पर्ची वितरण करने का काम चेयरमैन के जिम्मे न रखा जाय। चेयरमैन के कहने पर पर्ची का भुगतान न किया जाय। दूसरी बात यह है कि किसी किसान की सर्वे छूटी हुई है या जिसकी १२ एकड़ की फसल है उसको तुरन्त दिलाया जाय और इसी महीने व्यवस्था कर दी जाय। इसके साथ ही साथ मुझे और कुछ नहीं कहना है। किसनों को पैसा न दिये जाने की एक मात्र जिम्मेदारी माननीय गेंदा सिंह जी की है।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी का जो अमेंडमेंट है उसके सिलसिले में मैं दो चार बातें करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी संशोधन नहीं है।

*श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

जनरल डिबेट में ही मैं दोनों बातों पर दो चार बातें कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा-असंगत बातें कहना मेरी आदत नहीं है। इसलिये गन्ना उत्पादकों की जो समस्यायें हैं उनके बारे में नहीं बोल सकता हूं। केवल दो एक बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने ६ फीसदी के बजाय ९ फीसदी सूद लिया। मैं मानता हूं कि आपने अपने वित्त विशारदों से जरूर सलाह ली होगी। मैं जानना चाहूंगा कि ९ फीसदी के बजाय क्यों नहीं १२ फीसदी रखा गया, क्यों नहीं १८ फीसदी रखा गया, जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा है। मेरा यह कहना है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर देने की कृपा कीजिये जिससे मैं समझ सकूं कि आपने मनी मारकेट की कंडीशन समझने की चेष्टा की है। कानपुर में यदि अरबपतियों को ९ फीसदी ब्याज पर रुपया दिया जायेगा तो वे लोग आपको गले लगा लेंगे और उस रुपये के जरिये लाखों रुपये कमा लेंगे। क्या आप उनको रियायत दे रहे हैं? उनको कंसेशन देते चले जा रहे हैं। एक दूसरा एलीमेंट जरूर होना चाहिये। आपको दण्ड देने का एलीमेंट जरूर होना चाहिये। कोई डिटरेंट इंटरेस्ट जरूर लगाइये ताकि आपका पेमेंन्ट तुरन्त हो।

यह एलीमेंट भी आपके ध्यान में रहना चाहिये अगर आप क्वीक रिकवरी चाहते हैं। बाकी हाई कोर्ट के एतराजात के ऊपर जो प्रोसीजरल आपने दूसरे चेन्जेज किये हैं वह ठीक हैं और वह बहुत छोटी बातें हैं। वह जिक्र करने लायक नहीं है। लेकिन दो चीजों के ऊपर आपका संतुलित और बहुत अच्छी तरह से विचार किया हुआ उत्तर पाऊंगा तो मैं खुले हृदय से सरकार का अनुमोदन करूंगा, क्या सोच कर आपने ९ फीसदी किया, क्यों नहीं इसको १४, १५ या १८ फीसदी किया? आप किसानों को जब बैंक से लोन देते हैं तो ९, साढ़े ९ फीसदी लेते हैं तो क्या वजह हो सकती है इस रिआयत की जबकि आप और कन्सेशन भी करते जाते हैं? दूसरे यह कि जो फार्म्स हैं गन्ने के या एम्प्लायर्स के खुद के हैं जहां वह लाखों, करोड़ों मन गन्ना पैदा करते हैं। आप इसके ऊपर सोचें और आश्वासन दें कि दे वुड नाट एस्केप ऐज दे हैव सो फार डन। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह ६ फीसदी के स्थान पर ९ फीसदी किया है यह इस बात को देखते हुये कि आज मिल मालिक ने गन्ने के मामले में काश्तकारों से कैसी लूट मचा रखी है बहुत ही कम है फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं कि इतनी हिम्मत तो इस सरकार ने की उन पूंजीपतियों के खिलाफ जिनसे इनकी सांठगांठ है। मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक शुगर मिल नवाबगंज है। इसके ऊपर पिछले वर्ष का करीब-करीब १५ लाख रुपया बकाया है। १५ नवम्बर से वह मिल चालू है और आज १४ दिसम्बर है, एक महीना हो रहा है, किसानों का जो गन्ना आता है उसका पैसा वह नहीं दे रहे हैं। इसी के संबंध में ९ तारीख वहां हड़ताल हो गई थी। तीन दिन तक बराबर हड़ताल रही। फिर भी नौकरशाही, पुलिस और वहां की यूनियन के अधिकारियों ने तरह-तरह की धमकी दे कर हड़ताल तुड़वाने की कोशिश की लेकिन वह हड़ताल किन्हीं भायनों में अभी तक चल रही है। उनकी एक ही मांग है और वह यह कि जब गाड़ी ले कर जायें तो उसका पेमेंट तुरन्त दूसरे दिन होना चाहिये। हमारे यहां नवाबगंज का एरिया सरयू-घाघरा का एरिया बाढ़ से पीड़ित रहता है। इस साल दो बार बाढ़ आयी। वहां के किसानों की आय गन्ने से ही होती है। उनकी रोजी, उनके बच्चों का पालन-पोषण, सारी चीजें गन्ने से होती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)]

उनके बार-बार कहने पर पेमेंट नहीं किया गया। गवर्नमेंट को भी लिखा, मुख्य मंत्री जी और कमिश्नर से भी कहा, लेकिन उन्होंने आज तक गन्ने का पेमेंट उधर नहीं किया। इधर मिल चालू होने पर भी नहीं किया। हड़ताल चल रही थी, उनके साथ सख्ती हो रही थी। काश्तकारों की मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हमारा पेमेंट मिलना चाहिये और मिल–गेट से हो यूनियन से नहीं। यूनियन में कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं, वह हर एक से ५ रुपया प्रति परची लेते हैं। जब काश्तकारों के पास पैसा नहीं रहता है तो वह अपनी परची २५ फीसदी पर बाजार में महाजनों के हाथ बेच देते हैं महाजन ५ फीसदी यूनियन के सेक्रेटरी को देकर उससे लाभ उठाते हैं। पिछली बार २ लाख रुपया मिल वालों ने दिया और गरीब काश्तकारों के पास नहीं पहुंच पाया। बड़े काश्तकार तो अपने गन्ने का मूल्य यूनियन से स्वयं ले लेते हैं लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं उनको गन्ने का मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। आज जो १५ लाख रुपया बकाया है वह छोटे काश्तकारों का है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाय। इसके साथ ही साथ आज मिल-मालिकों पर टैक्स के रूप में सरकार का इतना रुपया बाकी है, उसके वसूल करने के लिये सरकार कोई प्रयत्न नहीं करती है। एक तरफ तो सरकार रुपया वसूल नहीं करती है और दूसरी तरफ कहती हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है। कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ाती जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात और कहनी है कि उन काश्तकारों की क्या हालत है जिनके पास आज गन्ना पड़ा है और उसका पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले साल कितना गन्ना हुआ था, खेत खड़े रह गये न मिल–मालिक ले सके और न सरकार ने लिया। तो ये सारी चीजें आज यूनियन के अन्दर हैं। हमारे यहां चुनाव हुआ और डायरेक्टर लोग चुने गये . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप तफसील में जा रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

वह उसी से संबंधित है। आज यह हालत है नवाबगंज के मिल–मालिकों की। जब यह सरकार के लोग इधर बैठे थे जो आज मंत्री हैं उन्होंने कहा था, विधान भवन में चैयरमैन से कहा गन्ना कमेटी के जो कि राष्ट्रीयकरण के संबंध में बनी थी जिसमें तीन सदस्य थे तो आज जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि १५ लाख रुपया मिल मालिकों से चेयरमैन साहब ने लिया था। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वह बात सही है या गलत है? इसके साथ जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि प्रस्ताव पास होने के बाद जितना बकाया मिल -मालिकों के पास है वह उनसे तुरन्त वसूल किया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव को जब देखता हूं तो मेरी समझ में नहीं आया कि आया यह मिल-मालिकों की हौसला अफजाई है कि वह सरकार के रुपये को ऐसे ही रोके रखें या उनके खिलाफ रुपया वसूल करने में कोई सख्ती का कदम है। तो इसके मातहत जो ६ से बढ़ाकर ९ किया है तो मालूम है कि अगर कोई मिल-मालिक परचेज टैक्स का रुपया रोक रखे तो ६ के बजाय ९ का इंटेरेस्ट आप लेंगे, लेकिन आज जितने भी लोन ऐडवांस होते हैं किसान तक को जो कि सबसे नीचे का तबका है, जिसको ज्यादातर उठाने के लिए सब कोशिश करते हैं उसको भी साढ़े ९ फीसदी से कम पर पैसा नहीं मिलता। इंडस्ट्रियल लिस्ट तो १०–१२–१४ फीसदी पर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोन लेकर अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। अगर यह मानकर चला जाय कि वह मिल मालिक जिसके पास यह सरकार के परचेज टैक्स का रुपया रुका हुआ है उससे किसान कम से कम लाभ उठाये तो वह मिल मालिक इस रुके हुये रुपये को अपने पास रोक कर ९ परसेन्ट सरकार को दे देगा और १० परसेंट में उसको बाहर फैला देगा। एक परसेंट का उसको बिला किसी परेशानी के फायदा रह जाता है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि किस तरह से माननीय मन्त्री जी यह समझते हैं कि ६ से ९ परसेन्ट कर दिया जायगा तो वह मिल मालिक मजबूर हो जायगा और जल्द से जल्द सरकारी रुपये को अदा कर देगा।

इसलिये इस आधार पर मैं बाबू गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अगर इतनी तादाद उस इन्टरेस्ट की बढ़ जाती है कि जिससे मिल मालिक उस रुपये को मारकेट में सरकुलेट करके फायदा न उठा पाता तब तो यह बात सही हो सकती थी। अगर आप १८, १५ परसेन्ट उस इन्टरेस्ट को कर देते तब तो हम समझते हैं कि इतने इन्टरेस्ट पर आसानी से वह फायदा नहीं उठा सकता है। तब तो वह मिल मालिक मजबूर हो सकता था और जरूर उस रुपये को जल्दी अदा कर देता। मैं दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह उम्मीद है और जनता में यह बात फैली हुई है कि शुगर इन्डस्ट्री नेशनलाइज होने जा रही है और इन फैक्टरीज को लिये जाने की बात है है और दूसरी तरफ ६ से ९ परसेन्ट उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि वह ९ परसेंट इन्टरेस्ट देता रहे और चाहे जितना रुपया परचेज टैक्स का वह अपने पास रोके रखे। वह आसानी से ९ परसेन्ट इस पर सूद देता रहेगा। इस तरह से आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वह अपने पास इस रुपये को रोक रखे। तब तो बात समझ में आ सकती थी कि आपका रेट आफ इन्टरेस्ट इतना ज्यादा होता जिससे उसको फैला नहीं सकता था।

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर मिल मालिक का वास्ता गन्ना से रहता है। मिल मालिक के ऊपर भी तो कोई पाबन्दी होनी चाहिये। किसानों का गन्ना सूख जाय लेकिन मिल मालिक पर कोई पाबन्दी नहीं है। किसानों का रुपया मिल मालिक की तरफ बाकी रह जाय और वक्त पर अदायगी भी न करे तब भी आप उसके लिये ऐसा रेट आफ इन्टरेस्ट बढ़ा रहे हैं कि जिससे वह मजबूर न हो कि जल्दी से किसानों के रुपये को अदा कर सके तो यह बात समझ में नहीं आती है। बिजली बोर्ड को जो रुपया लोन दिया जाता है उस पर यह सरकर १८ परसेन्ट इन्टरेस्ट चार्ज करती है लेकिन मिल मालिक के ऊपर जो रुपया बाकी रह जाता है उसके ऊपर आप ६ से ९ परसेन्ट करने जा रहे हैं तो यह कोई बात समझ में नहीं आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप १८ परसेन्ट ड्यूटी का वसूल कर सकते हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट बाडी है तो इन मिल मालिकों से क्यों नहीं वसूल कर सके? लेकिन मिल मालिक के साथ यह रियायत करने जा रहे हैं और उससे आप १८ परसेन्ट वसूल करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह क्या आधार बनाया है? क्या आप यह समझते हैं कि ६ परसेंट से ९ परसेन्ट करने पर मिल मालिक मजबूर हो जायगा कि वह जल्द जल्द सरकार की अदायगी कर देगा? अगर कोई इस चीज को समझा दे तो मुझे इस बिल का समर्थन करने में परेशानी नहीं होगी वर्ना मैं यह समझता हूं कि आपने जो यह ६ से ९ परसेन्ट का फैसला किया है यह कोई पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह मिल मालिक के इन्टरेस्ट में जायगा और इससे उसको ही फायदा होगा।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं इस सदन का बहुत अनुगृहीत हूं। यद्यपि यह बिल जो मैंने पेश किया है बहुत छोटा है लेकिन उसमें बहुत से सवाल मेरे मित्र ने उठा दिये। हमारे मित्र गेंदा सिंह जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक २, ३ चीजों को लिया। मैं उनकी कठिनाई को समझता हूं। उसकी वजह यह है कि वह उस कमेटी के सदस्य थे जो कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की समस्या पर विचार कर रही थी। और श्रीमन्, वे इस समस्या के प्रत्येक पहलू को देखे हैं और इसके प्रत्येक पहलू से वे वाकिफ भी हैं। मान्यवर, वैसे तो मुझे यह कहना चाहिए कि यह जो किसान का रुपया बकाया है, वह इस बिल के विवाद की परिधि में नहीं आता है। चाहिए यह था कि हम इस पर किसी और समय बजट के समय विचार करते लेकिन मित्रों ने इस सवाल को कई स्थानों से उठाया और मैं बहुत संक्षेप में उसके सम्बन्ध में अर्ज कर दूंगा लेकिन मेरा यह खयाल है कि वह इस समय न उठाया जाता तो अच्छा था।

जहां तक परचेज टैक्स, क्रय-कर या खरीद टैक्स जिसे कहते हैं उसमें कुछ मिलों के राष्ट्रीयकरण की बहुत चर्चा आ गयी है। जहां तक क्रय-कर या परचेज टैक्स का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति यह है कि १९६९–७० में ७६२ लाख आयद हुआ था यानी लगाया गया था जिसमें से ४७६ लाख रुपया वसूल हो गया। लगभग २८५ लाख रुपया ५९ मिलों पर बकाया रह गया। ११ मिलों पर एक पैसा भी बकाया नहीं रहा। इस प्रकार से हमारे सामने जो समस्या थी उस पर बढ़ी हुयी चीज थी। पिछले वर्ष २३ मिलों पर कुछ पैसा बाकी था और उसको मिला कर इस समय लगभग ७००, ७२५ या ७४० लाख रुपया बकाया है। बावजूद इन सब बातों के यह हमने क्यों किया। इन मिलों को कुछ रियायत दे दी, पहले दी थी और अब भी दे दी। पिछले वर्ष १२–१३ करोड़ क्विन्टल गन्ना पेरना पड़ा। आरम्भ में ही इन मिलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल उत्पन्न हो गया। जून, जुलाई तक ये मिल गन्ना पेरते रहते हैं। यह भी सही है कि अब की बार इतना गन्ना पैदा हुआ है कि इनको पेरना ही मुश्किल हो गया और हर रोज आये दिन, चाहे कोई समय हो किसी न किसी रूप में यह ही कहा गया कि राष्ट्रीयकरण हो।

श्रीमन्, राष्ट्रीयकरण की चर्चा से सारे प्रदेश के किसानों का भी नुक्सान हुआ। हम लोग राष्ट्रीयकरण की बात करते थे, ठीक था लेकिन कौन नहीं जानता, जिस व्यक्ति को कानून के अ, ब, स का ज्ञान है, उस को मालूम है कि राष्ट्रीयकरण की बात गलत है। केन्द्र को ही उसका अधिकार है, हम बारबार इस चीज को कहते थे लेकिन दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का और सारे देश का! एक अधिवेशन में, बम्बई में या कहीं और यह बात तय कर दी कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन यह समझ में नहीं आता कि सारे देश में ही क्यों न हो। हमारे यहां पर ७०–७१ यूनिट्स हैं, मैसूर में भी हैं, दक्षिण में भी हैं लेकिन इस प्रदेश के लिये यह सवाल जरूर पैदा कर दिया कि यहां पर इन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो। हमने कहा था कि राष्ट्रीयकरण केन्द्र करे और उसके सम्बन्ध में कुछ काम करे लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, राजनीतिक रूप से। कभी कहा कि हम पूंजीपतियों के साथ हैं। कभी कहा कि हम.....

श्री उपाध्यक्ष –

इस विधेयक को सवा दो बजे तक पास करना है। पारित करने के लिये जो समय स्वीकृत किया था उससे समय ज्यादा हो गया है। इसलिये संक्षेप में कहें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

इन सब परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण की बात चली। मैं बहुत संक्षेप में कह देना चाहता हूं कि केन्द्र से कहा गया कि हमको अथारिटी डेलीगेट कर दीजिये। एडवोकेट जनरल और अटारनी जनरल की राय में अन्तर है। कृपा कर दोनों को बिठा कर राय निश्चित करा लीजिये। उसके बाद में कमेटी बना दी गई। मान्यवर, बहुत नुक्सान हुआ इस प्रदेश का इस राष्ट्रीयकरण की चर्चा से। जितना इस राष्ट्रीयकरण की चर्चा ने नुक्सान किया उतना किसी और चीज ने नहीं किया। मुझे केवल यह निवेदन करना है इस सम्बन्ध में कि राष्ट्रीयकरण की

चर्चा कुछ भी होती लेकिन इसको यह राजनीतिक रूप दिया गया यह जानते हुए कि स्टेट को राष्ट्रीयकरण का अधिकार नहीं है। हम लोगों ने चर्चा करके प्रदेश के किसानों के साथ में शत्रुता की। जिसने भी किया हो उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता। मान्यवर, जहां तक पर्चेज टैक्स का सम्बन्ध है.....

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)--

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह इसमें किस तरह से रेलीवेन्ट है। उसका जवाब बहुत अच्छा दिया जा सकता है लेकिन टाइम नहीं है। राष्ट्रीयकरण को कह कर राष्ट्रीयकरण के विरोध में साबित कर रहे हैं। लेकिन जो इसके पक्ष में हैं उनकी दलीलें गलत हैं यह नहीं कह सकते क्योंकि इसके लिये जवाब देने को आपको समय देना पड़ेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं जानता हूं उसकी चर्चा होगी इसलिये संक्षेप में उत्तर दिया। लेकिन शर्मा जी की जो विचित्र स्थिति है उससे मैं वाकिफ हूं। मैं जानता हूं वे स्वयं उस सरकार के सदस्य थे जिसने बठकर तय किया कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और यह भी तय किया कि इसे केन्द्र ही कर सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती। लेकिन इसका राजनीतिक रूप बनाया गया। उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। पर्चेज टैक्स के सम्बन्ध में केवल दो बातें हैं। मेरे मित्र गेंदा सिंह जी ने और उधर बाजपेयी जी ने दो सवाल उठाये। उनका उत्तर मैं बहुत संक्षेप में दे देना चाहता हूं। एक तो प्रश्न यह उठा कि नौ प्रतिशत क्यों और दूसरा प्रश्न यह उठा कि नौ प्रतिशत से जिनसे टैक्स ले रहे हैं उन्हीं को मुनाफा नहीं होगा क्योंकि ९ प्रतिशत बैंक से भी मिल जाता है।

इसके सम्बन्ध में हमारे मित्रों ने यह जो ऐक्ट बना हुआ है यू० पी० शुगर केन टैक्स ऐक्ट, १९६० उसकी धारा ३ की उपधारा १ के चतुर्थ अंश में इस प्रकार का प्राविधान है कि किस प्रकार से दें। यह टैक्स बकाया रह जाय और उसके बाद उस पर सूद बकाया दे। यह न दिया जाय तो दस प्रतिशत तक पेनाल्टी इन्टेरेस्ट लगता है यानी और जुर्माने के रूप में उसक लिया जाता है। इसमें नियम ८ भी बना है कि दो महीने बाद चार प्रतिशत और छः महीन तक न दे तो दस प्रतिशत। दस प्रतिशत और नौ प्रतिशत यानी उन्नीस प्रतिशत इन मिल मालिकों को देना पड़ेगा यदि वे बकाया अपने ऊपर रखेंगे और बकाया को अदा नहीं कर पायेंगे। यदि मेरे मित्रों की यह इच्छा होगी तो मैं ९ प्रतिशत से १२ प्रतिशत भी स्वीकार करूंगा। और इसके सम्बन्ध में कैबिनेट का निर्णय हमने ले लिया है कि ९ प्रतिशत इसमें है हम उसको १२ प्रतिशत कर देंगे। तो यदि उससे काम चल सके और मेरे मित्र इसको इस रूप में स्वीकार करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

आप १८ या २० प्रतिशत कर तो देंगे, मगर वह वसूल कैसे करेंगे उस पर भी आपने सोचा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरे मित्र ने प्रश्न ठीक उठाया है, हम लोगों के सामने भी यही कठिनाइयां थीं कि कहीं इतना पेनल न बढ़ा दें कि उनके लिये देना ही असम्भव हो जाय और फैक्टरी बन्द हो जाय। वैसे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, काफी टैक्स का रुपया हमने पिछले साल वसूल किया है। ११ मिलों ने पूरा-पूरा दे दिया। इसके अलावा वसूली के लिये काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट आदि भेजने के लिये भी कहा गया है। कुर्की भी की जा रही है। स्थान-स्थान पर जहां जहां मिलें हैं वहीं एक कमेटी भी बनायी गयी है जिसमें जिलाधीश हैं, इस मिल को चलाने वाले हैं तथा कुछ और लोग हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस समय जैसा यह प्रस्ताव रखा गया है इसे माननीय सदस्य स्वीकार करें। ९ की जगह १२ प्रतिशत करने की बात को हम स्वीकार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१, जिसे अगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३ में—

(१) उपधारा (३) में—

(क) अंक तथा शब्द "६ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "नौ प्रतिशत" रख दिये जायें,

(ख) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्

"स्पष्टीकरण— इस उपधारा के अधीन देय ब्याज, भले ही ऐसे ब्याज के निर्धारण, आरोपण या मांग का कोई आदेश या नोटिस किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया या जारी किया गया न हो, वसूल किया जा सकेगा।"

(२) उपधारा (५) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (३) के अधीन ब्याज की मांग या उपधारा (४) क अधीन दंड के आरोप से क्षुब्ध कोई व्यक्ति" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (४) के अधीन दन्ड के आरोपण के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश की उसे सूचना होने के तीस दिन के भीतर" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें।

श्री गेंदासिंह—

मैं आप के द्वारा यह संशोधन पेश करता हूं.....

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

मेरी वैधानिक आपत्ति है। श्रीमन्, यह संशोधन जिस रूप में है, उस रूप में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह विधेयक की परिधि के बाहर है। यह मैं आपत्ति प्रक्रिया नियमावली के नियम १४० के खंड (१) के अनुसार उठा रहा हूं। वैसे इस संबंध में माननीय अध्यक्ष की रूलिंग भी है जो अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन के पृष्ठ ३८० खंड ९ पर है जिसमें १० दिसम्बर, १९५२ को म्युनिसिपल्टीज ऐक्ट के सिलसिले में जब एक संशोधन पेश किया गया था जो उस वक्त अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस तरह का संशोधन जो परिधि के बाहर है स्वीकार नहीं किया जा सकता। गेंदा सिंह जी का भी यह संशोधन परिधि के बाहर है। इसलिये यह नहीं रखा जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसमें पहली बात तो मुझे यह कहना है कि अभी माननीय राज्य मन्त्री जी ने आपत्ति उठाई वह गलत है क्योंकि अभी तो माननीय गेंदा सिंह जी ने अपना संशोधन पेश ही नहीं किया है, आपत्ति किस चीज पर वे उठा रहे हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपत्ति तो यही है कि वे उसे पेश ही नहीं कर सकत।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पहले वे पेश तो कर देते। अभी तो हमें यह भी नहीं मालूम कि कौन सा संशोधन है, वे क्या पेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मान लिया जाए कि गेंदासिंह जी का पहले नम्बर पर संशोधन है, उसको पेश किया। तो इसमें लिखा है--"ऐन्ड इन सच इन्सटालमेंटस, जिसका अर्थ है कि ९ प्रतिशत ब्जाज अब जो बढ़ाया जाएया, उसकी वसूली जब होगी, उसमें इन्सटाल-मेन्ट्स देने की बात नहीं होगी। सूद वसूली बैसे ही होगी। तो इसकी परिधि बढ़ाने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले संशोधन रखा जाए, बाद में आपकी बात देखी जाएगी।

श्री गेंदासिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सशोधन पेश करना चाहता हूं" खंड २ के उपखंड (१) में निम्नलिखित नया भाग (अ) जोड़ दिया जाय :

(अ) मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा(२) की पंक्ति ३ के शब्द" ऐंड इन सच इन्सटालमेन्ट्स" निकाल दिये जाय।"

श्रीमन, जिस धारा में हम यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं, वह धारा यह संशोधित धारा हो रही है और धारा (३) क्रय कर संशोधन की जा रही है। इम्पोजीशन आफ टैक्स की बड़ी भारी धारा है और इसमें मेरा जो संशोधन है, वह सरकार के हाथ मजबूत करने के लिये है। जो रकम सरकार की बकाया है उस रकम को कभी किस्तों में वसूल करने की बात नहीं आई, उसे एक मुश्त वसूल कर लिया जाए। केवल इन्सटालमेन्ट्स निकालने के बारे में मेरा संशोधन है। मेरा विचार है कि इसको स्वीकार करने की सरकार कृपा करेगी। यह हर हालत में इन आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो पहले आपत्ति की गई है, उसको मैं रूल आउट करता हूं। इसको लिया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं तो श्री गेंदासिंह जी से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वह अपना संशोधन वापस ले लें तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस प्रक्रिया ऐक्ट के अनुसार रुपया अदा होता है, उसे शायद उन्होंने देखा नहीं है। उसमें इसी प्रकार से बकाया अदा होता है, उसकी प्रक्रिया है, यानी १५ मार्च तक जो बकाया है वह आगे महीने की फोर्टनाइटली में अदा हो जाता है और उसके आगे का जो है वह १५ मई और १५ सितम्बर, के बीच में अदा होता है और इसके अलावा भी बाकी रुपया महवारी किश्तों में अदा हो जाता है। तो इस प्रकार यदि 'इन्सटालमेन्ट्स' शब्द निकाल दिया जाय तो बहुत ही ज्यादती होगी मिलें भी नहीं चल पाएंगी, जिससे किसी का भी भला नहीं होगा।

श्री गेंदा सिंह--

इसमें लिखा है "इन सच ए टाईम" तो सब कुछ अधिकार सरकार को होगा, मैं तो सिर्फ इन्सटालमेंट्स की बात चाहता हूं कि इसको निकाल दिया जाए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इसको मैं स्वीकार कर लूं तो इसका मतलब यह होगा कि प्रति दिन अदा किया जाएगा, जो परिस्थिति असम्भव है। इसलिए इस असम्भव स्थिति को कैसे स्वीकार किया जा सकता है।

श्री गेंदासिंह--

फिर मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में निम्नलिखित नया भाग (अ) जोड़ दिया जाय :

"(अ) मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ के शब्द "ऐंड इन सच इन्सटालमेन्ट्स" निकाल दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गेंदासिंह, सभी एक साथ रख दीजिये ।

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन, दूसरा संशोधन मैं धन्यवाद के साथ रखता हूं । माननीय आचार्य जी को खण्ड २ (१) (क) में शब्द " ९ प्रतिशत" के स्थान पर " १८ प्रतिशत" रख दिया जाय । अभी दो दिन पहले एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधेयक पास किया है । उसको वह मेहरबानी करके देखें । अगर बोर्ड के ऊपर बिजली ड्यूटी बकाया हो तो १८ प्रतिशत ब्याज लेने का प्राविजन किया गया है । १२ प्रतिशत उन्होंने किया है । १९ प्रतिशत स्वीकार करें । सवा सात करोड़ रुपया बाकी है परचेज टैक्स का । यह दो महीने के भीतर वसूल हो जायगा अगर १८ प्रतिशत का सूद रख दें । मैं आगे वाले संशोधन को भी रख देता हूं । खंड २ के उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नये उपखंड (१-क) के रूप में रख दिया जाय--

"(१-क)--मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (४) की पंक्ति ५ के अंक" १० (दस)" के स्थान पर "२० (बीस)" रख दिया जाय ।"

माननीय आचार्य जी ने जिक्र किया कि दस परसेंट उनसे पेनाल्टी भी ले सकते हैं । १० परसेंट पेनाल्टी सवा सात करोड़ रुपया बाकी रह गया । अब २० परसेंट पेनाल्टी ली जाय । उसका प्राविजन कर दिया जाय तो सवा सात करोड़ रुपया बाकी नहीं रह सकेगा । इसलिए दोनों प्रस्तावों को विचार करके स्वीकार करें ।

एक और संशोधन है । आखिर में उसे जोड़ना चाहता हूं स्पष्टीकरण के लिये, जो आज भेजा था । उसका मतलब यह है कि जितना गन्ना फैक्टरियों ने पैदा किया है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेते हैं । उस पर भी हम को टैक्स लेना चाहिये । शब्दों को मैं आपके सामने रख देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बाद में रख दीजियेगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इसको ९ के स्थान पर १२ समझा जाय । यह मेरी ओर से संशोधन कर लिया जाय । लेकिन दूसरी ओर मैं अपने माननीय मित्र से अपील करूंगा कि कृपा करके देखें । १२ प्रतिशत है और १० प्रतिशत पेनाल्टी क्लाज में है । १२ प्रतिशत और दस प्रतिशत २२ प्रतिशत हो जाता है । १० के स्थान पर अगर २० मान लें तो १२ और २०, बत्तीस प्रतिशत हो जाता है । ३२ प्रतिशत पेनाल्टी और इन्टरेस्ट संसार में कहीं नहीं लिया जाता है । अधिक

से अधिक १८ प्रतिशत होता है, आज हो रहा है २२ प्रतिशत। मान्यवर, अब दूसरी तरफ की तस्वीर भी मुझे देखना पड़ती है और यह देखना पड़ता है कि टैक्स की स्थिति यह न हो जाय कि वह विशाल हो जाय। मेरा ख्याल है कि गेंदासिंह जी इस बात को स्वीकार करेंगे और इसको वापस लेंगे।

श्री गेंदा सिंह--

जब आचार्य जी १२ से २२ की कहते हैं तो मैं प्रस्ताव वापस ले सकता हूं। मैं आचार्य जी की सेवा करना चाहता हूं। जब १८ प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से लिया जा सकता है तो मिल मालिकों से जिनसे करोड़ों रुपया लिया जाना है, १८ प्रतिशत लिये जाने में क्या दिक्कत है? मैं फिर वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूंकि १८ प्रतिशत स्वीकार करें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

१८ नहीं मैंने तो २२ कहा है। १२ और १०-२२ होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

१८ के स्थान पर २२ लिखा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इसको आप बदल रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इन्टेरेस्ट और पेनालिटी एक संसार में कहीं नहीं मानी गई है।

श्री सुखपाल पांडेय--

१२ न १८, इसको १५ कर दिया जाय। इससे मंत्री जी किसानों के साथ बड़ा उपकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपके सामने इसको रखता हूं:

प्रश्न यह है कि खंड २ (१) (क) में शब्द "९ प्रतिशत" के स्थान पर "१२ प्रतिशत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नये उपखंड (१-क) के रूप में रख दिया जाय--

"(१-क)--मूल अधिनियम की धारा ३ की उप धारा (४) की पंक्ति ५ के अंक "१० (दस)" के स्थान पर "२० (बीस)" रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका (श्री गेंदासिंह) का एक और संशोधन है जिसे मैं उपस्थित कर रहा हूं।

"इस उप धारा के आधीन देय कर में ऐसा गन्ना भी सम्मिलित किया जायगा जो किसी फैक्टरी द्वारा अधिकृत अथवा फैक्टरी के तत्वावधान में चलाये जाने वाले किसी गन्ना फार्म में उत्पादित किया गया हो।"

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, यह ऐसा है कि करोड़ों रुपया सरकार के पास इससे आ सकता है। लगभग फैक्टरी के फार्म्स में ५० लाख मन गन्ना पैदा किया जाता है। यदि २० पैसा प्रति मन भी लिया जाय तो करोड़ों रुपया वसूल किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मुझे एक ही चीज कहनी है। परचेज टैक्स की परिभाषा में यह उससे लिया जाता है जो कि परचेज करता है। इसमें यही कठिनाई है। मेरे मित्रों को ज्ञात है कि प्रदेश में अब सीलिंग का कार्य भी सामने है और उसमें इस बात पर भी विचार कर लेंगे लेकिन परचेज टैक्स इस पर नहीं लग सकता है।

श्री गेंदासिंह--

यह फैक्टरीज फार्म्स नहीं हैं। अगर यह फैक्टरीज फार्म्स हैं तो मजदूरों को फैक्टरीज की मजदूरी दी जाय। बम्बई हाई कोर्ट में इसका फैसला भी हुआ है कि जहां फैक्टरीज के फार्म्स हैं वह मजदूरों को फैक्टरीज की मजदूरी दें। यहां तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट से मजदूरी दी जा रही है तो इस पर विचार होना चाहिये कि इसको बदला जाय। या तो फैक्टरीज की मजदूरी दी जाय या सरकार को परचेज टक्स लेना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं यह स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

श्री चंचल सिंह (जिला रामपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि जो मिल मालिक हैं उनके नाम अलहदा हैं, इसलिये उन पर टैक्स लिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन के रूप में सदन के सामने है प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा धारा ३ में प्रस्तावित संशोधन के (ख) स्पष्टीकरण के अन्त में निम्नलिखित दूसरा स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय--

"इस उप धारा के अधीन देय कर में ऐसा गन्ना भी सम्मिलित किया जायगा जो किसी फैक्टरी द्वारा अधिकृत अथवा फैक्टरी के तत्वावधान में चलाये जाने वाले किसी गन्ना फार्म में उत्पादित किया गया हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ३ व ४

वैधीकरण

३--किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन देय किसी ब्याज की वसूली के लिये किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही वैध और सदैव से वैध रही समझी जायेगी इस मानों इस अधिनियम की धारा २ के खंड (१) (ख) व (२) के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार ऐसे ब्याज की वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पूर्व

ऐसे ब्याज के निर्धारण, आरोपण या मांग के किसी आदेश या नोटिस के न होने के कारण न तो अवैध समझी जायगी और न कभी अवैध होगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ५ का निरसन

४—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ व ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ में संशोधन के लिये एक विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) यह ११ अगस्त, १९७० को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री गेंदा सिंह—

मान्यवर, म आचार्य जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक कमेटी बनायी थी और उसकी एक रिपोर्ट है जिसको वे मेहरबानी करके देखें कि उसने क्या सिफारिश की है गन्ना क्रय कर के सम्बन्ध में। वह सिफारिश है कि उस को बढ़ा दिया जाय। बढ़ाने की मैं ताईद नहीं करता लेकिन इतना कहता हूं कि जो बातें उन्होंने यहां प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर नहीं मानी उन्हें वे फिर सोचें कि फार्मों पर परचेज टैक्स लगाया जाय और बीस परसेंट सूद किया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव में संशोधित शब्द और बढ़ा दिया जाय क्योंकि मैंने स्वयं उसको १२ प्रतिशत किया है। जो अभी गेंदा सिंह जी ने कहा हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन इस समय तो इसी रूप में स्वीकार करना सम्भव होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०†

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई संशोधन तो है नहीं।

श्री धर्मवीर—

जी नहीं।

*श्री लाल बहादुर (जिला वाराणसी)—

यह जो हमारे मंत्री जी ने रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट रखा है, मुझे तो इसमें बड़ा शक है। जब वह सरकार ८ महीने में नहीं कर सकी तो अब तो तीन महीने ही हैं। ३१ मार्च तक यह कैसे कर लेंगे?

मैं कुछ सुझाव देता हूं और अगर उनको आप रख देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, जो सप्लाई आफिसर होते हैं वे ही रेंट कंट्रोल के मुकदमे भी करते हैं और वे ही बैठकर उसका इलाज भी करते हैं। मान्यवर, स्वराज्य प्राप्ति के बाद, अंग्रेजों के बाद कितने लोग जो भ्रष्ट थे दंडित किये गये हैं। उस समय सप्लाई विभाग में जो बड़े-बड़े कंट्रोलर थे उनके विरुद्ध भी मुकदमें चलाये गये और उनको पनिश किया गया। आज पब्लिक का गला उनके हाथों में दे दिया गया है और जिस प्रकार से चाहते हैं वे उसको दबाते हैं। मान्यवर, एक निष्पक्षता की नीति बरतनी चाहिये। जो अधिकारी सप्लाई का काम करते हैं उनके हाथों में आवास की समस्या न दी जाय। आज मान्यवर आवास की समस्या कितनी कठिन और जटिल हो गई है। जितना सीरियसली मंत्री जी को इस मामले को लेना चाहिये उतना सीरियसली उन्होंने इसको नहीं लिया है। आज आवास की समस्या बहुत ही भीषण और सीरियस रूप धारण कर चुकी है और जब तक आप इसको नेशनलाइज नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या इस विषय में हल होने वाली नहीं है।

दूसरा सुझाव मान्यवर मेरा यह है कि म्युनिसिपैलिटी को सरकार का यह अधिकार है कि वह भूमि को हस्तगत कर ले। मान्यवर चाहे बड़े शहरों में हो अथवा छोटे शहरों में। जिन स्थानों में इसने देखा वहां की भूमि पर वह कब्जा कर लेती है और वहां पर जो मकान

---

†८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनते हैं उनको भी मनमाने ढंग पर लोगों को देती है । बनारस में नगरमहापालिका कालोनी बनी हैं वहां पर भी साधारण जनता को मकान नहीं दिया जाता है । साधारण जनता मकानों के लिए त्राहि-त्राहि करती है और वह मकान को नहीं प्राप्त कर पाती । वहां पर अजीब तमाशा मचा हुआ है।

जब सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी । जिलों में कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि ए०डी०एम० उसका कोई अध्यक्ष होता था तथा साथ ही पब्लिक के प्रतिनिधि भी उस कमेटी में थे जो कि मकानों का एलाटमेंट करते थे । अब तो सप्लाई आफिसर के नाम पर आपने ऐसा धुंवाधार कर रखा है कि वह जिसको चाहे दे अथवा न दें कोई पूछने वाला नहीं है । यह नियम जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें सप्लाई आफिसर की अपील कलेक्टर को और कलेक्टर की कमिश्नर को अपील निहित होगी । सप्लाई आफिसर जितने हैं वे सन् ४८ या ५० में इन्सपेक्टर ही थे । उस समय जब कि सप्लाई विभाग टूटने वाला था और माननीय गुप्ता जी सप्लाई मिनिस्टर थे उस समय सप्लाई आफिसर को डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर बनाया गया । मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जनता की जो इतनी भीषण समस्या आवास की है उसको आप दूर करें । बड़े-बड़े शहरों में आज आदमी सुअरों की भांति रह रहा है । गरीब आदमी है और एक छोटी सी कोठरी में ९,९ आदमी रह रहे हैं जानवरों की भांति । उसी में रहना, खाना, पीना और पाखाना सभी कुछ करते हैं । इस प्रकार से लोगों की दशा शहरों में हो गई है । इस ओर आपको जरूर ध्यान देना चाहिये ।

म्युनिसिपैलिटी में गवर्नमेंट ने जो बड़े भारी अधिकार दे रखे हैं । गरीब आदमी है उसके पास तीन बिस्वा जमीन है जिस पर वह मकान बनवाना चाहता है परन्तु म्युनिसिपैलिटी उस जमीन को ले लेती है और १०,२० रु० की फी स्कवायर फुट की दर ले लोगों को देकर लूटती है । अगर आप इन सब चीजों को नहीं सुधारेंगे तो न देश चल सकता है और न सरकार । श्रीमन, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । वह बात रोजमर्रा की है फिर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं । म्युनिसिपैलिटी नक्शा पास करती है और जो म्यूनिसिपैलिटी के इंजीनियर होते हैं, चाहें कोई भी हों, जिसको चाहें बेइज्जत कर दें अगर उनकी जेब गरम न की जाय तो जिसका चाहें मकान एबालिश करा दें । हो सकता है यह दूसरे डिपार्टमेंट की चीज हो, लेकिन संबंधित आप से ही है । यह बन्द होना चाहिये । अगर आप किसी आदमी का मकान गिरा देंगे तो वह कहां रहेगा । यह चीज बन्द होनी चाहिये । अगर ऐसा न हुआ तो आपके आदमी मारे पीटे जायेंगे, पब्लिक यह बरदाश्त नहीं कर सकती है । आप ब्लड रेबूलूशन को इन्वाइट कर रहे हैं । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि आप कानून को बदलिये ।

मकानों के एलाटमेंट की समस्या है और लोग इससे परेशान हैं आये दिन डंडे चलते हैं । परसों ही मैं जब कांग्रेस कार्यालय में बैठा था एक ही सम्प्रदाय के दो लोग आये । एक मकान का आधा भाग एक भाई का है और दूसरा भाई कब्जा नहीं लेने देता । मैंने डी०वाई० एस० पी० को फोन किया कि उनके मामले को देख लिया जाय, इसके बाद दूसरी पार्टी आ पहुंची । मैं यह कह रहा था कि केवल एलाटमेंट के बारे में ही लिटीगेशन उनमें हुआ । अगर मकान के एलाटमेंट में गड़बड़ी न हुई होती तो यह सब न होता । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम सप्लाई अफसर से मकान एलाटमेंट के बारे में यह बात बन्द करा दीजिये कि वह मकान का एलाटमेंट न करें । आप चाहें तो अपने ही पार्टी के एम० एल० ए० को बना दीजिये, जिससे वह पब्लिक के हाथों में तो रहे । दूसरी चीज यह है कि, पता नहीं यहां होता है कि नहीं, हमारे बनारस में होता है, एक आदमी ने अपना निजी मकान बना रखा है और वह रहता है किराये के मकान में । इस तरह से वह रुपया भी कमाता है ।

[श्री लालबहादुर]

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस किस्म के जो लोग हैं उनका पता लगाया जाय कि इस तरह के कितने मकान हैं ।

एक बात और यह कि पहले तो सप्लाई आफिसर का काम एलाटमेंट करना था और वह एसिस्ट करता था । लेकिन अब वह ३/४ दिन कचहरी में बैठता है और इधर-इधर सप्लाई का काम गड़बड़ होता है । कचहरी वाला काम आप किसी दूसरे आफिसर को दे दीजिये । आप चाहें तो डिप्टी कलेक्टर को ही दे दीजिये या जिस आफिसर को आप उचित समझें । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समस्या टेढ़ी हो जायगी । मेरा एक सुझाव यह है कि पता नहीं वह जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है, जो नजूल की जमीन होती है उस पर बड़े बड़े लोग कब्जा कर लेते हैं शहरों में । कुछ बड़े बड़े आफिसर्स भी हैं । वह लोग कैंटोनमेंट की जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं और गरीब आदमियों को जमीन मिलती नहीं है । यह लोग बाद में न मालूम किस तिकड़म से रेगुलराइज करवा लेते हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि गरीब आदमियों को नजूल की जमीन दी जायं और उनको मिले । जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी बहुत कम दामों पर जमीन खरीदती है और बड़े बड़े दाम पर बेंचती है, कालोनी के नाम पर कि हमने यह डेवलेपमेंट किया, यह लोग भी बेचते हैं । यह चीज बन्द होनी चाहिये । जैसा मैंने पहले कहा कि यह आप ३ महीने में कैसे बना लेंगे । यह सेलेक्ट कमेटी में भी जायगा । इसलिये मैं आपसे बेगम साहिबा निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसमें समय लेना चाहिये नहीं तो दिक्कत में आप पड़ जायेंगी । क्योंकि हाउस और देश की जनता ही क्षमा करने वाली होगी । अगर देश के साथ हम जुल्म करेंगे तो जनता हमको क्षमा नहीं करेगी ।

आज नक्सलवादी हमारे प्रदेश में कम हैं । इसलिये कम है कि हमारा प्रदेश प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की तरफ जा रहा है । नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है ? आप कलकत्ता में देखें ९० प्रतिशत मकान तथा फैक्टरीज बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं । फैक्टरीज को नेशनलाइज कर दिया जाय, मजदूरों को उनमें भागीदार बना दीजिये तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जायगा । मकानों को नेशनलाइज करने की ओर आप सोचें । सरकार और म्युनिसिपैलिटी में मतभेद मत करिये । देहातों में जमींदारी पर आपने कब्जा कर लिया और किसान उसका मालिक हो गया उसी तरह से शहर में मकानों को नेशनलाइज कर लीजिये ताकि मकानों में रहने वाले २०,२५ साल तक संतोष के साथ गुजारा कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय मंत्री का ध्यान जो एक शंका मुझे हो गयी है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । वह यह है । बिल में यह छपा है "यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९७०" के स्थान पर संख्या "१९७१" रख दी जाय । लेकिन अब जो इसके संबंध में वित्तीय ज्ञापन पत्र है उसमें यह छपा है "

"It shall cease to have effect on the expiry of september 3o, 1970, except as respects things done or omitted to be done before the expiry thereof, and section 6 of u.p. general clauses Act,1904,shall apply upon the expiry of the Act as if it had been repealed by an uttar pradesh Act."

तो इसमें कुछ त्रुटि दिखाई पड़ रही है ।

श्री धर्मवीर--

लेकुना कुछ नहीं है । कुल ६ महीने के लिये अवधि सदन ने बढ़ाई थी अध्यादेश द्वारा चूंकि सदन सेशन में नहीं था और विधेयक सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया था जिसके लिये समय मांगा गया ताकि इस बीच में सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी । इसमें इसीलिये ६ महीने का समय बढ़ाने की प्रार्थना की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको देख लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

जब इतना बड़ा लेकुना है तब इस पर विचार स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

इतनी बड़ी त्रुटि मुझे प्रतीत नहीं होती है कि इसे स्थगित कर दिया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

माननीय मंत्री पहले इसको देख लें ।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

उपाध्यक्ष जी, इस समय जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है सरकार इसका एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थी लेकिन वह विधेयक सरकार ने सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा हुआ है और सेलेक्ट कमेटी उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और तब सदन में उस पर विचार होगा ।

उन्नाव जिले की विशेष समस्या को निवारण करने हेतु मैं उसे सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं । हमारे पड़ोस में कानपुर नगर महापालिका है और उसने अपना एरिया बढ़ा कर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा उन्नाव शहर के नजदीक तक ला दिया है । उन्नाव जिले का काफी डेवलपमेंट हो रहा है । सड़क के किनारे-किनारे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने यह कर रखा है कि कोई भी मकान उस देहाती क्षेत्र में नहीं बना सकता है ।

अभी-अभी इसी बरसात में जब कि हजारों मकान गिर गये हैं । जब किसान कच्चे मकानों के लिये अपना पट्टा बनाता है उनके लिये वहां की जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है वह उनको नोटिस देती है और उन पर हजारों रुपये का जुरमाना किया जा रहा है । तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कानपुर महापालिका की उन्नाव जिले पर लागू कर दी गई है उसका क्या औचित्य है । जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की कमेटी है उसमें उन्नाव जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है । मान्यवर, वह अकेला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा ? उन्नाव जिला का नजूलाना और जुरमाना वसूल करने का अधिकार वहां की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उसको उन्नाव जिले तक बढ़ा दिया गया है, उसको तत्काल वापस ले लिया जाय और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे उन्नाव जिले का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी मकान हैं उन्हें पहले नक्शा पास कराना पड़ता है और इस नक्शे को पास करने की जो प्रणाली है उसमें बहुत समय लग जाता है । इसको १-२ साल तक पूछने वाला कोई नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कौन विधेयक पर बोल रहे हैं ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इसका विधेयक से कोई संबंध नहीं है। माननीय नित्यानन्द स्वामी की जो आपत्ति है वह किसी अंश तक सही हो सकती है । किन्तु मैं हमारे जिले में इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जो कारनामे हो रहे हैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिला रहा हूं । वहां के लोगों को मकान आदि बनवाने में जो कठिनाई हो रही है मैं अवसर रहते हुए सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । अगर माननीय सदस्य खुद इसी तरह पीड़ित हों तो वे शायद अवसर न ताकते । तो मान्यवर, हमें वहां पर कठिनाई हो रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के कारनामों को रोकने की चेष्टा करनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में मैं अपनी राय दे देता हूं कि हमारे सामने एक साथ दो बिल आ गये हैं एक जनवरी १९७० का और दूसरा १९७१ का । (व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, यह दो बिल कैसे आ गये । कौन से बिल पर चर्चा हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---

जो विधेयक अध्यादेश को दृष्ट करता है ३१ मार्च, १९७१ का, उसी विधेयक पर विचार हो रहा है । इसलिये आप सुधार कर लें । जिस किसी के पास गलती से वह आ गया है उसमें सुधार कर लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय मंत्री जी ने ३१ सितम्बर तक कहा है, ३१ मार्च नहीं कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनकी बात से मैं अपने को सहमत नहीं पाता हूं । मुझे भी शंका हो गई थी और मैंने सोचा कि इसका वैधानिक दोष हो सकता है । अब मैं संतुष्ट हूं । यह हमारा दुर्भाग्य है कि दो-दो बिल यहां पर आ गये । माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मान्यवर, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि माननीय तिवारी जी की पार्टी की ओर से एक सुझाव आया कि सभी मकानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय

(व्यवधान)

तो श्रीमन्, राष्ट्रीयकरण क्या ऐसी दवा है जिसको कि हर जगह एप्लाई करना चाहते हैं । श्रीमन्, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां से प्रधान मंत्री की कोठी बन रही है वहां से और एक साधारण नौकर की झोपड़ी तक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीयकरण जो है वह समस्या का हल नहीं है । अगर राष्ट्रीयकरण करना है, माननीय तिवारी जी बुरा न मानें, रूस की विचाराधारा से जो दिमाग केंद्रीय सरकार का चल रहा है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दीजिये, जिसको हम भारतीयकरण कहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रधान मंत्री जी की कोठी कहां बन रही है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

दिल्ली में । माननीय तिवारी जी का कहने का मतलब यह मालूम होता है कि उनकी कोठी उत्तर प्रदेश में तो बन नहीं रही है, इसलिये उत्तर प्रदेश का कानून वहां लागू न होगा । यह सही है लेकिन राष्ट्रीयकरण समस्या का हल नहीं होगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मैं माननीय नित्यानन्द जी को सूचना दे दूं कि प्रधान मंत्री की कोठी इलाहाबाद में थी जिसको उन्होंने धर्मार्थ ट्रस्ट को दान में दे दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं । जिस भवन का टैक्स अब तक उनको स्वयं वहन करना पड़ता था, उसको अब सरकार दे दिया करेगी । इससे अच्छा और क्या हो सकता है । लेकिन मैं यह कह रहा था कि जो यह विधेयक इस समय हमारे विचाराधीन है जिसके द्वारा समय को बढाया गया है उसके बारे में मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसका समय इसलिये बढाया जा रहा है कि प्रवर समिति विचार करके इसको नहीं दे पायी है। लेकिन सरकार को इस समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि शहरों में किरायेदार दर-दर की ठोकर खा रहा है । यह ठीक है कि हमारे देश और प्रदेश के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं उनकी ओर ध्यान भी देना चाहिये लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि शहर के लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाय । सवा छः एकड़ वाला बिल आ रहा है लेकिन वृत्तिकर के बारे में किसी ने आज तक कोई विचार नहीं किया । इस सदन में तो वह आ नहीं रहा है । पता नहीं दूसरा सेशन कब होगा । सुना जा रहा है कि पार्लियामेंट डिजाल्व होने जा रही है । आज हमारे जो मामूली मामूली कर्मचारी हैं उनको रहने का स्थान नहीं है, मजदूरों को रहने की जगह नहीं है । शहरों में उनके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? छोटे-छोटे मकानों में ५०-५० आदमी रह रहे हैं । उनके शौचालय का अलग प्रबन्ध नहीं है । उनके बच्चों के विकास के लिए वहां कोई अवसर नहीं है । रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है, उनके रहने का कोई साधन नहीं है ।

श्री लालबहादुर--

ये सब बातें तो मैं कह चुका हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं । कभी कभी आप लोग भी अक्ल की बात कह देते हैं । अगर मार्च ७१ तक इसको कर दिया जाता तो अच्छा होता । उससे हजारों लाखों लोगों को राहत मिल जाती । लेकिन इसको ७१ के सितम्बर तक के लिये टाल दिया गया है ।

जो इस समय व्यवस्था है वह यह है कि उसके अधिकतर अधिकार जिलाधीश और डी०एस०ओ० को हैं जो कई जगह तो गजटेड आफिसर भी नहीं है । उनकी हालत वही है जिसे कहते हैं आई एम दि मोनार्क आफ आल आई सर्वे" । जिसको चाहा अलाट कर दिया और जिसको चाहा निकाल दिया । सेक्शन ३,७-ए के अन्दर जो जी में आता है वह करते रहते हैं । कमिश्नर के यहां भी उसकी अपील होती है लेकिन वह भी उसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

है । ७-एफ० में यहां पर अपील होती है लेकिन यहां पर कोई सुनवाई का मौका नहीं मिलता । यहां पर फाइल आती है और चली जाती है । हाईकोर्ट तक भला कौन जाता है । कितने आदमी ऐसे हैं जो हाईकोर्ट तक जाने का खर्चा बरदाश्त कर सकते हैं । छोटे और गरीब आदमी तो कभी भी ऐसा कर नहीं सकते । मामूली मामूली किरायेदार जो २०-२० साल से रहते हैं उनके खिलाफ मकानदार ने सेक्शन ३ के अन्तर्गत दरख्वास्त दी और बेदखल करा दिया गया । इसलिये मेरा कहना है कि इसमें जो देरी होती चली जा रही है, वह देरी करना उचित नहीं है ।

आज जो किरायेदार हैं वे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते । इसके अन्दर एक नया विधेयक आ रहा था, यह अच्छी चीज है कि सन् ६० तक के मकान रेंट कंट्रोल ऐक्ट में ले लिये जायं लेकिन इसके लिये अच्छा यह होगा कि एलाटमेंट के लिये जुडिशियरी के हाथ में अधिक पावर दिये जायं । हम जुडिशियरी को अधिक से अधिक पावर दे रहे थे लेकिन मुझे खेद है कि इस ओर दुर्लक्ष्य हो रहा है और इसके प्रति मैं अपने भाव को प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । इसके अन्दर यह व्यवस्था है कि जितनी जल्दी हो सके हम इस चीज को प्रवर समिति में लावें और इस काम को पूरा करें । आपने इसमें ६ महीने का समय लिया है लेकिन तो भी इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है । आप चाहें तो बजट अधिवेशन में ही इसको लाकर जल्दी से जल्दी पारित करा लें ।

यह ठीक है कि आपने समय इसलिये ले लिया कि शायद बीच में कोई ऐसी चीज न आ जाय जिससे हम इस काम को न कर सकें । लेकिन कम से कम इतनी राहत तो हम एलाटमेंट के सम्बन्ध में दे ही सकते है कि सेक्शन ७ (७) के अन्दर जो जिलाधीश और डी० एस० ओ० को पावर मिला हुआ है कि जिसको वे चाहें रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत मकान एलाट कर सकते हैं, उसके स्थान पर हर जिले में एक छोटी सी समिति ३--४ आदमियों की बना दी जाय जो समय-समय पर उनको सलाह दिया करें । इससे यह तो नहीं होगा कि जिलाधीश दौरे पर गये तो फाइल वहां चली गयी और वहीं से एलाटमेंट होकर आया जिसका किसी को पता तक नहीं चल पाता। अगर माननीय मंत्री जी सदन को इस तरह की कोई समिति बनाने का आश्वासन दे दें जिसके अन्दर जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नगरपालिका के चैयरमैन हो सकते हैं और इस तरह उनकी सलाह से मकानों का एलाटमेन्ट किया जाय तो ५० प्रतिशत लोगों को राहत मिल जाय और मकानों का एलाटमेंट ठीक से होने लगे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, यह निस्सन्देह अत्यन्त खेद की बात है कि सन् ४७ के बाद हमारे नगरों में जो मकानों की समस्या पैदा हुई उसका निराकरण विभिन्न प्रदेशों में सरकारें आयीं किन्तु उसका निराकरण नहीं हो सका । सन् ४७ के बाद फिनोमिना की तरह से यह देखा गया कि गांवों की आबादी शहरों की ओर मुड़ चली । एक्सोडस सा हुआ और गांवों से शहरों में आबादी होने लगी । मान्यवर, हमें उसी समय इसका एक प्लान करना चाहिये था, नियोजन करना चाहिये था, इसकी कल्पना करके कि आने वाले अगले वर्षों में नगरों की आबादी बढ़ेगी, इसका एक अन्दाज लेना चाहिये था इसके लिये कुछ कार्य करना चाहिये था, कुछ कदम उठाना चाहिए था, लेकिन इस दृष्टि से कुछ नहीं हो सका और आज स्थिति यह है कि मामूली तौर से शहरों में रहने वाले २५ प्रतिशत लोगों के लिये समुचित रहने का स्थान नहीं है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाम्बे और मद्रास में पेवमेन्ट के ऊपर लोग घर बना कर रहते हैं और अगर यहां भी शीघ्र ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित है कि आने वाले ५--७ वर्षों में यहां भी वैसी ही परिस्थिति पैदा हो जायेगी और नगरों के अन्दर लोग पेवमेन्ट पर अपने घर बनाने लगेंगे ।

मैं नहीं जानता कि स्थायी रूप से इस समस्या को कैसे निबटाया जायेगा लेकिन एक बात मैं बतला देना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास साधन हैं और जिन लोगों की आर्थिक क्षमता है और वे लोग जो आज मकान बनाते चले जाते हैं और मकान बना कर एक रोजगार के रूप में उनको चला रहे है और उससे लाभ अर्जित कर रहे हैं, जब तक इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जायगा, जब तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा तब तक आवास की समस्या का शहरों में सुधार नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, मेरे मित्र माननीय स्वामी जी अभी क्षुब्ध हो गये इस वाक्य से कि राष्ट्रीयकरण हो आवास सम्पत्ति का । राष्ट्रीयकरण या प्रधान मंत्री का नाम मुझे ऐसा लगता है कि सदन में एक ऐसा तबका है जिसके लिये वह रेड रैग हो गया है जैसे कि वह बुल के लिये हो जाता है । प्रधान मंत्री का नाम या राष्ट्रीयकरण की बात हमारी और से चाहे निष्कपट भावना से कही गई हो लेकिन वह रेड रैग का ही कार्य करती है । एक तबका है जो क्रोधित हो जाता है....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्योंकि आप रेड होते जा रहे है ।

श्री कृष्णचन्द्र--

मैं चाहता हूं कि आप काले न बनें । रेड होना तो अच्छा है । मैं चाहता हूं कि आप कालापन छोड़ दें । मैं कह रहा था कि एक समस्या है, एक आर्थिक विषमता है, इसका निबटारा हो सकता है । राष्ट्रीयकरण एक रास्ता है, साधन है और प्रधान मंत्री जी जिन विचारों का प्रतिनिहित कर रही है वह भी एक रास्ता है । मैं भी समझता हूं कि जब तक आवास की सम्पत्ति पर, शहरी सम्पत्ति पर नियंत्रण नहीं लगाया जायेगा, लाभ की इस प्रवृत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा, मकान मालिकों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जायेगा तब तक आवास की समस्या में सुधार नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, मैं डरते-डरते यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार में यह क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि शहरों के बड़े-बड़े तिजौरीदारों के, पूंजीपतियों के खूनी दांतों को, जहरीले दांतों को उखाड़ सके । हमारा संदेह है कि शहरों के जितने बड़े बड़े पूंजीपति और इजारेदार हैं उनके साथ इस सरकार का गठबंधन है, इसलिये देहात में तो इनका पंजा जा सकता है और गरीबों की गरदन को पकड़ सकता है लेकिन इसमे साहस नहीं है कि शहरों के इजारेदारों की गरदन पर यह हाथ रख सके ।

मान्यवर, वह बिल सिलेक्ट कमेटी में दिया हुआ है, किन्तु यह पीसमील में आ सकता था और लैंड लार्ड्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता था । लेकिन ये बराबर इसको स्थगित करते चले जा रहे हैं । चाहे आप की सरकार या किसी और की सरकार हो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह ऐक्ट पीसमील में कैसे आ जाता ?

श्री कृष्णचन्द्र--

आपने स्वयं कहा है कि इसको पीसमील लेजिस्लेशन की शक्ल में ला सकते थे । यह सरकार और इससे पहले की सरकार बहुत से ऐसे विधेयकों को लाई है । आज कौन-सी रुकावट है, एनामली जो कुछ भी हो लेकिन इसको बराबर स्थगित किया जाना संदेह से परे नहीं है । जब इतने महत्वपूर्ण विधेयक को स्थगित कर रहे हैं तो शक पैदा होना स्वाभाविक है । फिर भी

[श्री कृष्ण चन्द्र]

आप एक टुकड़े में इसको लाये है कि इसकी लाइफ बढ़ा दी जाय । इस अवसर पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इस पर विचार करने के लिये सिलेक्ट कमेटी बैठेगी । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी और मंत्राणी जी हमारे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों ही मंत्री हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

जी हां, दोनों से ही प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्राणी कोई नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

अगर मुझसे कोई बेअदबी हुई हो बेगम साहिबा की शान में तो दस्तबस्ता में माफी चाहता हूं और "मंत्राणी" की जगह संशोधन कर के "मंत्री" रखना चाहता हूं । एक अनामली है खासकर उन शहरों में जहां केन्टोनमेंट एरिया है । शहरों में निहित स्वार्थों में कैन्टोमेंट बोर्ड भी एक है । झांसी, आगरा, मथुरा और ऐसे किसी भी नगर में आप जायें तो आपको मालूम होगा कि शहर का एक बड़ा भारी एरिया, सब से सुन्दर और स्वस्थ एरिया हमारी परिधि के बाहर है और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई नियन्त्रण नहीं लागू हो सकता, वहां पर कोई ऐक्ट या कोई नियम वह लागू नहीं कर सकती । इस विधान सभा ने १९४९ में एक संशोधन पास किया जिसके द्वारा अपनी परिधि बढ़ा कर केन्टोमेंट एरिया को भी उसमें शामिल कर लिया था । लेकिन उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली और इसलिये वह लैप्स हो गया । आज उसके परिणाम स्वरूप, मैं झांसी का उदाहरण देता हूं, झांसी का आधा एरिया आज इस परिधि से बाहर है और केन्टोनमेंट बोर्ड में पिछले ३० वर्षों में यदि देखा जाय तो ३०, ४० और कहीं कहीं तो ६० प्रति शत मकानों का इजाफा हुआ है और उन मकानों और दुकानों पर चूंकि कोई कंट्रोल नहीं है इसलिये वह लैंडलार्ड के ही कब्जे में हैं और अगर लेट आउट भी किया है तो मनमाने किराये पर । हमारे शहरों में तो चुपके से पगड़ी ले रहे है, क्लैन्डेस्टाइन तरीके से, लेकिन वहां तो खुलेआम कहते हैं कि ५०० रुपये पर यह दुकान दी जायेगी, एक हजार रुपये पर यह मकान दिया जायेगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप विधेयक लायें तो कैन्टोनमेंट एरिया को फिर से शामिल करने की कोशिश करें जिससे कि वह भी आपकी परिधि में आ जायें ।

जब मैं केन्टोनमेंट एरिया की बात कह रहा हूं वहीं दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे यहां शहर के भीतर तक केन्टोनमेंट एरिया घुस आया है और एक टापू की स्थिति में हो गया है। और उस केन्टोनमेंट एरिया में जोकि हजारों एकड़ में फैला हुआ है हम कोई मकान नहीं बनवा सकते, कोई परमानेन्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते और जब हम एप्लाई करते हैं तो कह दिया जाता है कि फार सिक्योरिटी रीजन्स यह इजाजत नहीं दी जा सकती है जो लागू है । तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखें जबकि आप सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को लायें कि कैन्टोनमेंट एरिया की आड़ में जो आधा शहर आपकी परिधि में नहीं है उसको भी आप परिधि में लाने की कोशिश करें ।

दूसरी जो दिक्कत सामने आ रही है उससे भी लैंड लार्ड्स को बड़ा लाभ हो रहा है कि नये मकान जो बनते चले जा रहे हैं वह रेंट कंट्रोल की सीमा के बाहर हैं । आपने यह कंसेशन क्यों दिया ? क्या यह शक नहीं पैदा करता है ? पुराने मकानों पर तो रेंट कंट्रोल लागू कर दिया और नयों को क्यों छोड़ दिया ?

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

आरे, भाई, यह तो ला रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र--

अगर उन्हें भी परिधि में ला रहे हैं तो मैं आपत्ति वापस ले लूंगा। मैं आपकी सरकार का शुक्र गुजार हो जाऊंगा अगर यह नये मकानों और दूकानों पर लगाया जा रहा है।

तीसरी बात इसमें एविक्शन औफ टीनेन्ट की है। किसी भी बहाने से लैंड लार्ड किरायेदार से मकान खाली करा सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो केवल कलेक्टर साहब हैं, कमिशनर साहब हैं और यह प्रदेशीय सरकार और इसके उपरान्त हाई कोर्ट है। तो श्रीमन्, यह इतना कम्बरसम प्रोसेस है कि वह निर्धन मिडिल क्लास के लिये उपयुक्त नहीं है। इसमें एक सेक्शन है कि वेकेशन किस किस कारण से कराया जा सकता है। शायद वह सेक्शन २ (जी) है। इसमें ए० से लेकर जी० एच० तक सब सेक्शनस जोड़ दिए गये हैं और सब सेक्शन्स में अगर टीनेन्ट डैमेज करेगा या कन्स्ट्रक्शन करेगा तो हटा दिया जायगा, न्युसेन्स करेगा तो हटा दिया जायगा। इतने सेक्शन्स इसमें रखे गये हैं कि हमने मकान मालिक को हैन्डिल दे दिया है कि वह किसी भी बहाने से किरायेदार को निकाल देगा। अगर किसी किरायेदार ने पाइप लगवा लिया, अगर किसी ने बाथरूम या लेट्रीन बनवा ली, धूंए के लिये चिमनी बनवा ली, तो वर्तमान एक्ट में ये काफी कारण होंगे, उस लैंडलार्ड के लिये जो अपने किरायेदार का हटाना चाहेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसमें केवल डैमेज पर ही निकालने की बात है।

श्री कृष्ण चन्द्र--

मकान मालिक कह सकता है कि आपने हमारी प्रापर्टी को डैमेज किया है। वह कह सकता है कि इसके लिये स्वीकृति की आवश्यकता है। अगर हम स्वीकृति लेंगे नहीं और वह देगा भी नहीं, क्योंकि वह तो हमें हटाना चाहता ही है, तो अगर हम उसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन कर लें तो उसको हक होगा कि हम को हटाया जा सकता है। तो ऐक्ट को बहुत ही स्पष्ट होना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि जब इस पर सलेक्ट कमेटी में विचार करें तो जैसे इसमें दिया हुआ शब्द "न्युसेन्स" वह स्पष्ट होना चाहिये। मिसाल के रूप में अगर हम अपना दैनिक कार्य करते हैं तो कहीं वह इसको न्युसैन्स न कहें। फर्ज कीजिए कि रात को १० बजे कोई लोहार अपना कार्य करता है तो वह कह सकता है कि आप न्युसैन्स करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई बुनकर है तो उसको भी हटाया जा सकता है। तो ये कुछ लैक्युने हैं, जिनको समाप्त होना चाहिए जिससे लैंड लार्ड के लिए किरायादार को हटाना ज्याद से ज्यादा हटाना कठिन हो सके। मैं चाहता हूं कि यह बहुत उचित है कि इस पर विचार करते समय जिलों में सलाहाकर समितियों का अवश्य प्राविजन करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं अपने उन साथियों की बुद्धि की दाद देता हूं जिन्होंने सदन का बड़ा समय लिया। यह विधेयक बहुत छोटा सा है जिसमें विधेयक की अवधि सितम्बर तक बढ़ाने की बात है न कि एलाटमेंट मे बारे में, इसमें कोई जिक्र है। ऐसी दशा में माननीय सदस्यों को इस पर इतनी लम्बी चौड़ी बहस नहीं करनी चाहिये थी क्योंकि इससे सदन का समय नष्ट होता है। यह क्यों हुआ? पहली सरकार एक विधेयक लायी थी जो प्रवर समिति के सुपुर्द था जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। सरकार बदल गई है। उस पर विचार करना है और ठीक ढंग से विचार करने के लिये सरकार समय चाह रही है। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मवीर--

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये है । जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जितने सुझाव आपने दिये है और जितनी कठिनाइयां बताई है उन्हीं पर विचार करने के लिये पिछली सरकार जब थी तो सैलेक्ट कमेटी बनी थी । बीच में सरकार की बदली हुई और इसलिये उसमें समय की आवश्यकता पड़ी । हमारे माननीय सदस्य लाल बहादूर सिंह जी ने सुझाव रक्खे हैं और मुझे ज्ञात है कि वे भी सेलेक्ट कमेटी के सदस्य हैं । कमेटी में जितने भी सदस्य हैं वे सभी जागरूक हैं एक एक धारा पर और एक एक विषय पर सभी विचार कर रहे है । मुझे भी इसका तजुर्बा है और जिस प्रकार की कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने उठाई हैं उस पर हम सजग हैं और उसी पर विचार करन के लिये हम आपसे समय मांगते है । कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि हमने इतना समय ले लिया है । हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही प्रवर समिति की रिपोर्ट आपके सामने आ जाय और उसे ऐक्ट का रूप दे दें । इसमें जितनी कठिनाइयां आवास की समस्या हल करने के सम्बन्ध में है वे सब सामने आ रही हैं और जितने माननीय सदस्य है वे उन पर विस्तारपूर्वक विचार कर रहे है । जितने सुझाव आप लोगों ने दिये है वे सब कमेटी में आ चुके हैं और विचाराधीन है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और वह फिर कहूंगा कि आवास की समस्याओं पर विचार करने के लिये ही यह कमेटी गठित की गई है ।

एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा । एक बहुमूल्य सुझाव आया है कि अलाटमेंट के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पावर्स डेलीगेट कर देते है डी० एस० ओ० को, उसको समाप्त करके एक पब्लिक कमेटी की तरह बना दिया जाय। सुझाव अच्छा है लेकिन इस प्रकार के कमेटी के निर्णय को उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है । इसलिये जब तक इसका प्राविधान हम ऐक्ट में न कर दें, तब तक हम इसको नहीं कर सकते । यह बहुत अच्छी बात है । इसमें मुझे एतराज नहीं है । समस्यायें उनके सामने भी आयेंगी । लेकिन हमें सन्तोष रहेगा कि इसे जनप्रतिनिधि कर रहे है । मैं अनुरोध करूंगा कि वे इसको विचार के लिये स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ याचिकायें भी आई हैं । उनकी भी संस्तुतियां है । विधेयक पर विचार करते समय उनका भी ध्यान रक्खा जाय।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम १--यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड एविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० कहलायेगा ।

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९७०" के स्थान पर "१९७१" रख दी जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन ।

३—उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ० प्र० अध्यादेश संश सं० १९, १९७० का निरसन ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेण्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०†

*न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय । मान्यवर, इस विधेयक पर विचार करते समय मुझे यह निवेदन करना है कि विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा इस मिल की स्थापना का विचार और फिर उसका विफल होना एक अत्यन्त दुखद अध्याय है। दान सिंह विष्ट ने सबसे पहले यह विचार किया था कि तराई क्षेत्र में पैदा होने वाले गन्ने का सदुपयोग हो सके, इसलिये वहां पर एक मिल लगायी जाय । वहां के किसान वर्ग को सुखी बनाने के उद्देश्य से यह विचार रखा गया था । मैं इसके इतिहास पर माननीय सदन को थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं । श्रीमन्, १९५६ में इस विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, किच्छा की स्थापना हुई जिसका एक मात्र उद्देश्य यही था कि उस क्षेत्र के किसानों का अधिक से अधिक गन्ना पेरा जा सके । उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से यह विष्ट कारपोरेशन किसी एक मिल की वहां पर स्थापना कर सके, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे प्रयासों के बावजूद वह मिल उस क्षेत्र में स्थापित न हो सका । १९५७ में, मार्च में, ४० लाख रुपयों का एक ऋण भी इस परियोजना के लिये स्वीकृत किया गया और मार्च, १९५८ में

†८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

२०-२० लाख की दो किस्तों में यह रुपया दे भी दिया गया। यही नहीं, इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ने भी एक करोड़ रुपये इसको देने का विचार किया था, किन्तु कुछ शर्तें इस कारपोरेशन के सामने रखी थीं जिनको वह पूरा नहीं कर पाया।

भारत सरकार ने भी समय समय पर इसको सहायता प्रदान करने की कोशिश की, प्रारम्भ में उन्होंने २,००० टन प्रति दिन पेराई की क्षमता वाले एक क्रशिंग प्लान्ट का भी लाइसेंस दिया। उसके बाद ६५ लाख रुपये की मशीनरी आयात करने के लिये भी इनको परमिट्स दिये गये और कुछ मशीनरी आयी भी। माननीय सदस्य जिन्हें उधर जाने का मौका मिला होगा उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनरी अभी भी वहां बन्द पड़ी है, उसको खोला तक नहीं गया है। इस विष्ट कारपोरेशन में मुख्य रूप से श्री दान सिंह विष्ट तथा उनके परिवार वाले ही काम करते रहे हैं। बाद में एक सज्जन श्री विलायती लाल कोहली से भी इनका साझा हुआ और इन दोनों ने मिल कर भी इसे चलाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुये। यहां तक कि जो ऋण इनको दिया गया था उसकी अदायगी की भी कोई व्यवस्था वे नहीं कर सके। जो ४० लाख इनको दिया गया था वह पंजाब नैशनल बैंक ने ६० लाख की गारंटी पर दिया था। उनमें से कोई भी कार्य उनकी ओर से पूरा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कई बार समय-समय पर सहायता करने की चेष्टा की है— १९६३ में, फिर १९६६में और फिर १९६७में। निरन्तर यह प्रश्न कैबेनिट में आया। इन प्रयासों के बावजूद कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। आज उसका परिणाम है कि इतनी उपयोगी होने के बावजूद जिसके चलाने से सरकार का खयाल है उस एरिया के ऐग्रीकल्चर को बहुत लाभ होगा, बेकार सी पड़ी है जिसे अनकमीशंड कहते हैं। उसने आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया, १९६५ से १९७० तक यही स्थिति रही। समय-समय पर जब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की चेष्टा की तो कुछ सज्जनों ने यह भी कोशिश की कि अदालत में जा कर उस प्रयास को विफल करें।

एक आर्डिनेंस के द्वारा एक व्यवस्था इसकी की गयी, उसी को मैं विधेयक के रूप में उपस्थित कर रहा हूं। मख्यतः इस बिल में जितने कर्ज हैं, जितने कंट्रेक्ट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज हैं, उन सब को सरकार ने अपने माथे पर लिया है। कम्पेन्सेशन के रूप में सरकार १ करोड़ ३१ लाख ५९ हजार ३७२ रु० इस कंसर्न को देगी। यह रुपया अदालत में जमा हो जायगा और जिस दिन से बिल स्वीकृत होगा उस दिन से ६ प्रतिशत सूद भी सरकार को देना होगा। इस रुपये के अदा हो जाने के बाद जितनी जिम्मेदारियां हैं, कर्ज है, सब के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी। उनमें से जो फर्जी है, जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया जायगा कि यह गलत है, यह बाई कनाहवेंस है, उन सब के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करेगी और अदालत का निर्णय आ जाने के बाद उनकी अदायगी की जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी। लेकिन जो सही रुपया है उसको जरूर अदा किया जायगा। वह रुपया उनके द्वारा अदा हो जायगा। जो सरकार का ४० लाख रुपया है मय सूद, उसकी अदालयगी भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार मुआविजे के रूप में १ करोड़ ४१ लाख से कुछ अधिक रुपया देकर सरकार इसका हस्तान्तरण करेगी। आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा जिससे शीघ्र से शीघ्र वहां इस मिल को चालू कर सकें और गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ हो सके।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इससे पहले कि शुरू हो, एक सूचना दे दें। कुछ मशीनरी इसकी बाम्बे में पड़ी है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या तय किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यही नहीं, इस बिल में पेनल क्लाज भी है। कागजात, मशीनरी या जो भी चीज मिल से सम्बन्धित है, प्रत्येक जिसके पास हो उसको सरकार को देना होगा और सरकार जोकुछ

ब्योरा मांगेगी वह भी देगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो उसके सम्बन्ध में अदालत में में क्रिमिनल ऐक्शन लिया जायगा और उनको दंडित किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

आपके पास क्या यह सारी इंफारमेशन है कि कितनी कीमत की मशीनरी पड़ी है? वह मशीनरी बम्बई में बहुत मुद्दत से पड़ी है। वह कितनी कीमत की मशीनरी है और उस पर कितना डेमरेज देना पड़ेगा, यह जानना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हमारे पास जितनी सूचना उपलब्ध है उसका तो हम उपयोग करेंगे ही। मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र के पास यदि कोई सूचना हो तो वह भी हमें दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ व ३

परिभाषाएं

२--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से है, जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ में यथा परिभाषित ऐसी कम्पनी है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय किच्छा, जिला नैनीताल में है;

(ख) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिला नैनीताल के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर क कृत्यों का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(ग) "न्यायालय" का तात्पर्य जिला न्यायाधीश, नैनीताल के न्यायालय से है;

(घ) "कम्पनी के उपक्रम" का तात्पर्य किच्छा, जिला नैनीताल में स्थित कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि और भवनों से है, जिसके अन्तर्गत किच्छा में शक्कर के कारखाने को जैसा वह १२ सितम्बर, १९७० के ठीक पूर्व कम्पनी में स्वामित्व, कब्जा, अधिकार या नियंत्रण में था स्थापित करने और चलाने [जिसके लिये इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन कम्पनी ने लाइसेंस प्राप्त किया था] से संबंधित नालियां, पुलियां, पुल, सड़कें, स्टोर-हाउस तथा चिमनी, टरबाइन और वायलर्स [जिसमें नींव, ऊपरी ढांचा (सुपरस्ट्रक्चर) तथा छत भी सम्मिलित है] और रेलवे साइडिंग, नलकूप, विद्युत् अधिष्ठान तथा अन्य आनुषंगी पदार्थ (अपार्टीनेन्सेज) और फिक्सचर्स, और किच्छा में स्थित भूमि और भवनों में कम्पनी द्वारा धृत पट्टेदारी अधिकार या कोई अन्य हित भी है और सम्पूर्ण प्लान्ट और मशीनरी और अन्य सज्जा [जिसमें मिलिंग प्लान्ट, बाइलिंग हाउस सज्जा तथा शक्कर बनाने की अन्य मशीनरी, वर्कशाप, मशीनरी, गन्ना उतारने की सज्जा तथा पावर प्लान्ट, फर्नीचर, लोकोमोटिव्स और अन्य गाड़ियां, तोलन पट्ट (वे ब्रिज) और क्रेन्स सम्मिलित है] और स्टोर्स, प्लांस, सेक्शन्स, ड्राइंग्स, डिजाइन्स तथा अन्य लेख्य हैं,

किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसी रोकड़ बाकी, हस्तस्थ रोकड़, रक्षितनिधि, विनियोजन और खाता ऋण, या (ऐसी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों से भिन्न जिन्हें इसके पूर्व उपक्रम में समाविष्ट उल्लिखित किया गया है), कोई अन्य सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां जिनका सम्बन्ध उक्त शक्कर के कारखाने की प्रस्तावित स्थापना और उसे चलाने से न हो या ऐसी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों से, जिन्हें इसके पूर्व उपक्रम में समाविष्ट उल्लिखित किया गया है, सम्बन्धित संविदों से भिन्न किसी संविदा से प्रोदभूत कोई अधिकार या दायित्व नहीं है ।

निहित होना

३--इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, कम्पनी का उपक्रम इस अधिनियम के सामर्थ्य से कम्पनी के या क्रम से सम्बद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास तथा तत्सदृश आभार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित हो जायगा और उसमें निहित हो जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार उपक्रम के स्थान पर धारा ८ में अभिदिष्ट प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

खंड २ व ३ पर कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड २ व ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४, ५ व ६

निहित होने का सामान्य प्रभाव

४--इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये कम्पनी के उपक्रम से सम्बन्धित सभी संविदायें, जो १२ सितम्बर, १९७० के ठीक पूर्व प्रचलित रही हों और जिनसे कम्पनी पर प्रभाव पड़ता हो, कम्पनी या किसी ऐसे व्यक्ति के जो प्रतिभू हो या जिसने उनके अनुपालन के लिये प्रत्याभूति दी हो विरुद्ध प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जायेगी और राज्य सरकार के विरुद्ध या पक्ष में उसी प्रकार पूर्णतया प्रवत्त और प्रभावी होगी और उसी प्रकार पूर्णतया तथा प्रभावकारी ढंग से प्रवर्तनीय होगी मानो उनमें कम्पनी के बजाय राज्य सरकार का नाम हो अथवा वह उनमें एक पक्ष हो ।

सम्पत्ति आदि का कब्जा देने का कर्त्तव्य

५--(१) यदि कोई सम्पत्ति धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाय तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में सम्पत्ति हो, तुरन्त सम्पत्ति कलेक्टर को सौंप देगा ।

(२) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर कम्पनी से सम्बन्धित कोई ऐसे बही, लेखा या अन्य पत्रादि हों जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों और जो कम्पनी के होते यदि कम्पनी का उपक्रम राज्य सरकार में निहित न होता, उक्त बहियों, लेखों और पत्रादि के लिये राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और उन्हें कलेक्टर को सौंप देगा ।

(३) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुये, कलेक्टर ऐसी सभी सम्पत्तियों का जो धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, कब्जा लेने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा, और विशेष रूप से ऐसे बल का प्रयोग करने का प्राधिकार दे सकती है, जो आवश्यक हो ।

ब्योरे प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य

६—कम्पनी, ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिये राज्य सरकार तदर्थ अनुज्ञा दे, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें अपने उपक्रम में समाविष्ट सभी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की तथा उनकी प्रतिभूति पर उपगत और १२ सितम्बर, १९७० को प्रचलित कम्पनी के सभी दायित्वों तथा आभारों की और धारा ४ में अभिदिष्ट सभी संविदाओं की भी एक पूरी तालिका प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये कम्पनी को सभी उचित सुविधायें देगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

खंड ४ में माननीय परमाई लाल का संशोधन है । वे उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ व ६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७ व ८

कतिपय संविदाओं को अस्वीकार करने का सरकार का अधिकार

७—(१) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी ऐसी संविदा का किया जाना, जिसके अधीन कम्पनी का दायित्व हो या होगा अथवा हो सकता हो, कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं था अथवा यह सद्भाव से नहीं की गयी है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से २ वर्ष के भीतर संविदा से उन्मुक्ति पाने के लिये न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकती है, और यदि न्यायालय का इस विषय में ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि संविदा कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं थी अथवा वह सद्भावना से नहीं की गयी थी तो वह संविदा रद्द करने अथवा उसमें परिवर्तन करने का आदेश ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझें, दे सकता है, और तदुपरान्त संविदा प्रभावी न रह जायगी या, जैसी भी दशा हो, ऐसे परिवर्तन के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र सामान्यतया सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की प्रथम अनुसूची के आदेश ६ और ७ की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा मानो वह आवेदन वाद-पत्र हो और संविदा के, जिसे रद्द करने या जिसमें परिवर्तन करने की याचना हो, सभी पक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनाये जायेंगे ।

उपक्रम का अर्जन करने के लिये प्रतिकर

८—(१) राज्य सरकार, कम्पनी के उपक्रम का अर्जन करने के लिये कम्पनी को प्रतिकर के रूप में १,३१,५९,३७२ रुपये (एक करोड़ इक्तीस लाख उन्सठ हजार और तीन सौ बारह रुपये) की धनराशि का उसमें से ऋण तथा उस पर ब्याज (जिसके अन्तर्गत दंड स्वरूप ब्याज भी है) और कर (जिसके अन्तर्गत शास्ति की राशि भी है) की उस सम्पूर्ण धनराशि को जो कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को देय हो काटने के पश्चात् भुगतान करेगी ।

(२) प्रतिकर की धनराशि का उक्त शेष उस दिनांक से जब धारा ५ में अभिदिश्ट सम्पत्ति, बहियां, लेख्य या अन्य पत्रादि यथाविधि सौंप दिये जायं या उस दिनांक से जब धारा ६ में अभिदिष्ट व्योरे यथाविधि दे दिये जायें, जो भी पश्चात्वर्ती हों, (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) छः माह के भीतर कम्पनी के नाम न्यायालय में जमा किया जायगा और उक्त दिनांक के बारे में किसी मतभेद या विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जायगा ।

(३) प्रतिकर की उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक से न्यायालय में जमा किये जाने के दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(४) उपधारा (१) में अभिदिष्ट कटौतियों की शुद्धता के बारे में किसी मतभेद या विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जायगा और यदि न्यायालय यह उपपादित करे कि काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को वस्तुतः देय धनराशि से अधिक है तो राज्य सरकार उपधारा (३) में निर्दिष्ट ब्याज सहित अन्तर का भुगतान करेगी ।

(५) कम्पनी के उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऐसे ऋण-बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास तथा तत्सदृश आभार के आधार पर कोई दावा, जो धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन प्रतिकर से सम्बद्ध हो, चाहे उसके आधार पर कोई डिक्री प्राप्त की गयी हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के भीतर न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रत्येक ऐसा दावा सामान्यतया सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की प्रथम अनुसूची के आदेश ६ और ७ की अपेक्षाओं के अनुरुप होगा, मानो वह कोई वाद-पत्र हो ।

(६) न्यायालय उपधारा (१) के अधीन किये गये प्रत्येक भुगतान और उपधारा (५) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे की सूचना कम्पनी को देगा ।

(७) उपधारा (१) या उपधारा (४) के अधीन न्यायालय में जमा की गयी धनराशि न्यायालय द्वारा उपधारा (५) के अधीन किसी दावे के सम्बन्ध में दिये गये अपने न्याय-निर्णय के अनुसार चुका दी जायेगी, और न्यायालय किसी ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग को निकालने या विनियोजित करने के संबंध में ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक और इष्टकर समझे ।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ७ (१) की पंक्ति ४ के शब्द 'प्रारम्भ' के बाद तथा शब्द 'होने से' के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ।

"होते ही राज्य सरकार उस पर कोई कार्य नहीं होने देगी और प्रारम्भ ।" श्रीमन्, इसका अर्थ यह है कि जब धारा ७ को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी ऐसी संविदा का किया जाना, जिसके अधीन कम्पनी का दायित्व हो या होगा अथवा हो सकता हो, कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं था अथवा यह सद्भाव से नहीं की गयी है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से २ वर्ष के भीतर संविदा से उन्मक्ति पाने के लिये न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकती है । राज्य सरकार आवेदन-पत्र दो वर्ष के भीतर दे सकती है । लेकिन इसके ऊपर वाले हिस्से को देखें तो इसमें जरूरी है कि उससे कोई क्षति हुई हो । उसे रोका जाय । जो अंश हम जोड़ने के लिये कह रहे हैं उससे यह पूरा हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जायेगा। वह इस तरह से हो जायगा कि कम्पनी के कार्य कलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं था अथवा यह सद्भाव से नहीं की गयी है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होते ही राज्य सरकार उस पर कोई कार्य नहीं होने देगी, और प्रारम्भ होने से २ वर्ष के भीतर संविदा से उन्मुक्ति पाने के लिये न्यायालय को आवेदन पत्र दे सकती है। उसमें तुरन्त कार्यवाही होना जरूरी है। कोर्ट में जाना जरूरी हो तो वह दो साल का मौका है, उसके अन्दर जा सकती है। लेकिन मेरी मंशा इसको जोड़ने की इसलिये है कि राज्य सरकार वहां ऐसा कोई कार्य न होने दे जिससे कि कंपनी को क्षति होने वाली हो। यह, श्रीमन्, बहुत स्पष्ट है और इसको मान लिया जाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, इसे स्वीकार करता हूं। इसके अर्थ यही हैं। मेरे मित्र इसको पढ़ लेंगे तो स्थिति साफ हो जावेगी। यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसी संविदा का किया जाना, जिसके अधीन कम्पनी का दायित्व हो या होगा अथवा हो सकता हो, कम्पनी के कार्य कलापों के प्रयोजनार्थ उचित रुप से आवश्यक नहीं था अथवा यह सद्भाव से नहीं की गयी है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से २ वर्ष के भीतर संविदा से उन्मुक्ति पाने के लिये न्यायालय को आवेदन पत्र दे सकती है, और यदि न्यायालय का इस विषय में ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि संविदा कम्पनी के कार्य कलापों के प्रयोजनार्थ उचित रुप से आवश्यक नहीं थी अथ वा वह सद्भावना से नहीं की गई थी तो वह संविदा रद्द करने अथवा उसमें परिवर्तन करने का आदेश ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझें, दे सकता है, और तदुपरान्त संविदा प्रभावी न रह जायगी, या जैसी भी दशा हो, ऐसे परिवर्तन के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी।

श्री गेंदा सिंह--

और किसी को कुछ कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रारम्भ होने से २ वर्ष के भीतर राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं होने देगी, तो कोई मौलिक अन्तर नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--

मैं पहले पूरी तरह से समझा नहीं पाया। श्रीमन्, अन्तर यह है कि प्रारम्भ होने के दो वर्ष के भीतर सरकार संविदा से उन्मुक्ति पाने के लिये मुकदमा दायर करेगी। लेकिन दो वर्ष तक जो कार्य ऐसे किये गये है, जिससे कम्पनी की क्षति हो रही है, जो नहीं करना चाहिये, तो इतनी देर तक हम नुकसान उठायेंगे। किसानों ने नुकसान उठाया और अब दो वर्ष तक सरकार के अन्दर भी नुकसान उठावें कि जो कार्य कलाप किये है वह अनावश्यक थे, नेक नियती से नहीं किये गये थे, इसके लिये हम दो वर्ष चाहते हैं। तो हम इसको दो वर्ष तक और चलने देंगे। दो वर्ष के भीतर अदालत में देंगें तो मेरा कहना है कि इस कानून में सरकार को अधिकार दिया जाय कि जो कार्य उचित नहीं थे और नुकसान देने वाले थे, उसको आगे की कार्यवाही से रोका जाय। दो वर्ष के भीतर यह मौका है कि अदालत से फैसला करा लेवें लेकिन दो वर्ष तक मकदमे के फैसलें तक क्षति न हो।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपको स्वीकार है क्या ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे खयाल में कार्य कलाप और कान्ट्रेक्ट में अन्तर है। जब कान्ट्रेक्ट गलत है तो इसको हम इफेक्ट नहीं करेंगे और चैलेन्ज कर देंगे। मेरे मित्र का तात्पर्य और चीज से हो, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ (१) की पंक्ति ३ के शब्द "प्रारम्भ" के बाद तथा शब्द 'होने से' के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"होते ही राज्य सरकार उस पर कोई कार्य नहीं होने देगी और प्रारम्भ"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ और खंड ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९—धारा ७ या धारा ८ के अधीन न्यायालय का प्रत्येक अन्तिम विनिश्चय और प्रत्येक ऐसे विनिश्चय के आधारों का कथन, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा २ के क्रमशः खंड (२) और (९) के अर्थ में डिक्री और निर्णय समझा जायगा और मूल डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों पर प्रयोज्य उक्त संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील की जा सकेगी और उच्च न्यायालय का ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा।

श्री गेंदा सिंह—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ की अन्तिम पंक्ति के शब्द "और उच्च न्यायालय का ऐसी अपील पर विनिश्चय अन्तिम होगा", निकाल दिया जाय। मान्यवर, ऐसा करने में मेरा यह मतलब है कि उच्चतम न्यायालय हम इसमें से निकाल देते हैं। अगर उच्च न्यायालय हमको ऐसी बात नहीं प्रदान करता तो हम उच्चतम न्यायालय में जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें छूट रहनी चाहिये। कहीं पर सरकार को भी इस बात की आवश्यकता पड़ सकती है कि वह उच्चतम न्यायालय में जाये और कभी उच्च न्यायालय में कहीं कोई काम रुका हो तो वह उच्चतम न्यायालय से अपनी बात को मनवा सके। इस कारण मेरा यही अनुरोध है कि यह संशोधन आवश्यक है और इसको स्वीकार किया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, यह तो अपील का प्रश्न है, रिवीजन का नहीं। अपील आमतौर पर जिस तरह से हाई कोर्ट में होती है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। मान्यवर, उसका प्रोसीड्योर है। वह सिविल प्रोसीडयोर कोड में है और इसको समझ बूझ कर रखा गया है क्योंकि यह विचारा गया कि कहीं ऐसा न हो कि विष्ट कारपोरेशन पेमेंट करते करते ही ८, १० वर्ष का समय निकाल दे। इसलिये इसको रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ की अन्तिम पंक्ति के शब्द "और उच्च न्यायालय का ऐसी अपील पर विनिश्चय अन्तिम होगा", निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

शास्तियां

१०—(१) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कम्पनी के उपक्रम का भाग हो, रखते हुये, धारा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस सम्पत्ति को कलेक्टर को देने से रोक लेता है; या

(ख) किसी ऐसे सम्पत्ति का जो कम्पनी के उपक्रम का भाग हो और जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, अनुचित रूप से कब्जा प्राप्त कर लेता है; या

(ग) किसी ऐसे लेख को जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो और जिसे धारा ५ के अधीन देना उससे अपेक्षित हो कलेक्टर को देने से जानबूझ कर रोकता है या उसको नहीं देता है; या

(घ) धारा ६ की अपेक्षानुसार तालिका जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ङ) उससे ऐसी तालिका प्रस्तुत करने की अपेक्षा किये जाने पर, उसमें किन्हीं ऐसे ब्योरों को देता है जो मिथ्या हों और जिन्हें वह या तो मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है अथवा सत्य होने का विश्वास नहीं करता है,

ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से या अर्थदण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय, अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा निश्चित किया जायगा, अनुचित रूप से रोकी गयी या अनुचित रूप से प्राप्त की गयी किसी सम्पत्ति अथवा जानबूझकर रोके गये या प्रस्तुत न किये गये किसी लेख्य को सौंप दे या वापस कर दे।

(३) कोई भी न्यायालय सिवाय राज्य सरकार की या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

श्री गेंदा सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि धारा १० की उपधारा (१) के भाग (ङ) में शब्द 'मिथ्या हों' के बाद का अंश निकाल दिया जाय।

मान्यवर, यह (ङ) क्लाज इसलिये है कि इसकी तालिका जो प्रस्तुत की गई है उसमें दिया है कि उससे ऐसी तालिका प्रस्तुत करने की अपेक्षा किये जाने पर, उसमें किन्हीं ऐसे ब्योरों को देता है जो मिथ्या हों और जिन्हें वह या तो मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है अथवा सत्य होने का विश्वास नहीं करता है। मान्यवर, इससे बड़ी पेचीदगी पैदा होती है। ऐसी तालिका प्रस्तुत किये जाने पर उसमें किन्हीं ऐसे ब्योरे को देते हैं जो मिथ्या हों, बाद के हिस्से को निकाल दीजिये, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह एक कानूनी चीज है।

श्री गेंदा सिंह—

ठीक है, यह एक कानूनी चीज है। उसको यह विश्वास है कि यह मिथ्या है और सत्य नहीं है। इस प्रकार से कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता है और इसलिये इस क्लाज को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं माननीय आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि वह इस पूरे क्लाज को ही निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तीनों चीजें अलग अलग हैं— या तो मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है अथवा सत्य होने का विश्वास नहीं करता है।

श्री गेंदा सिंह—

मान्यवर वह सबूत कैसे पेश करेगा? सबूत देना क्या कोई आसान बात होगी? सबूत पक्ष तो अपना सिर पीट कर मर जायगा। वह यह विश्वास करता है कि सत्य नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहा है। वह जानता है कि मिथ्या है, लेकिन मिथ्या स्टेटमेंट दे रहा है। यह ऐसी पेचीदगी है कि कहा नहीं जाता, अगर घुड़कने धमकाने की बात है तो ठीक है। मगर यह पेनाल्टी वाला क्लाज निकाल दिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह पेचीदगी जो मेरे मित्र कह रहे हैं वह एक सदी की नहीं, कई सदियों बाद बन पायी है। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं या मेरे मित्र एक इन्वेन्ट्री दें जो झूठी है, उसके बाद कोई मुकदमा नहीं चल सकता, मेरे ऊपर तो चल जाय उनके ऊपर नहीं चलेगा। उसके बाद कहें कि इन्वेन्ट्री गलत नहीं है, मेरे मित्र गलत जानते थे। यह दूसरी बात हुई। जैसा आपने कहा, यह लीगल फ्रेंजोलोजी है और बहुत सोच विचार के बाद और काफी अनुभव के बाद डेवलप हुई है और उसी का इसमें समावेश किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप इसको वापिस ले रहे हैं?

श्री गेंदा सिंह—

मैं कैसे कहूं? मैं तो समझता था कि इसके मामले में आचार्य जी मदद करेंगे, लेकिन आचार्य जी तो जिद्द पर तुले हुये हैं। वह मेरी मदद करने वाले नहीं हैं बल्कि हमसे मदद चाहते हैं। श्रीमन्, मैं तो समझता हूं कि 'मिथ्या हों' से ही सारा काम चल सकता है। उसके बाद किसी बात की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, मान लीजिये किसी ने स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट में ऐसी बात लिख दी कि उल्टी है जिससे लाखों करोड़ों रुपये की क्षति हो, उसमें यह गुंजाइश कहां रह जाती है कि उसने नहीं किया किसी दूसरे ने किया? श्रीमन्, आपके यहां आकूपायर, मिल मालिक, आदि की बड़ी बड़ी परिभाषा की गई है और सारी परिभाषाओं में उनको बचने की गुंजाइश है, तो वहां तो गुंजाइश है ही लेकिन इस क्लाज को देकर पूरी गुंजाइश गवर्नमेंट दे रही है कि किस तरह से गलत स्टेटमेंट दिया और हम पकड़ नहीं सकते। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि आचार्य जी मानने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वह नहीं मानेंगे तो देखेंगे कि वह नुकसान उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आचार्य जी मानेंगे क्या?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

नहीं, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि धारा १० की उपधारा (१) के भाग (ङ) में शब्द 'मिथ्या हों' के बाद का अंश निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११ से १४

कम्पनियों द्वारा अपराध

११—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो कम्पनी और साथ ही प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिए उसका प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो वह इस धारा में की गयी किसी बातसे दण्ड का भागी नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी मैनेन्जिग एजेन्ट या सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, या निदेशक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, या निदेशक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

१२—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध अथवा कम्पनी के उपक्रम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

१३—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उ०प्र० अध्यादेश सं० १६, १९७० का निरसन

१४—बिष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, १९७० एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ११, १२, १३ और १४ इस विधेयक क अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

बिष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०

तराई क्षेत्र में और उसके आसपास उगाये गये अतिरिक्त गन्ने का यथासम्भव पूरा-पूरा उपयोग करने की दृष्टि से जिससे उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहायता बिष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के या उसके द्वारा धृत कार्यविरत प्लांट का शक्कर के उत्पादन के लिये जो कि एक आवश्यक वस्तु है, उपयोग और पर्याप्त संख्या में लोगों के सेवायोजन की व्यवस्था हो सके तथा उपक्रम का इस प्रकार प्रबन्ध करने की दृष्टि से जिससे सामान्य हित का अधिकाधिक पोषण हो, राज्य सरकार को लोकहित में उक्त प्लान्ट को चला सकने के लिये सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त प्लांट तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम बिष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह अर्जन तो हो रहा है लेकिन मेरा निवेदन है कि वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई पैसा उसमें नहीं लगाया जा रहा है । ३ जिले के किसानों का सवाल है । सरकार अगर फैक्टरी चलाने की कोशिश करे तो इसी सीजन फरवरी, मार्च में चल सकती है । मैं यह चाहूंगा कि जनरल मैनेजर को पैसा मिले तो जल्दी कार्य हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०†

विद्युत् मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

तय यह हुआ था कि इस पर विवाद नहीं होगा । लिहाजा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता । संशोधनों पर विवाद होगा तो उस समय कहूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इसमें कुछ संशोधन आ गये हैं । विवाद इस पर न हो, इसके लिए उचित समझें तो इसे कार्य-मंत्रणा समिति में भेज दें, वहां इस पर बात हो जाय, फिर कल इसमें कोई समय नहीं लगेगा ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो संशोधन मैं उपस्थित कर दूं । उन पर विचार हो जाय । ५,७ मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा । शर्मा जी संशोधन मूव कर दें । मेरी बात सुनने के बाद शायद वह अपने संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं नहीं चाहता कि इस सदन में इस पर विवाद हो, क्योंकि यह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन मानों से संबंधित है । इस पर कार्यमंत्रणा समिति में बातचीत कर लें, वहां सर्वसम्मति हो जाय तो कल इसे ले लिया जायगा ।

---

† १ जुलाई, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

तिवारी जी का सुझाव बहुत उचित है लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें वोटिंग का प्रश्न नहीं है । ऐसी सूरत में उस पर आपके समक्ष ही विचार हो जाय तो क्या नुकसान है ? यह औपचारिक बात है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा । कोई उस पर विशेष जोर नहीं देगा और मतदान का प्रश्न है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो संशोधन दिये हैं वे अगर समय से हैं तब भी मैं उनको रूल आउट करता हूं । समय के बाहर हैं तो पुट अप (रखने) करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वैसे आप चाहें कुछ कहना तो कह सकते हैं ।

श्री उदित नारायण—

यदि यह आप मंजूर कर लें तो क्या नुकसान है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप संक्षेप में कह सकते हैं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

संशोधन उस तरह का आया नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, मैंने आपके समक्ष एक संशोधन भेजा है । मैं यह समझा हूं कि मुझसे यह गल्ती हुई कि मैंने इसे समय के अन्दर नहीं भेजा है । केवल इस बात को ध्यान में रखते हुये भेजा है कि यह एक औपचारिक बात है, विवाद का प्रश्न इसमें नहीं है । इसलिये मैंने यह संशोधन, संशोधन कहिये या एक सुझाव, के रूप में आपके पास भेजा है । इस वक्त आपके सामने जो प्रस्तुत विषय विचार के लिये है उसमें यह है कि हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के हैं उनको कनवेयेंस के संबंध में दूसरे लोगों के समान सुविधायें दी जायं । श्रीमन्, यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये हमेशा छोटी-छोटी बातों को लेकर हम लोग नियम बनायें । यह मुनासिब नहीं मालूम पड़ता है । इसमें ऐसा होता है कि आज हमारे सामने एक बात है, कल दूसरी, परसों तीसरी और सी प्रकार हर छोटी-छोटी बातों के लिए नियम बनाये जायं, यह ठीक नहीं है । इसलिये इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि यदि सरकारी पक्ष की भी स्वीकृति हो जाय तो जो उपाध्यक्ष का पद है उसे स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाय । इस संबंध में इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो प्रेसीडेंट्स कान्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने यह सिफारिश की है जहां-जहां भी संभव हो, उपाध्यक्ष को हर जगह पर स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाय । श्रीमन्, एक जगह नहीं मैं अनेक राज्यों का उदाहरण आपको दे सकता हूं जैसे-लोक सभा जम्मू एंड काश्मीर, नागालैन्ड, राजस्थान और बिहार में ऐसा ही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास जो आपका संशोधन आया है उसमें इस तरह का कोई संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन तो स्वीकार नहीं हुआ है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसमें ऐसा है कि यह १ अप्रैल, १९७० से प्रवृत्त होगा । यह संशोधन आया है । जो आप कह रहे हैं उसका मुझे ज्ञान नहीं है । अगर आप इसको सुझाव मानते हैं तो इससे आप नुकसान करने वाले हैं क्यों कि १ अप्रैल, १९७० से आप कार नहीं दे सकते । कार के बदले में १५० रुपये देते हैं....

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन, मैंने इसीलिये कहा था कि आप इसे स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं । इसको यहां उठाने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, जब आप सुझाव मान लेते हैं तो संशोधन लाने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस विधेयक में कैसे होगा ? आप लोगों की जैसी राय होगी बाद में हो जायेगा । लेकिन मैं समझता हूं कि जो अधिनियम है उसमें मर्यादित कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिये । इसके लिए बहस की जरूरत नहीं है....

श्री उदितनारायण--

आपकी खिदमत में मैंने सुझाव पेश किया है । यदि आप इसको मान लेंगे तो बहुत सी बातें हल हो जायेंगी ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, सदन को फैसला करने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने इशारा कर दिया है । वह सोचेंगे और देखेंगे । आप असरकारी विधेयक भी ला सकते हैं । सरकार से भी कह सकते हैं । लेकिन इसका दूसरा स्थान है । अब यह आ गया है । इस पर मैंने संशोधन स्वीकार नहीं किया है और यह ठीक भी है क्योंकि पीठासीन अधिकारियों के विषय में यहां पर चर्चा होना मर्यादित नहीं होगा । जैसा सदन चाहेगा वैसा होगा ।

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त :

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

र प्रदेश
धनियम
या ११,
;५२ की
रा ५ का
ोधन ।

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ५ में, तथा उसके पार्श्व शीर्षक में, शब्द 'अध्यक्ष और सभापति' के स्थान पर शब्द 'अध्यक्ष, सभापति उपाध्यक्ष और उपसभापति' रख दिये जायं ।

रा ५-क
निकाला
ना ।

३—मूल अधिनियम की धारा ५-क निकाल दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २,३ १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज कोई कार्य-स्थगन की सूचना नहीं है और नियम ५१ के अन्तर्गत चार सूचनायें मिली हैं । एक रियासत हुसैन साहब की है कि ११ दिसम्बर, १९७० को ग्राम सैदपुर चित्तू, थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद में आपसी गुटबन्दी के कारण हुई गोली वर्षा के संबंध में यह वक्तव्य के लिये मंजूर हुआ है । इस पर २१ तारीख को संबंधित मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, नियम ५१ में स्वीकृत होना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये ही मंजूर किया गया है ।

दूसरी सूचना माननीय कल्याणसिंह जी की है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा, विधान भवन के सामने हो रहे अनशन के संबंध में ।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों द्वारा विधान भवन के सामने हो रहे अनशन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान दिलाने का जो प्रस्ताव है, उसको मैंने स्वीकार किया है और वह १८ तारीख को आयेगा । बाकी दो रह जाते हैं । एक वक्तव्य के लिये ले लिया था वह माननीय उपाध्यक्ष जी ने सदन के समक्ष पढ़ कर सुना दिया है । दूसरा मैंने सुनाया है। यह ज्यादा महत्व का था इसलिये इसको नियम ५१ के अन्तर्गत लिया है ।

माननीय गेंदा सिंह जी और त्रिवेणीराय जी के द्वारा जो नियम ५१ के अन्तर्गत रखा गया है वह इस प्रकार है कि विधान भवन के सामने दिनांक ७ तथा ८ दिसम्बर, १९७० को प्रदर्शन करने वाले छात्रों की रिहाई तथा इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही हड़ताल के संबंध में है । इसमें दो प्रश्नों का एक साथ मिला दिया गया है । एक विषय होना चाहिये । इसलिये उसको नहीं लिया गया है ।

एक और है । मेरठ विश्वविद्यालय के प्रथम सेमिस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं को अनुभवहीन व्यक्तियों को दे दिया गया है ।

विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है । वह किस को परीक्षा के लिये देते हैं इस प्रश्न के ऊपर यह सदन विचार नहीं कर सकता । इसको मैंने स्वीकार नहीं किया ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, यह विषय तो ऐसा है कि ८ हजार लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है....

श्री अध्यक्ष--

आप डिक्टेटर बन जाइये ।

(व्यवधान)

(श्री लक्ष्मण स्वरूप से) आपको मैंने कमरे में ही बता दिया था कि विश्वविद्यालय अर्द्ध स्वतंत्र संस्था है । वह किसी की परीक्षा के लिये दें और आप कहें कि नालायक हैं । तो इस तरह की बात तो आपको गवर्नमेंट डिक्टेटर बना दे तो आप आर्डर दे दीजियेगा । मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

यह एक ऐसा विषय है जिससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और विद्यार्थी इसके लिये आन्दोलन करेगा इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री लक्ष्मण स्वरूप सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, इसमें, दो प्रश्न मिल गये हैं, इसलिये इजाजत नहीं दी लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन्द हो गया है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्यों बन्द किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल भेज दीजिये ।

श्री महाबीर कसेरे की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब सर्वश्री सुखपाल पांडेय, रामकरन सिंह व उदित नारायण द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी नोटिस के संबंध में माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

दिनांक २३-११-७० को थाना सहजनवां, गोरखपुर में श्री रामकुमार यादव व अन्य ५ छात्रों ने लिखित सूचना दी कि दिनांक २२/२३ नवम्बर, १९७० की रात्रि को ताला तोड़कर चोर उनका सामान उठा ले गये । मामले की जांच २५-११-७० को श्री श्रीराम उपाध्याय, एस०आई० द्वारा शुरू की गई जिसके फलस्वरूप ४ अभियुक्त प्रकाश में आये । चार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त मातवर जो २५-११-७० को पकड़ा गया । उसने पूछतांछ करने पर जांच अधिकारी को बताया कि उसने अपने हिस्से के चोरी के वर्तन महाबीर प्रसाद के यहां बेंचे हैं । इस सूचना पर श्री उपाध्याय थाने से थानाध्यक्ष श्री के० एन० मिश्रा को बुलवाकर महाबीर प्रसाद के घर गये और घर की तलाशी ली । तलाशी में चोरी गया कुछ सामान उसके घर से बरामद हुआ । अतः महाबीर प्रसाद को धारा ४११ भा०दं०वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार करके १२-३० बजे दिन को थाने लाया गया और उसे हवालात में बन्द कर दिया गया । गिरफ्तारी के समय महाबीर प्रसाद के शरीर पर चोटें थीं जिसके बारे में उसने बताया कि यह चोटें गिरफ्तारी से पूर्व बलजोर केवट के साथ हुई मारपीट में उसे आई थीं । इस संबंध में थाने पर श्री गब्बू ने २५-११-७० को ७-३० बज सवेरे एक रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें कहा गया था कि सवेरे ६-३० बजे बलजोर केवट महाबीर प्रसाद को डंडे से मार रहा था । उसने बीच बचाव किया तो बलजोर केवट ने उसको एक डंडा मारा और उसे गोली से मार देने के लिये धमकाया ।

हवालात में महाबीर प्रसाद की हालत बिगड़ती देखकर थानाध्यक्ष उसे एक जीप में सदर अस्पताल गोरखपुर ले गये । उसकी पत्नी भी साथ गई । उसे ३-४५ पर अस्पताल में भर्ती किया गया । उपचार के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती ही गई और रात में लगभग २ बजे अस्पताल में उसकी मत्यु हो गई । पोस्ट मार्टम कराये जाने पर महाबीर प्रसाद की मृत्यु चोटों से आये सदमें के कारण होना ज्ञात हुआ ।

दिनांक २५-११-७० को १०-४५ पर महाबीर प्रसाद की पत्नी ने थाना सदर, गोरखपुर पर एक शिकायती पत्र दाखिल किया जिसमें यह आरोप लगाया था कि थानाध्यक्ष सहजनवा ने उसके पति को मारा पीटा जिसके फलस्वरूप उसकी हालत चिन्ताजनक है और वह किसी भी समय मर सकता है । इसके आधार पर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के आदेश से थाना सहजनवा पर ३०४ भा०दं०वि० के अन्तर्गत थानाध्यक्ष के०एन० मिश्रा तथा श्रीराम उपाध्याय नायब दरोगा के विरुद्ध एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी जांच सर्किल आफिसर सदर के सुपुर्द की गई । महाबीर प्रसाद की मृत्यु के बाद थानाध्यक्ष तथा नायब दरोगा को २६-११-७० से ही निलम्बित कर दिया गया था ।

दिनांक ७-१२-७० को धारा ३०४ भा० दं० वि० के मुकदमें की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है । पुलिस हिरासत में महाबीर प्रसाद की मृत्यु की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा भी की जा रही है ।

उक्त घटना से जनता में किसी प्रकार का आतंक व्याप्त नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह सब आउट आफ आर्डर है । मैं नियम पढ़ कर सुनाये देता हूं । वक्तव्य हो जाने पर उस पर स्पष्टीकरण जिन लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया है, वे मांग सकते हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं । अभी यह पूरा हुआ नहीं कि आप बोलने लगे, इसलिए मैंने इसे आउट आफ आर्डर कहा है ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैं माननीय गृह मंत्री जी से २-३ बातें जानना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि उनके उत्तर में स्पष्ट है कि १० बजे इस बात की सूचना वहां के बड़े अधिकारियों को मिल गयी । तो जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने २ बजे तक जब तक कि वह मर नहीं गया क्यों इन्तजार किया ? और चूंकि दफा ३०४ में रिपोर्ट लिखायी गयी, इसका मतलब यह है कि मरने के बाद ही रिपोर्ट लिखाई गयी । दूसरे जब उसकी हालत इतनी खराब थी तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन लेने की क्यों कोशिश नहीं की गयी ?

तीसरा और जरूरी है .....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न एक-एक कर के करें । ठीक है प्रश्न आप तो याद रखते हैं लेकिन मंत्री जी याद रखेंगे या नहीं.....

श्री उदित नारायण--

पहली बात यह कि जब दस बजे इत्तला मिल गई थी तो दो बजे तक रिपोर्ट लिखवाने का इन्तजार क्यों किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, उसकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा था कि वह मरने न पाये ।

श्री उदित नारायण--

श्रीमन्, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस जवाब को सुनने से । रिपोर्ट तो हेड मुहर्रिर लिखते हैं और जान डाक्टर बचाते हैं । श्रीमन्, बड़ा ताज्जुब हुआ कि गृह मंत्री जी.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्रीमन्, दरख्वास्त १०.४५ पर महावीर प्रसाद की धर्मपत्नी ने भेजी थी । रिपोर्ट तो उनकी प्राप्त हो गई थी लेकिन उस पर कार्यवाही बाद में ही की जा सकती थी । उसके पेश्तर उस आदमी का डाक्टर के जरिये अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था ।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य है इसके पैरा १ व २ में कुछ तथ्य दिये गये हैं और तथ्य इस तरह दिये गये हैं जैसे यही सही है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य के पैरा १ व २ में जो बताया गया है वह जांच के बाद दिया गया है ? ये तथ्य किस जांच से आये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, असली वाकयात का पता तो मैजिस्ट्रेट की जांच और सी० आई० डी० की जांच से लगेगा कि कौन-कौन दोषी हैं लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई है वह मैंने पढ़ी है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि महावीर प्रसाद को कितने समय रक्खा गया, किस तारीख के किस बजे से कितने बजे तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

२५ तारीख को साढ़े बारह बजे दिन से रक्खा गया और दुर्भाग्यवश २६ तारीख को प्रातः २ बजे उसका स्वर्गवास हो गया।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री के० एन० मिश्र थानेदार इस किस्म की लगभग आधे दर्जन से अधिक हत्यायें करा चुके हैं और तीन-तीन बार मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी बैठ चुकी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इसकी जानकारी करा रहा हूं।

श्री उदितनारायण---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका डाइंग डिक्लेरेशन रात्रि में क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, श्री उदित नारायण शर्मा जी ने जो बात बताई वह मैं उचित ही मानता हूं। मेरी दृष्टि से ड्राइंग डिक्लेरेशन, जब उनकी हालत चिन्ताजनक थी तभी करा लेना चाहिये था। क्यों नहीं कराया गया, इसका मैं पता करा लूंगा।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन, महावीर प्रसाद की वाइफ की रिपोर्ट रोजनामचे में क्यों नहीं दर्ज की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

दर्ज हुई या नहीं, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता हो सकती है।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)---

उसकी वाइफ ने रिपोर्ट कितने बजे दर्ज करायी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उदितनारायण---

यह देखते हुए कि जिस आदमी के चोट लगी उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी, महावीर ने भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी, और एक दूसरे व्यक्ति गब्बू ने रिपोर्ट दर्ज करायी, क्या इससे यह मामला फर्जी मालूम नहीं होता ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जंचता तो मुझे भी यही है ।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)---

जांच किसने की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मेरे पास तो एस० पी० साहब ने यह सूचना भेजी है ।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जांच किसने की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

एस० पी० ने ही की होगी ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

यह घटना मेरे क्षेत्र की है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसी से शंका उत्पन्न हो गयी है । तो क्या माननीय मंत्री जी स्वयं इस घटना की जांच करेंगे वहां जाकर, और अगर यह नहीं कर सकते तो क्या जुडीशियल इन्क्वयारी करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, सी० आई० डी० को जांच सुपुर्द है, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी चल रही है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मुझे भी शक मालूम हो रहा है । अगर उस जांच से मुझे तसल्ली नहीं होगी तो मैं अपनी तरफ से भी देखने के लिये तैयार हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गब्बू और बलजौर दोनों ही सजायाफ्ता लोग हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, सुबह साढ़े छः बजे बलजोर केवट द्वारा महावीर को मारने की बात कही गई है और आरोप यह है कि साढ़े १२ बजे पुलिस ने उसको मारा । यानी साढ़े ६ बजे जो चोटें आयेंगी, उनका साढ़े १२ बजे वाली चोटों से अन्तर होगा । तो उसके जितनी चोटें शरीर पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पोस्ट मार्टम में मिली हैं वे सब एक ही ड्यूरेशन की हैं अथवा अलग अलग ड्यूरेशन की हैं इसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें, इस विषय में जानकारी देने का आश्वासन दे दें कि इसकी अवश्य जांच करा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

बस आपने सजेशन दे दिया, ठीक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

साढ़े ७ बजे जो गब्बू ने रिपोर्ट कराई कि उसने उसको लाठी मारी है, तो उस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्रीमन्, वह दफा नान-कागनेजेबिल मुकदमा था ।

खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)--

मांग और पूर्ति के साधारण नियम के अनुसार प्रति वर्ष खरीफ और रबी की फसल कटने के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट होती है । अगर पैदावार अच्छी होती है तो बाजार में उपलब्धता पर्याप्त बढ़ जाने से मूल्यों में गिरावट तेजी से होती है अन्यथा गिरावट साधारण होती है । पिछली रबी में गेंहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था जिस से प्रदेश में इस अनाज की उपलब्धता पर्याप्त है । भारत सरकार ने इस अनाज के भाव में कोई अत्याधिक गिरावट न हो और इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषकों पर न पड़े और तदनन्तर उनकी उत्पादन की क्षमता न घटे इस उद्देश्य से मूल्य संरक्षण की घोषणा कर दी थी और भारतीय खाद्य निगम के जरिये काफी मात्रा में इस अनाज की खरीदारी की गई, जोकि अब भी जारी है । १९७०-७१ की रबी फसल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित ५ लाख टन गेहूं की खरीदारी के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक ३ लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है जिस से इस अनाज के मूल्य में कोई विशेष गिरावट नहीं होने पाई । बाजार में इस समय जो माल आ रहा है और संरक्षण दर से कुछ कम दामों पर बेचा जा रहा है वह प्रायः घुन लगा हुआ माल है और खरीदारी के गुण-निर्दिष्टयों में नहीं आता है । गेहूं के खरीदारी के मूल्य निम्नलिखित हैं :

उचित औसत किस्म का			मूल्य प्रति क्वि० (रु० में)
गेहूं सफेद शर्बती व मैक्सिकन	..	..	७६.००
देशी लाल गेहूं ..	..	..	७४.००

२-- इस वर्ष खरीफ की फसल भी अच्छी हुई है और ज्वार, बाजरा, मक्का तथा धान की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है । इन अनाजों के दामों में भी अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिये भारत सरकार की नीति के अनुसार मूल्य संरक्षण दिया जा रहा है । इन अनाजों की खरीदारी भी भारतीय खाद्य निगम कर रहा है । भारत सरकार ने खरीफ के मोटे अनाजों की खरीदारी का लक्ष्य इस प्रदेश के लिये ७०,००० टन निर्धारित किया था । इसके विरुद्ध, करीब ७४,००० टन मक्का खरीदा जा चुका है । यद्यपि लक्ष्य की पूर्ति हो गई है फिर भी भारतीय खाद्य निगम खरीदारी तब तक जारी रक्खेगा जब तक कि मक्का ज्वार व बाजरा का बाजार

मूल्य संरक्षण मूल्य से नीचे रहता है। ज्वार, बाजरा, मक्का व विभिन्न श्रेणियों के धान के खरीदारी मूल्य निम्नलिखित हैं—

अनाज उचित औसत किस्म	मूल्य प्रति क्वि० रु० में
	रु०
१. ज्वार, बाजरा व मक्का	५५.००
२. धान बासमती	७२.००
३. धान श्रेणी १	६६.००
४. धान श्रेणी २	६०.००
५. धान श्रेणी ३	५४.००
६. धान श्रेणी ४	५१.००
७. धान श्रेणी ५	४७.००

३. धान व बाजरा का बाजार भाव खरीदारी मूल्य से ऊंचा है। केवल ज्वार और मक्का का बाजार भाव संरक्षण मूल्य से कम इसलिये है कि जो ज्वार और मक्का बाजार में आ रहा है वह उचित औसत किस्म का नहीं है और उसमें नमी की मात्रा अधिक है और खरीदारी गुण निर्दिष्टियों में नहीं आता है।

४. मुख्य-मुख्य अनाजों के बाजार मूल्य की तालिका संलग्न है।

५. उपर्युक्त उल्लिखित अनाजों के बारे में मूल्य संरक्षण है। चावल के बारे में स्थिति यह है कि इसी के दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हैं इसलिये चावल की कोई समस्या नहीं है। फिर भी अपनी सस्ते गल्ले की दुकानों की आवश्यकता के लिये तथा भारत सरकार के केन्द्रीय भंडार के लिये इसकी खरीदारी राज्य सरकार द्वारा उगाही प्रणाली के अन्दर की जा रही है। खरीदारी का लक्ष्य ढाई लाख टन है और ४५ हजार टन से अधिक खरीदारी हो चुकी है।

मुख्य-मुख्य अनाजों की प्रदेश की मंडियों में औसत मासिक बाजार भाव की जुलाई, १९७० से तथा गत वर्ष की समकक्ष अवधि की तालिका

खाद्यान्न	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर	
	१९६९–७०		१९६९–७०		१९६९–७०		१९६९–७०		१९६९–७०	
गेहूं ..	८८.१९	७८.८९	८८.४१	७८.२८	८८.५२	७६.२३	८५.९०	७३.९६	८८.९४	७५.०९
चना ..	१०२.९४	८३.४२	१०२.८७	८२.१८	१०२.२३	७८.८६	९९.६५	७५.४५	१०२.४६	७६.०३
जौ ..	६५.४३	५४.५२	६५.३९	५१.८८	६९.०९	४७.७३	६५.६५	४५.०७	६६.३०	४४.५
चावल श्रेणी ३	१२१.७५	१२४.९४	१२१.५३	१२६.७१	११७.७६	१२२.४१	१०५.३६	११७.७०	१०१.२१	१०४.०
धान श्रेणी ३	६८.९९	६९.५१	६८.४८	६८.१६	६४.७४	६६.९९	५४.६६	५८.०७	५४.६२	५६.०६
मक्का ..	७०.१६	६६.५५	७०.९३	६०.४६	६३.७९	५१.६६	५५.५८	४९.८९	५६.२८	५०.८४
ज्वार ..	७९.९०	६४.०५	७३.१६	५९.१३	७१.३५	५९.५०	६१.५७	४०.००	५६.२०	४९.७६
बाजरा ..	९२.४६	७४.३७	८८.९३	७३.७४	८६.४२	६६.००	६६.३९	५१.७८	६५.०७	६१.४५

अनंत राजेश्वरी विधान सभा

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मेरा प्रस्ताव आया था, जो भी सरकारी अधिकारियों ने रिपोर्ट दे दी माननीय खाद्य मंत्री ने पढ़ कर सुना दिया। प्रस्ताव में यह भी था कि गल्ले की कीमत घटती जा रही है और किसान की रोजमर्रा की चीजें जो वह इस्तेमाल करता है, जैसे खाद, बिजली, पानी, कपड़ा, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसान को एक ही सहारा है, अनाज का। उसी से वह अपने बच्चों की फीस, व लगान देता है। उसी से वह खाद, तेल खरीदता है, उसी से पानी का किराया देता है। सारा प्रबन्ध उसी गल्ले से करता है। हमारे माननीय विधायक जानते हैं कि आज किसानों का गल्ला घर में पड़ा हुआ है। उसे किसी मूल्य पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह काउंटर स्टेटमेंट है या क्या चीज है ?

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि किसान के गल्ले की कीमत की जो गिरावट है उसके साथ-साथ क्या सरकार यह भी विचार कर रही है कि बिजली, खाद, पानी के इतने दाम बढ़े हुए हैं उसको डाउन करने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इसमें लिखा है कि किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत गिरता जा रहा है, और खाद, बिजली, सिंचाई की दर बढ़ती जा रही है। चूंकि उनकी आवश्यकता है, उन्हें खरीदना पड़ता है। ऐसी अवस्था में कृषि करने वाले निराश होते जा रहे हैं। इसके बारे में आपने जिक्र किया है ?

श्री धर्मवीर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है उनका अन्य विभागों से सम्बन्ध है। मैं आश्वासन देता हूं कि आपने जिस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है सरकार विचार कर रही है। अभी थोड़े दिन हुए सरकार गठित हुई है। बिजली दरों के बारे में, पानी के रेट के बारे में, जितनी अन्य समस्याएं हैं उनके बारे में सरकार विचार कर रही है। निकट भविष्य में अपनी नीति की घोषणा करेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

जिस प्रस्ताव पर आपने वक्तव्य दिलाने की आज्ञा दी, वह वक्तव्य सरकार द्वारा दिया ही नहीं गया है। वक्तव्य तैयार ही नहीं है आधा ही जवाब दिया है इसलिये जो प्रस्ताव दिया है उसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आधा ही जवाब दिया है इसलिये यह दूसरे रोज लिया जायगा। इसे आज स्थगित किया जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

१८ के बाद असेम्बली रहेगी या नहीं इसका पता नहीं है इसलिये उससे पूर्व ही इसका उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप अजीब बात कह रहे हैं कि असेम्बली रहेगी या नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र---

१८ के बाद बिजनेस आफ दी हाउस नहीं बतलाया गया । १८ के बाद इस सदन को स्थगित कर दिया गया तब ? आप उनको निर्देश दे दें कि १८ के पहले अपना वक्तव्य दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

एक रोज उसमें दे दिया जायगा ।

श्री धर्मवीर---

आपको जानकारी है कि इस संबंध में बहुत कुछ जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की है ।

श्री अध्यक्ष---

१७ तारीख के बाद आप जवाब दे दें ।

श्री धर्मवीर---

यह विषय ऐसा है जो हमारी सरकार से ही संबंधित नहीं है भारत सरकार से भी है कीमतों पर नियंत्रण रखना या न रखना । जो चीज हमसे संबंधित है उस पर हम विचार कर सकते हैं । हम इस संबंध में जागरुक हैं कि किसानों को कोई कठिनाई न हो और प्रदेश में उत्पादन बढ़े । केन्द्र की सरकार को चाहिये कि वह हमको साधन उपलब्ध कराये ताकि हम सस्ते दर पर बिजली तथा पानी की व्यवस्था कर सकें । इसे आप १७ तारीख को न रखें ।

श्री त्रिवेणी ---

नियम ५१ में आपने इस प्रश्न को मंजूर किया था किन्तु माननीय मंत्री उसका पूरा जवाब न देकर केंद्रीय सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं यह उचित नहीं है ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)---

यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । किसी चीज को पिन प्वाइंट किया जाय तब तो मैं जवाब दूं लेकिन अगर जनरलाइज करके सरकार पर दोषारोपण किया जाता है तब मैं जवाब नहीं दे सकती । इसमें बिजली, सिंचाई तथा फर्टिलाइजर तमाम चीजें आ जाती हैं । अन्य विभागों से जिन बातों का ताल्लुक हो और यह उम्मीद करना कि मैं उसका जवाब दूं यह मुमकिन नहीं है । इस प्रदेश की ही सरकार का पूरी तौर पर इकोनामी पर कंट्रोल नहीं है । जहां तक मेरे विभाग का ताल्लुक है कीमतों का ताल्लुक है, सरकार ने प्राइस सपोर्ट कर रखी है । कीमतों को हम नहीं गिरने देते हैं । जहां कीमतें कम हो रही हैं ज्यादा से ज्यादा हम खरीदारी करते हैं ताकि किसान को नुकसान न हो । अन्य बातें जिस विभाग से संबंधित हों वह उससे पूछी जायं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । जैसा प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप दे सकती हैं । एक लाइन में दे सकती हैं कि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है केन्द्र के है, यही आपका जवाब हो गया । यह कोई नहीं कहता कि आपको जानकारी नहीं है । केन्द्र से अगर संबंधित है तो उसका पूरा ब्योरा वहां से मंगाकर जानकारी दें यह भी कोई नहीं कहता । मैं कह रहा हूं कि आप जो जवाब दे सकती हैं वह दें और जो जवाब नहीं दे सकती हैं वह न दें । इनका कहना है कि वह जो सामान खरीदता है वह मंहगा हो गया है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय सदन के सामने कोई बिजनेस नहीं है । पांच बजे बजट पेश होना चाहिये था तो इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

सदन चल रहा है । माननीय वित्त मंत्री जी ।

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत

वक्तव्य (क्रमागत)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं जानना चाहूंगा कि खाद्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि गेहूं का रेट ७५ और ७६ रुपया है । तो मैक्सिकन गेहूं ज्यादा पैदा हो गया और रेट ७५ और ७६ रुपया हो गया है लेकिन खाद उसको इतनी महंगी दी जा रही है । मान्यवर, दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश के दोनों मंत्रियों का कृषि से कोई वास्ता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
१४ दिसम्बर, १९७० ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९२ पर)

प्रतापगढ़ जनपद के उन बस स्टापों की सूची जहां बस स्टेशन भवन नहीं हैं:

१—महली
२—रेखहा
३—दीवानगंज
४—सदहा
५—अमरगढ़
६—दाउदपुर
७—रामगंज
८—कोड डोर
९—कटरा मेटनीगंज
१०—सुखपाल नगर
११—मोहनगंज
१२—सरायजीता
१३—नौबस्ता
१४—जेठवारा
१५—डेरवा
१६—परियावां
१७—राजापुर
१८—महेशगंज
१९—खेमीपुर
२०—हीरागंज
२१—तिवारीपुर
२२—मानिकपुर
२३—रानीगंज कथौल।
२४—लीलापुर
२५—समरा
२६—वेलहा
२७—रामपुर बाबली
२८—तरई चौरस्ता
२९—संग्रामगढ़
३०—खनवारी
३१—लालाबाजार
३२—आलापुर
३३—अरखा
३४—गोपियामऊ
३५—विश्वनाथगंज
३६—देलूपुर
३७—पृथ्वीगंज
३८—रानीगंज
३९—थारापुर
४०—भगवतीगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

निजी मोटर मालिकों के नाम जिन्होंने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट पिटीशन दायर किया है	निजी मोटर मालिकों के नाम जिन्होंने सिविल जज, गोरखपुर न्यायालय में वाद दायर किया है, वाद संख्या १३७/६८
१	२
याचिका संख्या ४३७६/६९ १—सर्वश्री हरवंश प्रसाद मुरलीधर २—राम औध मिश्रा ३—मो० इस्माइल ४—रमा शंकर ५—विश्वनाथ प्रसाद लल्लूराम ६—हनुमान प्रसाद ७—अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां ८—अंबिका राम तिवारी ९—श्री काशी प्रसाद गुप्ता १०—मेसर्स प्रकाश ऐण्ड कं० ११—मो० नजीरुल हक १२—सुशील चन्द्र १३—बांके बहादुर सिंह १४—अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां १५—निवास लाल श्रीवास्तव १६—जगदीश प्रसाद दुबे १७—अच्छेलाल गुप्ता १८—शिवनारायण शर्राफ १९—अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां २०—सेक्रेटरी, मोटर आपरेटर्स एसोसियेशन, तुर्कमान, गोरखपुर २१—उपरोक्त ।	गोरखपुर—गोला वाया खजनी एवं संबंधित मार्ग— १—सर्वश्री हरवंश प्रसाद मुरलीधर २—राम औध मिश्रा ३—मो० इसमाइल ४—रमाशंकर ५—विश्वनाथ प्रसाद लल्लूराम ६—हनुमान प्रसाद ७—अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां ८—अंबिका राम तिवारी ९—काशी प्रसाद गुप्त १०—मेसर्स प्रकाश एंड कं० ११—मो० नजीरुल हक १२—सुशील चन्द्र १३—श्री बांके बहादुर सिंह १४—अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां १५—निवास लाल श्रीवास्तव १६—जगदीश प्रसाद दुबे १७—अच्छेलाल गुप्ता १८—शिवनारायण शर्राफ १९—अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां २०—सेक्रेटरी, मोटर आपरेटर्स एसोसियेशन, तुर्कमानपुर, गोरखपुर । २१—उपरोक्त ।
याचिका संख्या २९५७/७० १—श्री चन्द्र सहाय २—श्री अब्दुल गफूर खां ३—श्री काशी नाथ प्रसाद ४—श्री जहूर मियां, रसीद मियां ५—श्री अच्छेलाल गुप्ता ६—श्री अब्दुल शकूर उर्फ मैना खां ।	

नत्थी 'ग'

तालिका

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर)

कारागार का नाम	बंदियों की तादाद जो दफा ३०२ में १० वर्ष काट चुके हैं		बंदियों की संख्या जो दफा ३९६ में २० वर्ष काट चुके हैं	
	अपरिहार कटी सजा	सपरिहार कटी सजा	अपरिहार कटी सजा	सपरिहार कटी सजा
केंद्रीय कारागार, वाराणसी । ..	८१	२३९	६	६५
,, ,, नैनी (इलाहाबाद) । ..	७२	२६३	४	६६
केंद्रीय कारागार, बरेली ..	७६	१८९	६	११७
,, ,, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) । ..	९१	१४४	६	७४
केंद्रीय कारागार, आगरा ..	४१	१५९	९	११७

त्रिलोक चन्द,
मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५०८ पर)

ORDER

An application, dated 5th December, 1970, from Sri Tej Narain Upadhya, representative of Lakhanpur Sahkari Samiti was given to me at 5.30 p. m. today and subsequently another application on the same day was given by Sri Kedar Nath Sahi an others wherein certain serious irregularities have been brought to my notice in connection with the Annual General Meeting and election of the Board of Directors of the Deoria-Kasia District Co-operative Bank Ltd., which is to be held on the 6th December, 1970. The applicants have alleged that certain serious irregularities have been committed in regard to the proposed A. G. M. as well as the proposed election of the Directors and have prayed for postponing the A. G. M. and the election and for holding the same after removing all the irregularities.

These applications have been given to me under rule 229(2) of the U. P. Co-operative Rules. From a perusal of the applications and the relevant rules on the subject I find that the following serious irregularities, which are likely to vitiate the A. G. M. and the entire election have been committed:—

(1) A notice for less than 45 days has been given for the meeting while the bye-law 22(10) of the Society provided minimum notice of 45 days.

(2) Bye-law 21 provides that the President of the A. G. M. shall be elected by show of hands before start of the meeting, whereas under rule 411 of the U. P. Co-operative Rules, the President is supposed to preside over the Annual General Meeting. In the bye-law 10 where the powers of the President have been defined it has been mentioned that he shall preside over all the meetings including the A. G. M. It is, therefore, not clear as to which of the provisions will prevail and who will preside the meeting. The Agenda of the meeting which has been circulated also does not mention any item regarding the election the President for the meeting.

On the basis of above I find that the proceedings of the A. G. M. as well as the election would be vitiated because of the aforesaid serious irregularites. As such the A. G. M. and the elections of the Board of Directors proposed to be held on the 6th December, 1970 are hereby postponed S. D. M. Sadar is appointed arbitrator to go into the details of allegations mentioned in the applications.

(Sd.) R. S. MATHUR,
District Magistrate,
5-12-'70 *Deoria.*

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५०८ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "आठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिये जायें ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था । यह एक अस्थायी विधान था जो तब तक प्रभावी रहने के लिए अभिप्रेत था जब तक कि इस संबंध में व्यापक विधान को अंतिम रूप न दे दिया जाय । अभी तक व्यापक विधान को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है तथा इसी बीच में भारत सरकार ने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल तैयार किया है । राज्य स्तर अथवा अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक विधान को अंतिम रूप देने में अभी कुछ समय लगेगा । अतः उक्त अधिनियम की अवधि को जो १४ दिसम्बर, १९७० को समाप्त होने वाली है, दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना आवश्यक है ।

राम सागर,

समाज कल्याण मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० —ए० पी० २४२ एल० ए०—१९७१, ८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा